पंचम माला, खंड 43, अंक 21, मंगलवार, 20 अगस्त, 1974/29 श्रावण, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XLIII, No. 21, Tuesday, August 20, 1974/Sravana 29, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit.
Fumigated
On 28-8-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 43 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

ARLIAMENT LIBRAR
28.9(16)
10.3.75

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21, मंगलवार, 20 अगस्त, 1974/29 श्रावण, 1896 (शक)

No. 21, *Tuesday, August* 20, 1974/*Sravana* 29, 1896 **(Saka)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर		ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० सं० S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
408.	मध्य प्रदेश में वैगनों की आवश्यकता	Wagon Requirements in Madhya Pradesh	1—2
409.	मैसर्ज ए० एच० व्हीलर एंड कंपनी द्वारा बुक स्टालों पर अश्लील साहित्य की बिक्री	Sale of Obscene Literatures at Book stalls by M/s A. H. Wheeler and Company ..	3—4
411.	अशोधित तेल की कमी	Shortage of Crude Oil	4—7
412.	नेफ्था क्रेकर प्रोजैक्ट, कोयली के लिए नियत राशि	Allocation for Naphtha Cracker Project at Koyali	7—8
413	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध आरोप	Charges against Hindustan Lever Ltd.	8—13
414.	विटामिन 'सी' का उत्पादन और आयात	Production and Import of Vitamin 'C'	14—16
416.	नई रेल लाइनें बिछाने का कार्यक्रम स्थगित करने की योजना	Plan to put off opening of New Railway Lines	17
प्रश्नों के लिखित उत्तर		WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
406.	हड़ताल के दौरान भर्ती किए गए व्यक्तियों को सेवा में खपाना	Absorption of Persons recruited during Strike period	17—18
407.	सुनहटी खरखड़ी स्टेशन का निर्माण	Construction of Sunehti Kharkhari Station	18
410.	राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव पर खर्च	Expenditure on Elections by Political Parties	18
415.	लकड़मंडी-मानकपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Lakarmandi Mankapur Line into Broad Gauge ..	18—19
417.	रेल हड़ताल के पश्चात् गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की रिहाई और उनकी बहाली	Release and Reinstatement of arrested persons after Railway Strike	19

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
418.	महालक्ष्मी एक्सप्रैस गाड़ियों में डीजल इंजन लगाया जाना	Dieselisation of Mahalaxmi Express	19
419.	धनबाद और पटना तथा गोमोह और खड़गपुर के बीच सीधी एक्सप्रैस गाड़ी	Direct Express Train between Dhanbad and Patna and between Gomoh and Kharagpur	20
420.	कलकत्ता और दिल्ली के बीच तेज गाड़ियों का विलंब से चलना	Late running of Fast Trains between Calcutta and Delhi	20
421.	सूक्ष्मतरंग स्वचालित चेतावनी व्यवस्था	Microwave Automatic Warning System	20—21
422.	केरल तट के साथ साथ तेल की संभावनाओं का भूकंपीय अध्ययन	Seismic study of oil prospects along Kerala Coast	21
423.	रेल टिकटों की चोरबाजारी	Black Market in Rail Tickets	21—22
424.	दिल्ली में लोक द्रुत यातायात की व्यवस्था	Mass Rapid Transit System in Delhi	22—23
425.	असीम साहस के लिए भारतीय रेलवे द्वारा सम्मानित किए गए व्यक्ति	Persons Honoured by Indian Railways for Rare Gallantry	23

अता० प्र० सं०

U. S. Q. Nos.

2876.	डीजल की कमी का कृषि उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Shortage of Diesel on Agricultural production	24
2877.	बिड़ला उद्योग समूह द्वारा कंपनी अधिनियम का उल्लंघन	Violation of Companies Act by Birla Group of Industries	24
2878.	राजस्थान में उत्पादित राक-फास्फेट का उपयोग	Utilisation of Rock Phosphate produced in Rajasthan	24
2879.	लघु प्लास्टिक उद्योग, पश्चिम बंगाल में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Small Scale Plastic Industry, West Bengal	24—25
2880.	दिल्ली में नहाने के साबुन की कमी	Shortage of Toilet Soap in Delhi ..	25—26
2881.	पांचवी पंचवर्षीय योजना में रेलवे स्कूलों का खोला जाना	Opening of Railway Schools in Fifth Five Year Plan	26
2882.	रेल कर्मचारियों को खेलकूद के लिए प्रोत्साहन	Promotion of Sports among Railwaymen ..	26
2883.	राजेन्द्र पुल हाल्ट को स्थानान्तरित करने की मांग	Demand to shift Rajendrapul Halt	26—27
2884.	चौथी योजना के दौरान केरल में बनाई गई नई रेलवे लाइनें	New Railway lines constructed in Fourth Plan in Kerala	27

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2885.	गत छः महीनों के दौरान दक्षिण रेलवे पर हुई दुर्घटनाएं	Accidents on Southern Railway during the last six months	27—28
2886.	दक्षिण रेलवे में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक	Unmanned Railway crossing in Southern Railway	28—29
2887.	प्रयुक्त स्नेहक इंजन तेलों के पुनर्शोधन के लिए देशी विधियां	Indigenous Technologies for refining of used lubricating engine Oils ..	29
2888.	स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड द्वारा जे० के० इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2 करोड़ रुपए का प्रस्तावित पूंजी निवेश	Proposed Investment of Rs. 2 Crores by Straw Products Ltd. in J. K. Industries Ltd.	29—30
2890.	भारतीय तेल निगम द्वारा हरियाणा में छोटे उद्योगों को भट्टी के तेल का दिया जाना	Release of Furnace Oil to Small Scale Industries in Haryana by I. O. C.	30
2891.	मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली	Managing Agency System ..	30
2892.	कच्छ की खाड़ी में सालया में भारतीय तेल निगम द्वारा वाटर आयल टर्मिनल बनाया जाना	Construction of water Oil Terminal by I.O.C. at Salaya in Gulf of Kutch	31
2893.	बरौनी तेल शोधक कारखाने के डिजाईन में परिवर्तन करने का निर्णय	Decision to modify the design of Barauni Refinery	31—32
2894.	उत्तर पूर्व रेलवे में ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो गिरफ्तार तथा रिहा किए गए तथा जिन पर मुकदमें चलाए गए	Employees arrested, released and prosecuted in North Eastern Railway	32
2895.	मई, 1974 में दक्षिण पूर्व रेलवे में रद्द की गई रेल सेवाएं	Trains cancelled on S. E. Railway in May, 1974	32
2896.	पूर्वोत्तर रेलवे में बर्खास्त किए गए, निलंबित किए गए और पुनः काम पर लिए गए कर्मचारी	Employees Dismissed/Suspended and Reinstated in North Eastern Railway	32—33
2897.	रेलवे सुरक्षा दल के जवानों द्वारा गेंहूं और चीनी की कथित चोरी	Alleged pilferage of Wheat and Sugar by R. P. F. personnel from Wagons	33
2898.	कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत चलाए गए मुकदमें	Prosecution Initiated against Companies under the Companies Act.	33
2899.	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मेथानोल का उत्पादन	Production of Methanol by F. C. I.	33—34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2900.	वर्ष 1972 और 1973 के दौरान हुई रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents during 1972 and 1973	34
2901.	वर्ष 1972-73 और 1973-74 में 8 मई से 27 मई, तक भारतीय रेलवे की आय	Earnings of Indian Railways from 8th May to 27th May, in 1972-73 and 1973-74	34—35
2903.	बिहार को अधिक मात्रा में डीजल तेल का आवंटन	Allocation of more Diesel Oil to Bihar	35
2904.	भारत में एक तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के लिए डुबाई के साथ समझौता	Agreement with Dubai for Setting up of an Oil Refinery in India ..	35
2905.	मथुरा तेलशोधक कारखाने के लिए डिजाइन, परिमापियों और सप्लाई, सूचियों का निर्धारण करने के बारे में समझौता	Protocol for setting up schedules of Supplies and Design parameters for Mathura Refinery ..	35—36
2906.	भारतीय रेलवे में संगणकों का लगाया जाना	Installation of Computers on Indian Railways	36
2907.	सरकारी क्षेत्र में साबुन का उत्पादन	Manufacture of Soaps in Public Sector	36—37
2908.	दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के रुपसा बांगरीपोसी सेक्शन में माल यातायात के लिए वैगन	Wagons for Goods Traffic in Rupsa-Bangriposi Section Khargpur Division (Southern Eastern Railway)	37
2909.	रुपसा-बांगरीपोसी सेक्शन में नैरोगेज यात्री गाड़ी के डिब्बों की जीर्ण-शीर्ण हालत	Dilapidated condition of coaches of Narrow Gauge Passenger Train in Rupsa-Bangriposi Section ..	37—38
2910.	विदेशी औषधि कम्पनियों के लाभों के बारे में लागत तथा लेखा समिति की सिफारिशें	Recommendations of Costs and Accounts Committee on Profits of Foreign Drug Companies ..	38
2911.	भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने का आधुनिकीकरण करने संबंधी प्रस्ताव	Proposal for modernisation of Sindri Unit of F. C. I.	38—39
2912.	उर्वरकों के उत्पादन हेतु इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड की लाइसेंस प्राप्त क्षमता	Licensed capacity of the Indian Explosives Limited for production of fertilisers	39
2913.	धनबाद स्थित एन०सी०सी०आर० का कार्यालय	N. C. C. R's. Office at Dhanbad	39—40

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2914.	हड़ताल के दौरान नौकरी से हटाए गए आल इंडिया रेलवेमेन्स फैडरेशन के नेताओं का नौकरी पर बहाल किया जाना	Reinstatement of leaders of A. I. F.R. removed from service during strike	40
2916.	मध्य प्रदेश में खनिज उद्योगों के लिए माल डिब्बों की सप्लाई के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की शिकायत	M. P. Government's complaint for supply of wagons to Mineral industries in Madhya Pradesh ..	40
2917.	रेलवे अधिकारियों द्वारा सेना को तैनात किया जाना	Deployment of Army by Railway Authorities	40—41
2918.	रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों का खपाया जाना	Absorption of Railway Electrification Staff	41
2919.	न्यायालयों में न्यायाधीशों को सम्बोधित करने का तरीका	Mode of Addressing Judges in Courts	41
2920.	मध्य प्रदेश को डीजल तेल का आवंटन	Allocation of diesel oil to Madhya Pradesh	42
2921.	स्थानीय गाड़ियों को बन्द करना	Suspension of local trains ..	42
2922.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित मोटरों को बरौनी एवं अन्य, उर्वरक संयन्त्रों में प्रयोग में लाना	Utilisation of motors manufactured by B.H.E.L. in Barauni and other Fertiliser Plants	42
2923.	हड़ताल में भाग लेने वाले स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर	Station Masters/Assistant Station Masters who participated in strike	42
2924.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केरल के तट-दूर क्षेत्रों में तेल के लिए सर्वेक्षण	Survey for oil in off-shore areas of Kerala by O.&N.G.C.	43
2925.	कडकावूर स्टेशन पर विकास कार्य	Development works at Kadakavur Station	43
2926.	पश्चिम बंगाल में गायघाट के उपचुनाव की जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए चुनाव कानूनों का संशोधन	Amendment to Election Laws in the Light of findings of inquiry into Bye Election in Gaighata in West Bengal	43—44
2927.	सौराष्ट्र में स्थित सोडा ऐश संयंत्रों के लिए माल डिब्बों की कमी के बारे में शिकायतें	Complaints of shortage of Wagons for Soda Ash Plants located in Saurashtra	44

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2928.	आई०ओ०सी० द्वारा बिजलीघरों को सप्लाई किया गया भट्ठी तेल	Furnance Oil supplied to Power Houses by IOC	45
2929.	कच्चे तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के नियतन में कटौती	Cut in Allocation of Foreign Exchange for Import of Crude ..	45
2930.	उत्तर प्रदेश में मैसर्ज बालकृष्ण पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे पेट्रोल स्टेशन	Petrol Stations run by M/s Balkrishna Poddar in Uttar Pradesh	45—46
2931.	माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण संयंत्र में जमा सोडा ऐश	Soda Ash accumulated in Plant due to non-availability of wagons ..	46
2932.	औद्योगिक विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन	Amendment to MRTP Act to make it more effective for industrial Development	47—48
2933.	बम्बई में विक्रोली स्टेशन के निकट घातक खंभा	Killer pole near Vikhroli Station in Bombay	48
2934.	मैसर्ज शार्पएज लिमिटेड, नई दिल्ली में मैसर्ज हिन्दुस्तान लीवर्ज लिमिटेड के शेयर	Shares held by M/s Hindustan Levers Ltd. in M/s Sharpedge Ltd. New Delhi	48—49
2935.	आर्थिक आपात अवधि के दौरान नयी लाइनों का बिछाना	Laying of New Lines during Economic Emergency period ..	49
2936.	उड़ीसा को रसायन उद्योग के लिए दिए गए औद्योगिक लायसेंस	Industrial Licences granted to Orissa for Chemical Industry	49—50
2937.	ड्यूटी पर तैनात रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने की पेशकश	Offer of Employment to Dependents of those Killed while on duty	50—51
2938.	छिद्रण उपकरण के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की योजना	Plan of O & NGC for Self sufficiency in Drilling Equipment	51
2939.	दक्षिण रेलवे के अनुसूचित जातियों के निष्ठावान कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए रोजगार	Employment of Sons/Daughters of Loyal Workers belonging to Scheduled Castes on Southern Railways	51
2940.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद	Vacancies Reserved for S.C./S.T. ..	52
2941.	रेलवे सेवा आयोग द्वारा हिन्दी में परीक्षाएं लेना	Holding of examinations in Hindi by Railway Service Commission ..	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2942.	इंडियन एयर लाइन्स विमान ईंधन के मूल्य में कमी करने की मांग	Reduction in price of Aviation Fuel sought by Indian Airlines ..	52
2943.	किरिबुरू खान के मुहाने से लौह अयस्क का प्रेषण	Despatch of Ore from pit head in Kiriburu	52—53
2944.	देश में कुकिंग गैस की कमी	Shortage of Cooking Gas in the country	53—54
2945.	अलाभकार निर्धारित मूल्यों के कारण साबुन के उत्पादन में कमी	Decline in production of soaps due to uneconomic fixed prices ..	54
2946.	अपटा-दासगांव रेलवे लाइन के लिए अर्जेन्सी सर्टिफिकेट	Urgency Certificate for Apta-Dasgaon Railway Line	54—55
2947.	निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव	Proposal to Reform Electoral System	55
2948.	रेल सेवा में हरिजन तथा अन्य अनुसूचित जातियों के कर्मचारी	Harijans and other Scheduled Caste Employees in Railway Service	55
2949.	उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या	Number of Judges in High Courts and Supreme Court	56
2950.	रेलवे बोर्ड के कार्यालय में असिस्टेंट (तृतीय श्रेणी) के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of posts of Assistant (Class III) in Railway Board's Office	57
2951.	त्रिवेंद्रम एर्नाकुलम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Trivandrum-Ernakulam Railway Line	57
2952.	दिल्ली, शाहदरा और सहारनपुर के बीच नयी बड़ी लाइन	New Broad Gauge line between Delhi, Shahdara and Saharanpur	57—58
2953.	लोनी (जिला मेरठ—उत्तर प्रदेश) और दिल्ली के बीच रेल सम्पर्क	Rail connection between Loni (District Meerut—U.P) and Delhi ..	58
2954.	नई योजना के अन्तर्गत इंडेन गैस की एजेंसी के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र	Applications received for Indane Gas Agencies under New Scheme ..	58—59
2955.	दबाव के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों द्वारा वक्तव्य	Statement by Railwaymen under pressure	59
2956.	मेरठ में उच्च न्यायालय की एक न्याय-पीठ स्थापित करने की मांग	Demand for setting up a Bench of High Court at Meerut	59
2957	बिहार में गंगा नदी पर राजेन्द्र ब्रिज नामक रेल एवं सड़क-पुल के निकट रेलवे लाइन का हटाया जाना	Demolition of Railway line near Rail-cum-road Rajendra Bridge over Ganga in Bihar	60

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2958.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेल लाईन	New Railway lines during Fifth Five Year Plan	60—61
2959.	दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र को चालू करना	Commissioning of Durgapur fertiliser Unit	61—62
2960.	कोयला अथवा नेफ्था पर आधारित उर्वरकों के उत्पादन के बारे में विवाद	Controversy over production of Fertilisers based on coal or Naphtha	62
2961.	समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) तक बड़ी लाइन	Broad gauge line from Samastipur to Muzaffarpur (North Eastern Railway)	62
2962.	रेलवे हड़ताल के दौरान काम करने वाले प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to territorial Army Personnel who worked during Railway Strike	63
2963.	मैसर्ज हॉयस्ट और मैसर्ज वार्नर हिन्दुस्तान द्वारा नियुक्त विदेशी तकनीशियन	Foreign technicians employed by M/s Hoechst and M/s Warner Hindustan	63—64
2964.	विविधिकरण की अनुमति देने के लिए शर्तें	Conditions for permitting diversification	64—66
2965.	मैसर्ज हॉयस्ट तथा फाइजर्स द्वारा फुट तथा माउथ वैक्सीन का उत्पादन	Production of Foot and Mouth Vaccine by M/s Hoechst and Pfizers	66
2966.	मैसर्ज हॉयस्ट द्वारा सी०ओ०बी० लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र देना	C.O.B. licence applied for by M/s Hoechst	66—67
2967.	मैसर्ज वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा पिकोलिन का निर्माण	Manufacture of Picolines by M/s Warner Hindustan Limited ..	67—68
2968.	विदेशी औषध फर्मों की विदेशी इक्विटी पूंजी को परिसमाप्त करने के लिए अध्ययन दल की सिफारिशें।	Recommendations of Study team for Liquidating Foreign Equity of Foreign Drug Firms	68
2969.	विदेशी इक्विटी पूंजी को परिसमाप्त करने के लिए मैसर्स मे एण्ड बेकर का प्रस्ताव	Proposal of M/s May & Baker for Liquidating its Foreign Equity ..	69
2970.	मैसर्ज हैक्स्ट को जारी किये गये लाइसेंस	Licences issued to M/s Hoechst ..	69
2971.	भारतीय औषध उद्योग को विदेशी फर्मास्युटिकल फर्मों के समकक्ष न लाने के लिए आई० डी० एम० ए० तथा ए०आई०एम०ओ० से अभ्यावेदन	Representation from IDMA and AIMO for not placing Indian Drug Industry at par with Foreign Pharmaceutical Firms	69—70

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2972.	कोयले की ढुलाई के लिए संयुक्त योजना	Composite Plan for movement of Coal	70
2973.	रेलवे प्रशासन द्वारा स्वीकार की गई कर्मचारियों की मांगों की क्रियान्विती	Implementation of Demands of Employees conceded by Railway Authorities	70—71
2974.	ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्रा०) लिमिटेड	Drilling Equipment (P) Limited	71—72
2975.	कुछ औषध फर्मों की परिसम्पतियां, उत्पादन और लाभ	Assets, Production and profits of certain Drug Firms	72—73
2976.	भारतीय रासायनिक निगम की स्थापना	Setting up of Chemical Corporation of India	73
2977.	विरामगाम ओर ओखा के बीच बड़ी का लाइन निर्माण	Construction of Viramgam-Okha Broad Gauge Railway Line ..	73
2978.	औषध उद्योग को मूल्य वृद्धि के कारण मुआवजा देने हेतु अन्तरिम राहत देना	Interim Relief to Drug Industry to compensate price increase ..	73—74
2979.	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के समक्ष विचाराधीन पड़े मामले	Cases pending before MRTP Commission	74
2980.	लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई के लिए ठेके देने की प्रक्रिया	Procedure for giving contracts for the supply of Wooden Sleepers	74—75
2981.	देश में क्रिओसोट संयंत्र की स्थापना	Setting up of Creosoting Plant in the country	75
2982.	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये गय पैट्रोल पम्प	Petrol stations run by ITDC	75
2983.	भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों को दी गई सुविधाएं	Facilities provided to Directors of FCI	75—77

अल्प सूचना प्रश्न — Short-Notice Questions

अ० सू० प्र० सं० 5 S. N. Q. No. 5		
जीवन-रक्षक औषधियों की कमी	Scarcity of Life-Saving Drugs ..	77—78
ब्रिटिश कोलम्बिया के अध्यक्ष का स्वागत	Welcome to the Speaker of British Colombia	78
जीवन रक्षक औषधियों की कमी संबंधी अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5 के बारे में	Re. Short Notice Question No. 5 on scarcity of life-saving drugs	78
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Paperson Laid the Table ..	78—80

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled tribes	80
27वां प्रतिवेदन	Twenty-Seventh Report	80
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re.Question of Privilege	80
चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण संबंधी भार्गव आयोग के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में विलंब	Delay in laying on the table Report of Bhargava Commission on Nationalisation of Sugar Industry	80—82
हड़ताल के बाद की स्थिति के संबंध में रेल मंत्री की राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Railway Minister's Discussion with the President about past strike situation ..	82—86
श्री एल० एन० मिश्र	Shri L. N. Mishra	82—83
नियम 377 के अंतर्गत मामले	Matters under Rule 377	86—89
(एक) अपर इंडिया एक्सप्रैस में खतरे की जंजीर की व्यवस्था के फेल हो जाने का समाचार	Reported failure of alarm chain system in upper India Express ..	86—88
(दो) मिदनापुर में समुद्री तूफान और ज्वार भाटा से हुई क्षति का समाचार	Reported Damage caused by Cyclone and tidal waves in Midnapore	88—89
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974	Finance (No. 2) Bill, 1974	89—99
अनुसूची तथा खंड-1	The Schedule and Clause-1 ..	89—93
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	93
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	93—94
डा० रानेन सैन	Dr. Ranen Sen	94—95
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	95—98
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	98
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	98—99
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	99
वर्ष 1974 के अध्यादेश संख्या 7 तथा 9 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1974	Statutory Resolutions re. Disapproval of Ordinances Nos. 7 and 9 of 1974 and Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Bill, 1974	100—105
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ..	100
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma	100—101
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	101—102
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	103
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	103—104
श्री जे० माथा गौडर	Shri J. Matha Gowder	104—105
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	105

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 20 अगस्त, 1974/29 श्रावण, 1896 (शक)

Tuesday, August 20, 1974/Sravana 29, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Wagon Requirements in Madhya Pradesh

*408. **Shri Shrikrishna Agarwal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of wagons required at various railway stations in Madhya Pradesh for transportation of forest produce in the state monthly taking the average of last one year;

(b) the number of wagons made available at every station each month from November, 1973 to the end of July, 1974;

(c) whether an agreement was reached between the Railway Administration and the Forest Department of Madhya Pradesh in regard to wagon requirements; and

(d) if so, the extent of co-operation extended by Railway Administration under this agreement ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) नवम्बर, 1973 से जुलाई, 1974 तक मध्य प्रदेश के प्रत्येक स्टेशन पर वन उपज के परिवहन के लिए कितने-2 माल डिब्बे उपलब्ध कराये गये, यह संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस अवधि में मध्य प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर वन-उपज से औसतन 5089 माल डिब्बे लादे गये। जबकि प्रतिमाह शुद्ध मांग 9597 माल डिब्बों की है।

(ग) और (घ) 19-11-1973 को, मण्डल अधीक्षक, बिलासपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे और रामपुर विलासपुर तथा भोपाल सर्किलों के वन-विभाग के कन्जर्वेटिरों की एक संयुक्त बैठक हुई थी जिसमें इसकी ढुलाई से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया।

इस बैठक में वन विभाग ने अपनी वार्षिक आवश्यकता प्रस्तुत की। अधिमानतः उच्च अग्रता वाले यातायात की निकासी करने की रेलवे की बचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश से वन उपज के परिवहन के लिए रेल प्रशासनों द्वारा यथासम्भव अधिकतम सहयोग दिया जा रहा है।

Shri Shrikrishna Agarwal : The Hon. Minister has mentioned that 5,089 wagons were made available against the demand of 9,597 wagons. He has said that the efforts are being made to meet the demand. He has been saying this since long that the efforts are being made to meet the demand. Indents for 1972 has not so far been cleared, wagons are not being made available. There are a large number of tribals and Harijans there in my state and they depend on forest produce for their living. Therefore, transportation of the forest produce is must for their living. May I know whether the hon. Minister is considering it seriously that wagons are supplied in maximum number to Madhya Pradesh so that tribals and Harijans for this backward state may get some relief.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There can not be any difference of opinion as regards developing of backward areas and adequate wagons supply to these areas. It is true that the supply position by May, 1974 was not satisfactory and the average supply was 4,638 wagons. But there has been considerable improvement during June and July and the average supply touched the figures of 6,664 wagons. If this trend continues, the backlog of 1972-73 will be cleared in coming few months.

Shri Shrikrishna Agarwal : May I know the time by which the indents for 1972 and 1973 will be cleared ? At certain stations engines, for 1974 indents are available and at certain stations engines for 1972 indents are waiting since long but the wagons are not being made available. There is no uniform policy in this regard and consequently hardships are being faced. Will the hon. Minister clarify his views in this regard ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The Wagons which were registered during 1972 or 1973 will be made available in the coming few months and thus the indents of the aforesaid period will be cleared.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Madhya Pradesh is very rich in forest produce. The Government of Madhya Pradesh is of the view that the State income may be raised with the availability of railway wagons and quick transportation of the forest produce. The State Government has requested for 9,597 wagons. May I know as to why the demand is not being met and the time by which wagons are expected to be supplied ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Transportation of the forest produce has been accorded priority. In Madhya Pradesh there is steel, coal, cement, paper and foodgrains also to be transported and all these goods have been given priority. It is because forest produce has been low priority, we are not able to meet the demand completely. As I have already explained, supply position by May was not satisfactory and we have supplied 6,600 wagons as the position improved considerably in June and July. If this position continues, we will be able to clear the indents made for 1972-1973 within coming two months period.

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know the time by wihch the Government will be able to meet the demand made for 9,597 wagons ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : At present I can not quote the exact date. We have made 4,638 wagons available by May. We have supplied 6,664 wagons during July. There is an increase of 2,000 wagons in one month. If this position continues we will make 9,000 wagon available within three months period.

मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कंपनी द्वारा बुक-स्टालों पर अश्लील साहित्य की बिक्री

*409. **श्री लालजी भाई**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे }: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों ने मैसर्ज ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को रेलवे प्लेटफार्मों के बुक स्टालों पर अशलील साहित्य बेचते हुए पकड़ा था;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों और यात्रियों ने उक्त कम्पनी द्वारा तस्करीकृत पुस्तकें और पत्रिकायें बेचे जाने के बारे में कोई शिकायतें की थीं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं। लेकिन निरीक्षण के दौरान दिल्ली मेन स्टेशन के मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी से उत्तेजक शीर्षक वाली पन्द्रह पुस्तकें जब्त की गयीं लेकिन प्रशासन द्वारा इन पुस्तकों को जांच किये जाने पर पता चला कि ये पुस्तक अश्लील नहीं थीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए कारवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

Shri Lalji Bhai : In my starred question No. 125 dated 30th July I had asked about the agreement for Book-Stalls in the A. H. wheelr and Company. The hon. Minister in his reply to that question had stated that M/s. A. H. Wheeler and Company was not shown any special favour and agreement was reached with them. It appears from the reply that if there has been favour if not special favour to the firm. In reply to this question he has said that fifteen books having suggestive titles were seized but the scrutiny of the books revealed that they are not obscene literature.

This is just like Chhoti Sadari gold scandal where gold turned into iron. Obscene books have been hide out. I susspect some foul play.

Mr. Speaker : You may remove your suspicion at some other occasion.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It is serious and cannot be removed on some other occasion.

Shri Lalji Bhai : Railway authorities as well as passengers were of the view that this was suggestive and obscene literature. Facts are available in this regard. But it has been hide out.

Mr. Speaker : Let us know the contents of the books. Have you read those books ? Which book have you read that has been hide out.

Shri Lalji Bhai : Books manifested nudity and the sale of the books was not in the interest of the society. The Government does not allow sale of such books. Such books have been seized.

Mr. Speaker : What is your question ? He may reply if he has followed the question.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I could not follow. The hon. Member should name the book he has objected to. I have brought those books with me and I can show these books to the House. Fifteen books we have seized. Titles of the books are fascinating but there is nothing objectionable inside the books.

Shri Lalji Bhai : The hon. Minister has said that there is nothing objectionable inside the books. I would like to submit that besides titles being suggestive books contained naked photos.

Mr. Speaker : Which book did you like ? Shri Daga.

Shri M. C. Daga : What is the obscene literature and whether he has read those books ?

Mr. Speaker : Send all those fifteen books to me. I will tell you.

Shri Satpal Kapur : We should have a parliamentary committee to decide the matter as to whether the books seized are obscene or not.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Our officers have gone through those books. They are of the view that there is nothing obscene about them.

श्री विश्वनारायन शास्त्री : क्या रेलवे विभाग में कोई ऐसा तंत्र है जो बुकस्टालों पर बेची जाने वाली किताबों के बारे में पता लगाये। दूसरे जब्त की गई पुस्तकें किस भाषा में लिखी गयी हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : पुस्तकें हिन्दी भाषा में हैं। ठेके की शर्तों के अनुसार बुकस्टाल अश्लील साहित्य नहीं बेच सकते। जैसे ही कोई शिकायत प्राप्त होती है जांच की जाती है। इस मामले में बुक-स्टाल समिति को एक सदस्य ने शिकायत की थी और 15 पुस्तकें जब्त की गयीं। बाद में पता चला कि उनमें कुछ भी अश्लीलता नहीं है।

Mr. Speaker : We have to read such type of books. If such type of books are not there, it is difficult to spend time while travelling.

श्री जगन्नाथ राव : क्या इन पुस्तक स्टालों पर अश्लील साहित्य की बिक्री पर प्रतिबन्ध है ? क्या पकड़ी गई उक्त 15 पुस्तकें अश्लील थीं ?

अशोधित तेल की कमी

*411. **श्री निहार लास्कर**
श्री पी० ए० सामिनाथन } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करगें कि :

(क) क्या आगामी मासों में, देश में अशोधित तेल की भारी कमी होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस कमी का सामना करने के लिए पहले से ही क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) अपरिष्कृत तेल के मूल्य में अक्तूबर 1973 से हुई अत्याधिक वृद्धि और जनवरी 1974 से उसमें और अत्याधिक वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, देश में पैट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए अपरिष्कृत तेल के आयातों में विदेशी मुद्रा की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस समय समस्या तेल न मिलने की नहीं है बल्कि समस्या अपरिष्कृत तेल के आयातों में होने वाली विदेशी मुद्रा की लागत को पूरा करना है। उपलब्ध विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में अपरिष्कृत तेल का आयात करने के लिए 858 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का आवंटन किया जाएगा। इससे हम वित्तीय वर्ष में लगभग 13 मिलियन मीटरी टन अपरिष्कृत तेल का आयात करने में समर्थ होंगे जबकि गत वित्तीय वर्ष में 14.07 मिलियन मीटरी टन का आयात किया था। 262 करोड़ रुपये की लागत पर कुछ विशिष्ट गुण वाले उत्पादों, शोधनशाला के रसायनों आदि सहित लगभग 3.1 मिलियन मीटरी टन के उत्पाद आयात को भी इस वर्ष योजनाबद्ध किया है। अपरिष्कृत तेल के मूल्य के असर को कम करने के लिए अपरिष्कृत तेल के आयातों के लिए ईराक और ईरान के साथ द्विपक्षीय समझौता करने की व्यवस्था की गई है।

आयातित और देशज दोनों प्रकार के अपरिष्कृत तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित उपलब्धता से पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया है। आशा की जाती है कि इससे अनिवार्य जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

इसके साथ-साथ निकट भविष्य में देशज अपरिष्कृत तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं और वर्ष 1978-79 तक 11.42 मिलियन मीटरी टन तक उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए भी कार्रवाई की जा चुकी है।

श्री निहार लास्कर : इसके कुछ भी कारण हों। चालू वर्ष में उत्पादों की बहुत कमी रही है। हमारी मांगों को कैसे पूरा किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : देश की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिये हमें अपनी खपत कम करनी होगी। हमने मोटर सिप्रिट की खपत में कमी करने के लिये कार्यवाही की है। हमने मिट्टी की तेल की खपत में भी 30 प्रतिशत कटौती की है। हमने राज्य सरकारों को भी ईंधन तेल और डीजल तेल की खपत में कमी करने के लिये लिखा है।

श्री निहार लास्कर : अब हमारे लिये केवल एक विकल्प रह गयी है और वह यह कि हम देश में अशोधित तेल के उत्पादन में वृद्धि करें। अधिकांश पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ बहुत सम्भावित क्षेत्र हैं, क्या सरकार उन क्षेत्रों की ओर ध्यान दे रही है अथवा उन क्षेत्रों में इसके लिये प्रयास कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : माननीय सदस्य का यह कथन उचित है कि हमें देश में तेल की खोज के कार्य में तेजी लाने का प्रयास करना चाहिये। बम्बई समुद्र क्षेत्र में पाये गये तेल की समस्त देश को जानकारी है। बम्बई समुद्र क्षेत्र में तेल कुओं की सफलता के आधार पर हम उन कुओं के निकट और अधिक कुएं खोदने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पूर्वी क्षेत्र में गालिकी नामक स्थान पर हम एक ऐसे कुएं का पता लगा है जिससे बहुत अधिक तेल प्राप्त होने की सम्भावना है। जैसा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष ने उल्लेख किया है 2 वर्ष के अन्त तक हम देश में अशोधित तेल के उत्पादन में लगभग 20 लाख टन की वृद्धि करने में समर्थ हो जायेंगे। इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी।

श्री निहार लास्कर : त्रिपुरा में ?

श्री शाहनवाज खां : त्रिपुरा, लेकवा और अन्य क्षेत्रों में छिद्रण कार्य प्रगति पर है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री द्वारा इस संदर्भ में अभी उल्लेख की गई बात को ध्यान में रखते हुए क्या यह सच है अथवा नहीं कि अमरीकी तेल कम्पनियां डियागो गार्शिया के निकट इन क्षेत्रों में तेल की खोज में रियायतें चाहती हैं ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री शाहनवाज खां : भारतीय तट के साथ कुछ क्षेत्रों का चित्रण किया गया था और बम्बई समुद्र तट को अपनी खोज के लिये आरक्षित करने के बाद, हमने इन क्षेत्रों में भारतीय समुद्र में किसी देश द्वारा, जो हमारी शर्तों को स्वीकार करने के लिये तैयार हो, खोज करने की छूट दी हुई है। कुछ कम्पनियां इस बारे में पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुकी हैं हम कुछ उन और कम्पनियों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्होंने इस बारे में रुचि दिखाई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इस बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं।

श्री शाहनवाज खां : उन्होंने डियागो गार्शिया के निकट कोई विशेष रियायत देने का अनुरोध नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : डिआगों गार्शिया के निकट उन्होंने किसी विशेष रियायत का अनुरोध नहीं किया है। लेकिन उन्होंने सामान्य रियायतों का अनुरोध किया है। डिआगो गार्शिया के निकट अमरीकी कम्पनियां किन क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य करने की इच्छुक हैं ? यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सभा में डिआगो गार्शिया के मामले पर इसलिये चर्चा की गई थी क्योंकि हम भी सरकार की भांति इस मामले पर चिन्तित हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या अमरीकी लोग तेल की खोज के बहाने डियागो गार्शिया के निकट जाल बिछाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने जो कहा है उससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है। यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि उन्होंने किसी विशेष रियायतों का अनुरोध नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने किन सामान्य रियायतों का अनुरोध किया है।

श्री शाहनवाज खां : यह अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर है। कोई भी राष्ट्र टेंडर भेज सकता है।

श्री दिनेश गोस्वामी : माननीय मंत्री ने बताया है कि अशोधित तेल की कमी को पूरा करने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की एक नीति उत्पादन बढ़ाने की है। इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में गत वर्ष अशोधित तेल का कितना उत्पादन हुआ, इस वर्ष इसमें कितनी वृद्धि हुई और इस वर्ष के अन्त तक सरकार को इसमें कितनी वृद्धि होने का अनुमान है।

श्री शाहनवाज खां : इस समय मेरे पास इसका वास्तविक ब्यौरा नहीं है। लेकिन उसमें प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या वे कृपा कर हमें आंकड़े देंगे ?

श्री शाहनवाज खां : निश्चित रूप से।

श्री ए० के० एम० इसहाक : माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि क्या भारत में आसाम में सर्व प्रथम तेल पाया गया था और क्या आसाम में अब तेल शोधक कारखाना बहुत समय से बन्द हो गया है ? क्या पश्चिम बंगाल में तेल की खोज की गई थी और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बोदरा में विशेष रूप से तेल प्राप्त होने की सम्भावना थी ? वहां खोज का कार्य क्यों रोक दिया गया जबकि वहां तेल प्राप्त होने की सम्भावना थी ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत सामान्य सा प्रश्न है केवल आपके निर्वाचन क्षेत्र तक ही सीमित है।

श्री शाहनवाज खां : पश्चिम बंगाल में हमने छिद्रण कार्य आरम्भ किया था लेकिन हमें वहां तेल प्राप्त होने की अधिक सम्भावना नजर नहीं आई।

श्री ए० के० एम० इसहाक : आसाम के बारे में वही हुआ ?

श्री शाहनवाज खां : हम आसाम में तेल की खोज का कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती रोजा देशपांडे : मिट्टी के तेल की कमी को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार द्वारा खाना पकाने की गैस एल० पी० जी० के मूल्यों में कमी करने के बारे में विचार किया जा रहा है और मैं समझती हूं कि उस पर लागत अधिक नहीं आती है तथा उसका उपयोग केवल नगरीय क्षेत्र की औरतों द्वारा ही नहीं अपितु कुछ सीमा तक ग्रामीण क्षेत्र की औरतों द्वारा भी किया जा रहा है। इस मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में मुझे बताया गया था कि एल० पी० जी० का उपयोग केवल उच्च वर्ग के परिवारों द्वारा ही किया जाता है, परन्तु यह सत्य नहीं है। मेरा अनुरोध है कि उन्हें इस मामले की जांच करनी चाहिये और खाना पकाने की गैस के मूल्य में कमी करनी चाहियें जिससे कि कुछ सीमा तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

श्री शाहनवाज खां : मंत्रालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि ऐसा करने की कोई गुंजायश नहीं है। अब जिन माननीय सदस्या द्वारा यह सुझाव दिया गया है तो हम इस पर पुनः विचार कर लेंगे।

नेफथा क्रेकर प्रोजक्ट, कोयली के लिए नियत राशि

*412. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन ने गुजरात में कोयली स्थित नेफथा क्रेकर प्रोजैक्ट के लिए नियतन में शत प्रतिशत वृद्धि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस अनुरोध पर विचार कर लिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) पूर्व में 29.8 करोड़ रुपये के अनुमान के विपरीत 58.06 करोड़ रुपये का संशोधित लागत का अनुमान है। वृद्धि के कारण ह :

1. विनिमय दर में परिवर्तन
2. सीमा शुल्क तथा हेन्डलिंग खर्च में वृद्धि
3. मूल्यों में तीव्र वृद्धि
4. उत्पादन से पूर्व ब्याज
5. इंजीनियरिंग/प्राप्ति/निरीक्षण आदि के शुल्क में वृद्धि
6. पुनः डिजाइन तैयार करना तथा तकनीकी भिन्नताओं के परिणामस्वरूप मात्राओं में फेर-बदल के कारण वृद्धि
7. उत्पादन से पूर्व व्यय, उपनगर, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि, तथा
8. आकस्मिकताओं में वृद्धि।

संशोधित लागत पर सरकार विचार कर रही है।

श्री डी० डी० देसाई : सरकार के सभी आश्वासनों के बावजूद भी नेफथा क्रेकर प्रोजैक्ट में विलम्ब हुआ है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अनेक औद्योगिक एकक यह उत्पाद उपलब्ध होने पर ही चलते रह सकते हैं, तो क्या सरकार ने इस परियोजना को चालू करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है? क्या इसके लिए अपेक्षित मुद्रा प्राप्त हो गई है या उसके बारे में अभी तक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और यह स्थिति कब तक बनी रहेगी ?

श्री शाहनवाज खां : यह ठीक है कि इस संयंत्र को चालू करने में दो वर्ष का विलम्ब हो रहा है जिससे सम्बद्ध कारणों का अभी मैंने उल्लेख किया है। परियोजना पर आने वाली लागत बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस समय इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता।

श्री डी० डी० देसाई : हाल ही में पेट्रोलियम और रसायन मंत्री द्वारा विदेशी तेल शोधक कारखानों को अपने हाथ में लेने की बात की गई थी। उन्होंने कहा था कि वह ऐसा करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसके साथ ही सरकार देश में इस प्रकार के औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि करने के लिए कटिबद्ध है जो कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम पर आधारित हो। कहीं ऐसा न हो, कि वर्तमान क्षमताओं को अर्जित करने में ही हमारे यह सिमित संसाधन नष्ट न हो जाये या इस धनराशि को उर्वरकों, पेट्रो-रसायनों, फार्मास्यूटिकल्ज तथा इस मंत्रालय की सरकारी क्षेत्र की अन्य सामाजिक परियोजनाओं की क्रियान्वति के लिए खर्च न कर दिया जाये। मैं संसाधनों की बात कर रहा हूं।

श्री शाहनवाज खां : यह सदन को मालूम ही है कि देश में संसाधनों की स्थिति काफी गंभीर है। परन्तु यह परियोजना तो आरम्भ हो ही चुकी है। हमने 75 प्रतिशत से भी अधिक उपकरणों के क्रमादेश दे दिये हैं। सिविल इंजीनियरिंग कार्य आरम्भ हो गया है। हम पहले ही इस कार्य में काफी प्रगति कर चुके हैं और हमें आशा है कि हम इसे बनाये रखेंगे।

श्री डी० डी० देसाई : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा।

श्री शाहनवाज खां : हमें आशा है कि हम इन संयंत्रों को 1976 में चालू कर देंगे।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध आरोप

***413. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध अनुचित तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अपनाने का आरोप लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो वे मुख्य आरोप क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को मै० शाहमनी लाल मोतीचन्द एण्ड सन्स, पुना से यह आरोपित करते हुए एक परिवाद प्राप्त हुआ था कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड अनेक निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं में निरत है। आवेदन-पत्र के अन्तरीम आदेशों के लिये, सुनवाई एवं अन्तिम निपटान के अनिर्णीत होने से, आयोग ने एक तदर्थ अन्तरीम आदेश व रोकादेश द्वारा, उत्तरवादियों को शिकायतकर्त्ताओं के पुर्नवितरण संग्रहणन से हटाने से अवरोधित एवं निषेध कर दिया। यह तदर्थ अन्तरीम रोकादेश पीछे मुक्त कर दिया गया था। रोकादेश का आवेदन-पत्र 22 जुलाई, 1974 को 250 रु० तक की मात्रा की लागत सहित खारिज कर दिया गया। मै० शाहमनी लाल मोतीचन्द एण्ड सन्स से परिवाद, मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अनेक व्यापारियों के साथ किये गये पुर्नवितरण संग्रहणकर्त्ता अनुबन्ध के मानक प्रपत्र, एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा (जांच) विनियम, 1970 के विनियम, 7 के अन्तर्गत मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के लिये प्रेषित नोटिस, में से प्रत्येक की एक

प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है, जिनसे हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा निरत होने के आरोप युक्त अनेक अन्याय व्यापार प्रथाओं का पता चलेगा। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये सं० एल० टी० 8230/74**] चूंकि यह मामला आयोग के समक्ष निर्णयाधीन है अतः आयोग के लिये अन्य अतिरिक्त सूचना भेजना संभव नहीं हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अगर यह मामला आयोग के पास है तो फिर सदन की जानकारी से वंचित क्यों रखा जा रहा है? यह कोई न्यायालय तो नहीं है। अतः इसे न्यायाधीन नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार की किसी प्रथा की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आयोग कोई न्यायालय तो नहीं है।

Shri Madhu Limye : Mr. Speaker sir, the word sub-judice is being used for each and every matter. Now sea-lands is sub-judice is also used for. In this way every thing is sub-judice. They are making a machinery of the Parliament.

श्री ज्योतिर्मय बसु : 'सब जुडिस' शब्द न्याय पालिका से सम्बद्ध है। परन्तु इसमें न्याय-पालिका कहां है? यह तो केवल आयोग है।

Shri Madhu Limaye : It is better to refer everything to a Commission.

अध्यक्ष महोदय : यह आयोग किस प्रकार का है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : प्रतिबन्धित व्यापार पद्धतियों के आरोपों तथा एकाधिकार पद्धतियों की जांच के बारे में आयोग के कृत्य भिन्न-भिन्न हैं। प्रतिबन्धित व्यापार पद्धतियों के सम्बन्ध में जब आयोग द्वारा शिकायतों की सुनवाई की जाती है तो उस समय आयोग एक परामर्श निकाय के रूप में नहीं अपितु एक न्यायाधिकरण के रूप कार्य करता है। उनके अर्द्धन्यायिक कृत्य होते हैं तथा वह गवाहियां लेते हैं। वह न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हैं और प्रतिबन्धित व्यापार पद्धतियों के बारे में हम उनके निर्णय के प्रति बद्ध होते हैं। अन्य मामलों में जब कोई एकाधिकार व्यापार पद्धतियों सम्बन्धी कोई मामला आयोग को भेजा जाता है, तो उसके लिए आयोग केवल परामर्शदाता की क्षमता में ही कार्य करता है और हम उनके निर्णय के प्रति बाध्य नहीं होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियम 41 (32) में कहा गया है :—

"आयोग साधारणतया किसी सांविधिक न्यायाधिकरण अथवा संविधिक प्राधिकरण, जो कि किसी प्रकार के न्यायिक अथवा अर्द्ध-न्यायायिक कार्यों में लगा हुआ हो, अन्यथा किसी आयोग अथवा जांच न्यायालय, जिसकी नियुक्ति किसी मामले की जांच करने के लिए हुई हो, के समक्ष अनिर्णीत मामलों के बारे में पूछताछ नहीं करेगा, परन्तु आयोग कार्यविधि अथवा विषय अथवा जांच के प्रक्रमा सम्बन्धी मामलों के बारे में उल्लेख कर सकेगा यदि इस प्रकार के उल्लेख से न्यायाधिकरण अथवा आयोग अथवा जांच न्यायालय द्वारा मामले के विचार पर बुरा असर पड़ने की संभावना न हो।"

अतः यह ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जिसका आयोग के निष्कर्षों पर प्रभाव पड़े।

Shri Madhu Limaye : Then you do one thing. You may accept that part of it which falls within the perview of facts.

Mr. Speaker : I wil look into it and then let you know.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय द्वारा जो पत्र पहले ही सभापटल पर रख दिए गए हैं, उन में पार्टियों द्वारा की गई शिकायतों का ब्यौरा दिया गया है। इन पार्टियों ने जिन मानक फ़र्मों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वह भी दिए गए हैं। प्राय: जो मामला न्यायाधीन होता है, उसके बारे में इस प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि इस प्रकार की जांच के मामलों में प्रक्रिया सम्बन्धी तथ्यों तथा पार्टियों की शिकायतों के बारे में प्रश्न पूछ जा सकते हैं। परन्तु जब उन के विचाराधीन मामलों के गुण-दोषों के बारे में आप किसी न किसी रूप में टिप्पणी कर देते हैं तो निश्चय ही निष्कर्षों पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप इस की उपेक्षा कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय निश्चय ही इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं, जो केवल तथ्यों के अन्तर्गत आती हो। परन्तु उन्होंने ऐसा करने से भी इन्कार कर दिया है। क्या आप उन्हें ऐसा करने का निदेश देगें?

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह भी तो मालूम होना चाहिए कि आप किस प्रकार के तथ्य चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान जी, आपने अपनी बुद्धिमता के आधार पर मेरे बारे में जो अपनी यह धारणा व्यक्त की कि जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो आप उसके बारे में काफ़ी सतर्क हो जाते हैं। मैं इसे तो अपनी प्रशंसा समझता हूं परन्तु इससे हमारे तथा सरकार के प्रति आपका रवैया स्पष्ट हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत चतुर व्यक्ति हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की विपणन व्यवस्था अनुचित तथा प्रतिबन्धित व्यापार पद्धतियों पर आधारित की क्योंकि बितरणों की उसे पूर्व निधारित मूल्य सूची से कम दामों पर वेचने की अनुमति नहीं थी और क्या यह भी सच है कि पूना के वितरक को इस लिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसने हिन्दुस्तान लीवर के उत्पादों को कम्पनी द्वारा निर्धारित मूल्यों से कम मूल्य पर बेचा था?

इस कम्पनी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसने 85 प्रतिशत विदेशी स्वमित्व के साथ वर्ष 1970-71 में 5 करोड़ रुपए का और वर्ष 1972-73 में 10.5 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पूना के वितरक को केवल इसलिए बर्खास्त किया गया था कि उसने हिन्दुस्तान लीवर के उत्पाद को पूर्व-निर्धारित मूल्य सूची के मूल्य से कम मूल्य पर बेचा?

अध्यक्ष महोदय : क्या हिन्दुस्तान लीवर इस विभाग के परिपेक्ष में आता है? आपने तो प्रतिबन्धात्मक एकाधिकार व्यापार प्रक्रिया आयोग के बारे में पूछा था। फिर भी मैं यह महोदय पर छोड़ देता हूं, यदि वह चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : सदस्य महोदय ने अपने प्रश्न के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त करनी चाही थी, वह उन्हें दे दी गई है। अब हम यह देखें कि मैंने जो कुछ कहा है वह ठीक है या नहीं। सबसे पहली बात वह यह जानना चाहते थे कि क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड पर प्रतिबन्धात्मक एकाधिकार व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा अनुचित तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया का आरोप लगाया गया है। वास्तविकता तो यह है कि यह प्रतिबन्धात्मक एकाधिकार व्यापार प्रक्रिया आयोग नहीं है परन्तु हमने सदन को यह जानकारी दी थी कि प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूना की एक फर्म द्वारा आयोग के समक्ष एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी जिसमें उसे उस क्षेत्र का स्टाकिस्ट कहा गया था। मैंने तो आयोग को शिकायत दर्ज करवाने वाले की मूल शिकायत भी सभापटल पर रख दी है। इस के साथ ही आयोग द्वारा सम्बद्ध व्यक्तियों को जारी किए गए नोटिस भी सभापटल पर रख दिए गए हैं। यह सभी मामले ऐसे हैं जिनकी जांच की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह तथ्य प्रकाश में लाना चाहता हूं कि जब वितरक ने कम्पनी के आदेशों की अवहेलना कर किसी उत्पाद को अपनी मर्जी से कम्पनी द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्यों से कम मूल्य पर बेचा, तो उसे बर्खास्त कर दिया गया। क्या केवल इसी कारण से उसे बर्खास्त कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसका पता लगाना तो आयोग का काम है, इसके बारे में ये यहां क्या निर्णय दे सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है या नहीं कि कम्पनी द्वारा मैसर्स मनोहर लाल मुंशी लाल के साथ मिल कर कर्मशियल ग्लास्रिन बेची जा रही है जिसका कि उन्होंने एक लम्बे समय से बढ़े हुए मूल्यों पर स्टाक कर रखा है और यह मूल्य पूर्व निर्धारित वर्तमान सूची मूल्यों से अधिक है और दूसरे यह कि क्या यह सच है कि उन्होंने वितरकों, एजेंटों तथा विक्रेताओं पर यह शर्त लगा दी है कि वह डिटर्जेंट भी बेचे और वह यह है कि यदि उन्हें किसी व्यक्ति को एक साबुन की टिकिया बेची है तो उस व्यक्ति को डिटर्जेंट के दो या तीन पैकेट खरीदने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। आपको उनके गत छः महीनों के विक्री आंकड़ों से पता चल जाएगा कि उनके डिटर्जेंट के विक्री आंकड़ों में कितनी वृद्धि हुई है। यह बहुत गंभीर मामला है। हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री बेदव्रत बरुआ : अन्तिम आरोप तो ठीक है। अनेक प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग के पास दर्ज करवाई जा रही है। हम इस प्रकार के मामलों की जांच कर रहे हैं। तथा इस प्रकार के अनेक मामले, जांच आयोग के यहां दर्ज करवाए जा रहे हैं।

कर्मशियल ग्लीस्रीन की विक्री के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। इन मामलों की देख-रेख का कार्य प्रशासनिक मंत्रालयों का है। हमें विभिन्न संसाधनों तथा माननीय सदस्यों से जो भी जानकारी और आरोप प्राप्त हुए हैं, हमने उन्हें पहले ही प्रशासनिक मंत्रालयों को भेज दिया है। हमने उन्हें उन सब मामलों की जांच करने तथा उनसे सम्बन्धी रिपोर्ट देने के लिए कह दिया है। जहां तक आयोग का सम्बन्ध है, जो कुछ भी संभव होगा,

उसे हम निश्चय ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे—यदि कोई प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, तो हम वह आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर टाल दिया है....

अध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक पूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं देता। उन्होंने बहुत स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारी सरकार एकाधिकारवादियों की दास है और विशेषतया विदेशी एकाधिकार वादियों की ओर यही कारण है कि वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है।

श्री बी० वी० नायक : मैं यह जानना चाहता हूं कि हिंन्दुस्तान लीवर बनाम पूना के प्राइवेट व्यापारी वाले मुकद्दमें में एकाधिकार निर्बंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने स्वप्रेरित कार्यवाही की थी और क्या इस किस्म का यह पहला मुकद्दमा है जिसमें एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने स्वयं कार्यवाही की है यदि यह पहला मामला है तो क्या भविष्य में ऐसी शिकायतों को बड़ी संख्या में दर्ज किया जाएगा ताकि वह एक प्रकार के ओम्बड्समैन के रूप में कार्य कर सके जैसाकि कागजों में कहा गया है।

श्री बेदब्रत बरूआ : निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं के संबध में यह पहला मुकद्दमा नहीं है। हमारे पास अन्य मुकद्दमें भी हैं। वास्तव में हमने कई मुकद्दमें दायर किए हैं। यह एक स्वप्रेरित मुकद्दमा नहीं था। असंतुष्ट पार्टी आयोग के पास गई और आयोग उसकी जांच कर रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड देश में साबुन और डालडा किस्म का वनस्पति घी बनाने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है और यही वस्तुएं आज सामान्य उपभोक्ता को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो रही हैं मैं यह जानना चाहता हूं, कि निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग यदि जांच उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जो भी शिकायतें इस सम्बंध में प्राप्त हुई हैं वह सही हैं और कम्पनी निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु दोषी है तो क्या इसी कारण इन आवश्यक वस्तुओं का अत्यधिक अभाव उत्पन्न हो गया है और उनके मूल्य बढ़ गए हैं, सरकार, ऐसे मामलों में जहांकि कम्पनी को जनता के हित के विरुद्ध कार्य करने का दोषी ठहराया जाता है किस प्रकार की कार्यवाही करती है क्या उन पर कुछ जुर्माना किया जाता है या सिर्फ उसका रिकार्ड करके छोड़ दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की जाती हैं।

श्री एच० आर० गोखले : यदि एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग इस मामले में या अन्य किसी मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अपनाई गई है तो निश्चय ही उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह उचित कार्यवाही क्या है। क्या इन पर मुकद्दमा चलाया जाता है अथवा उन्हें किसी प्रकार का दण्ड दिया जाता है या उन्हें साधारण तौर से करार की शर्तें बदलने के लिए कहा जाता है। वह देश की तबाही कर रहे हैं।

श्री बेदब्रत बरुआ : जहां तक इस कम्पनी द्वारा बनाई गई वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का प्रश्न है मैं इस संबन्ध में कुछ भी विस्तार से नहीं कहना चाहता क्योंकि निरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त हमारे पास कुछ अन्य अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक वनस्पति का सम्बन्ध है यह कम्पनी हमेशा सरकार को यह बताती रही है कि कच्चे माल की कीमतें ऊंची होने के कारण उन्हें लाभ नहीं हो रहा है। उनके लेखों के परीक्षण से हमें भी यही ज्ञात हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि कच्चे माल की ऊँची कीमत ही अंतिम बात है कई और तत्त्व लागत इत्यादि भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं किन्तु प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर हमें पता चला है कि उन्हें 100 रुपए से कुछ अधिक प्रति टन की हानि हो रही है।

श्री बेदब्रत बरुआ : मूल्य नियंत्रण एक बात है और निर्बन्धात्मक प्रक्रिया दूसरी बात है। विकास मंत्रालयों का संबंध कच्चे माल की कीमतों और मूल्य नियंत्रण इत्यादि से है। जहां तक साबुन का सवाल है दो किस्म के साबुन हैं। कुछ के लिए हमारे पास अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण उपाय हैं और कुछ के लिए नहीं। निर्बन्धात्मक प्रक्रिया अपनाने हेतु उन पर मुकद्दमा चलाया जा सकता है। किन्तु माननीय सदस्य ने जो कम उत्पादन का आरोप लगाया है उसके लिए हम निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के अन्तर्गत जांच नहीं करा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं यदि कम्पनी को दोषी ठहराया जाता है तो क्या सरकार उन पर मुकद्दमा चलाएगी ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं सदन को स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं कि मैं पहले स्थिति की जांच करूंगा और देखूंगा कि कम्पनी पर इस सम्बंध में मुकद्दमा चलाया जा सकता है अथवा नहीं, बाद में यह सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Shri Madhu Limaye : Mrs. Dandvate has told me that whenever she goes to super Bazar for buying Lux. Rexona soap etc she is forced to buy lifebuoy and washing soap chips also. Does this not come under restrictive practices.

श्री एच० आर० गोखले : यदि यह बात सही है तो मैं इस ओर न्यायाधिकरण का ध्यान आकर्षित करूंगा। वह इस बारे में मुझे लिख कर भेजें।

श्री बी० के० दास चौधरी : प्रश्न के उत्तर में दिए गए तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि इसके दो पहलू हैं पूना की विशेष फर्म द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा एक तदर्थ अंतरिम रोकादेश जारी किया गया था बाद में इसे मुक्त कर दिया गया। दूसरा पहलू यह है कि आयोग के समक्ष शिकायतों की लम्बी सूची है जिन्हें निर्णयाधीन मामला घोषित किया गया है अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर फर्म के विरुद्ध जारी किए गए रोकादेश को बाद में मुक्त कर दिया गया। न्यायालय के क्या निष्कर्ष रहे।

श्री एच० आर० गोखले : प्रथम दृष्टि के मामलों में चाहे वह न्यायिक हों अथवा अर्ध-न्यायिक तदर्थ अंतरिम रोकादेश न्यायालयों द्वारा जारी किए जाते हैं। उन्होंने संभवतया यह निर्णय किया है कि यह प्रथम दृष्टि का मामला था। यदि संभव हुआ तो मैं आदेश की एक प्रति प्राप्त करके सभापटल पर रख दूंगा।

विटामिन 'सी' का उत्पादन और आयात

*414. श्री एच० एम० पटेल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्रों में विटामिन 'सी' का कुल उत्पादन, अलग-अलग, कितना है ;

(ख) अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और प्रति वर्ष वास्तविक उत्पादन कितना होता है ;

(ग) इस समय देश में होने वाला उत्पादन देश की अनुमानित आवश्यकता से कितना कम पड़ता है और आगामी चार वर्षों में प्रति वर्ष कितना कम रहेगा ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि देश की उत्पादन क्षमता को बढाया जाये ताकि देश की आवश्यकता पूरी की जा सके ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) विटामिन "सी" के निर्माण के लिये स्थापित क्षमता तथा 1973 के दौरान इसके वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्र० सं०	पार्टी का नाम	लाइसेंसयुक्त क्षमता	स्थापित क्षमता	(आंकड़े मी० टनों में) 1973 में वास्तविक उत्पादन
सरकारी-क्षेत्र				
1.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०	125	125	शून्य (परीक्षण उत्पादन 1973 में शुरू हुआ था । वाणिज्यिक उत्पादन के बारे में उन्होंने अभी सूचना भेजनी है)
गैर-सरकारी क्षेत्र				
1.	साराभाई एम० कैमिकल्स	120	लागू नहीं	261
2.	सुनीता विटामिन्स एण्ड कैमिकल्स लि०	125	स्थापित की जा रही है ।	शून्य

(ग) वर्ष 1973 के दौरान देश में विटामिन 'सी" का उत्पादन 261 मीटरी टन था और 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान क्रमश: 280.63 मीटरी टन तथा 306 मीटरी टन का आयात किया गया था । वर्ष 1974-75 के दौरान राज्य व्यापार निगम की मार्फत 270 मीटरी टन की मात्रा का आयात किये जाने की योजना बनाई गई है । आगामी चार वर्षों के दौरान विटामिन "सी" के उत्पादन में कमी होने के सम्बन्ध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि आयात की जाने वाली मात्रा देशीय उपलब्धि पर निर्भर करगी ।

(घ) औषध एवं भेषजों पर योजना आयोग द्वारा नियुक्त किये गये कार्यकारी दल ने 1978-79 की विटामिन "सी" संबंधी मांग का अनुमान 900 मीटरी टन लगाया है। हिन्दुस्तान एण्टीवायोटिक्स लि० जो एक सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम है, पांचवीं योजना अवधि में अपनी क्षमता को 250 मीटरी टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का विचार रखता है। क्षमता को 480 मीटरी टन तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में मैसर्स साराभाई एम० कैमिकल्स के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जा रहा है।

एक नया यूनिट स्थापित करने के लिये प्रतिवर्ष 150 मीटरी टन विटामिन "सी" की क्षमता के लिये श्री डी० आर० गांधी को एक आशय पत्र दिया गया है। 125 मीटरी टन विटामिन "सी" की क्षमता के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में मैसर्स गोयनका एण्ड कम्पनी के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

यह आशा है कि इन उपायों से पांचवीं योजना के अन्त तक देश की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा किया जा सकेगा।

श्री एच० एम० पटेल : क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि विटामिन 'सी' का इतनी अधिक मात्रा में आयात क्यों किया जा रहा है जबकि देश में वर्तमान क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

(क) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स इसका उत्पादन कब तक कर सकेगा? सरकार मैसर्स साराभाई कैमिकल्स द्वारा अपनी क्षमता को 480 टन तक बढ़ाने के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर कब तक निर्णय करेगी?

(ख) मैसर्स डी० आर० गान्धी को 180 टन के लिए आशय-पत्र दिया गया था। इसके द्वारा उत्पादन कब प्रारंभ किया जायेगा?

(ग) श्री गोयनका के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। सरकार इस पर कब तक निर्णय करेगी और कम्पनी संयंत्र का निर्माण कब तक प्रारंभ करेगी? दूसरे शब्दों में और अधिक स्वदेशी क्षमता कब तक स्थापित होगी? प्रत्येक मामले में स्वदेशी क्षमता की कब तक स्थापना की संभावना है?

श्री शाहनवाज खां : जहां तक हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड का संबंध है माननीय सदस्य शायद यह जानते हैं कि वे राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के तकनीक पर कार्य कर रहे हैं। इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। संयंत्र पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार की वस्तुओं का हम पहले ही उत्पादन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अगले लगभग 6 मास में वे विटामिन 'सी' का उत्पादन प्रारंभ कर देंगे।

जहां तक साराभाई कैमिकल्स का संबंध है उन्होंने 480 टन तक क्षमता के विस्तार के लिए आवेदन पत्र दिये हैं। उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री एच० एम० पटेल : हम आज 306 टन आयात कर रहे हैं। आप का अनुमान है कि आयात 900 टन तक हो जायेगा। हमारा स्वदेशी उत्पादन आज केवल 260 टन है। इसका अर्थ है कि आप और आयात करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल मंत्री महोदय को प्रश्न के पहले भाग के उत्तर को पूर्ण कर लेने दें। इस प्रकार बीच में ही बाधा उपस्थत न करें।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं बशर्ते कि वे ठीक उत्तर दें।

श्री शाहनवाज खां : यह मामला अब लाइसेसिंग समिति के समक्ष है। मुझे विश्वास है कि वे मामल से पूर्णतया अवगत हैं। वे अब अधिक समय नहीं लेंगे। अब प्रक्रिया को अधिक सुचारु बनाया गया है। मैं आश्वासन दे स ता हूं कि कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है मामले में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा। हमें विश्वास है कि पाचवीं योजनावधि के अन्त तक हम देश की विटामिन 'सी' की पूर्ण मांग की पूर्ति कर सकने में समर्थन होंगे।

श्री एच० एम० पटेल : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री यह बतायेंगे कि 100 टन विटामिन 'सी' के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है ? यदि 600 टन का आयात करना हो तो साराभाई कैमिकल्स को, जो आज 260 टन का उत्पादन कर रहे हैं अपनी क्षमता बढ़ाने में कितना समय लगगा? श्री गांधी और श्री गोयनका जैसे व्यक्तियों को, जिन्होंने अभी उत्पादन प्रारंभ नहीं किया क्षमता का विस्तार करने में कितना समय लगेगा उन्हें अधिक समय लग सकता है। मैसर्स साराभाई कैमिकल्स को यदि अनुमति दी जाये तो उन्हें कितना समय लगेगा? क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि अनुमति देने पर क्या वे उत्पादन बढ़ा सकते हैं ? यदि हां, तो क्या इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत नहीं होगी? मेरे प्रश्न का यही महत्व है। क्या यह बताया जायेगा कि आयातित विटामिन 'सी' का क्या मूल्य है? आज इस पर विदेशी मुद्रा का कितना व्यय हो रहा है और भविष्य में कितना व्यय होगा ?

श्री शाहनवाज खां : 1973 में हमने 300 टन विटामिन 'सी' का आयात किया। उस का मूल्य 1.12 करोड रु० था। मैं उनसे इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि साराभाई, जो विटामिन 'सी' का पहले ही से उत्पादन कर रहे हैं ऐसे सभी एककों से शीघ्रता पूर्वक उत्पादन कर सकेंगे जिन्हें लाइसेंस दिया जा रहा है।

श्री एच० एम० पटेल : उन्होंने आवेदन पत्र कब दिया था ?

श्री शाहनवाज खां : साराभाई कम्पनी ने जून 1973 में आवेदन पत्र दिया था।

श्री एच० एम० पटेल : आपने कहा है कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुधार किया गया है। उन्हें आवेदन पत्र दिये एक वर्ष से अधिक समय हो गया है। अन्यों ने कब आवेदन पत्र दिये थे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, आप सभी बातों का यहीं पर निर्णय चाहते हैं ?

श्री के० एस० चावड़ा : यदि आप विवरण को देखें तो पता चलेगा कि आन्तिम कालम में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स का 1973 में वास्तविक उत्पादन शून्य दिखाया गया है। पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति एवं सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स द्वारा विटामिन 'सी' का उत्पादन 1972 से प्रारंभ किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि उक्त आश्वासन को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने कहा है कि वे राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला के सहयोग से विटामिन 'सी' का उत्पादन करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तकनीकी समस्याएं थीं और उसके कारण विलम्ब हुआ।

नई रेल लाइनें बिछाने का कार्यक्रम स्थगित करने की योजना

*416. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री महेन्द्र सिंह गिल : रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आर्थिक संकट के कारण रेलवे को नई रेल लाइनें बिछाने के अपने कार्यक्रमों को स्थगित करने को कहा गया है और 100 करोड़ रुपये के मूल परिव्यय में भी कुछ कटौती की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग के इस प्रकार के अनुदेशों के कारण कौन-कौन से अन्य निर्माण कार्य स्थगित किये गये हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Nawal Kishore Sharma : You have stated that plan expenditure is not being prunned. May I know what amount has been provided for in annual plan for 1974-75 for the development of Railways and what lines are proposed to be taken ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Seven new rail lines are proposed to be constructed or converted during 1974-75 and there are Rohtak-Bhiwani (B.G.), Hasanpur-Sakri (M.G.), B.G. links to Ramnagar/Kathgodam (1) Rampur-Haldwani, (2) Moradabad-Ramnagar; Jhanjharpur-Lokaha Bazar (M. G.), Bibinagar-Nadikude (B. G.), Banspani-Jakhapur (B. G.) and Dharamnagar-Kumarghat (M.G.).† Estimated cost of these works, except new line from Dharamnagar to Kumarghat, 81·25 crores. An amount of Rs. 0.65 crores has been provided for in the budget for 1974-75 for these works.

Shri Nawal Kishore Sharma : May I know whether these lines, where it is proposed to undertake the work, have been selected on any scientific basis or it has decided to undertake this work under political pressure ? Himmantnagar-Kota Rail line of Rajasthan is not being completed. May I know by what time it would be completed ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Rail lines are laid keeping in view the needs of a particular area. There is no political consideration about this.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हड़ताल के दौरान भर्ती किये गये व्यक्तियों को सेवा में खपाना

*406. **श्री शशि भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 की रेल हड़ताल के दौरान भारतीय रेलों के विभिन्न जोनों में कुल कितने नये व्यक्ति भर्त्ती किए गए ;

(ख) रेल हड़ताल वापस लिये जाने के पश्चात उन व्यक्तियों को सेवा में किस प्रकार खपाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार निलम्बित किये गये अथवा सेवा में अवरोध वाले अथवा सेवा से निकाले गये कर्मचारियों के मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन करने का है ?

रेल मंत्री श्री एल० एन० मिश्र :(क) लगभग 6,500 व्यक्ति बिल्कुल अस्थायी आधार पर लगाये गये थे जिनमें अधिकांश दैनिक मजदूरी पर थे ।

(ख) चूंकि ये नियुक्तियां बिल्कुल अस्थायी आधार पर की गयी थीं इसलिए एवजी या नैमित्तिक मजदूर के आमेलन के लिए वर्तमान नियम उनके मामले में भी लागू होंगे ।

(ग) जी नहीं ।

Construction of Sunehti Kharkhari Station

*407. **Shri Mulk Raj Saini** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received representations demanding construction of Sunehti Kharkhari Station in Saharanpur District; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). A halt station with all the basic amenities is already functioning at Sunehti Kharkhari.

राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन पर खर्च

*410. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री वी० मायावन : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्वाचन में राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर रोक लगाने का विचार कर रही है;

(ख) क्या नये प्रस्तावों के अनुसार राजनीतिक दलों को अपने निर्वाचन अभियान के लिये धनप्राप्ति के साधन बताने होंगे और उन्हें अपने खर्च की, निर्वाचन-क्षेत्रवार, विवरणियां प्रस्तुत करनी होंगी;

(ग) क्या निर्वाचनों में सुधार करने के लिये मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिये गये अनेक सुधारों पर, जिन्हें सरकार ने रद्द कर दिया था, पुनर्विचार किया जा रहा है और उनकी पुन: जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए गए सुझावों की जांच, निर्वाचन विधि में संशोधन संबंधी संयुक्त समिति द्वारा विशेष रूप से नियुक्त उप-समिति द्वारा विस्तारपूर्वक की गई थी और सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करने के बाद समिति इस नतीजे पर पहुंची कि विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण यह संभव नहीं है कि इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार की जाएं । सरकार इस विषय पर संयुक्त समिति के विचारों से सहमत हो गई है ।

लकड़मंडी-मानकपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*415. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़मंडी-मानकपुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य इस बीच आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) 25-6-74 को मनकापुरकटरा (अयोध्याघाट के निकट जिसे लकड़मंडी भी कहा जाता है) मीटर लाइन के आमान परिवर्तन की जांच करने के लिए एक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण के लिए मंजूरी दे दी गयी है । आशा है कि सर्वेक्षण कार्य लगभग तीन महीने में पूरा हो जायेगा । जब पूर्वोत्तर रेल प्रशासन से सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल जायेगी और उसकी जांच कर ली जायेगी उसके बाद ही इस आमान परिवर्तन का काम शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

रेल हड़ताल के पश्चात गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की रिहाई और उनकी बहाली

*417. **श्री वेकारिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल हड़ताल के दौरान गिरफ्तार किए गए, सभी व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है ;

(ख) क्या रिहा किए गए सभी व्यक्तियों को पुनः सेवा में ले लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कितने व्यक्तियों को सेवा में नहीं लिया गया है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख) . जी नहीं ।

(ग) लगभग 19,500 व्यक्तियों को छोड़ा गया जिनमें से केवल 3,500 को अब तक ड्यूटी पर लिया गया है ।

(घ) उन्हें ड्यूटी पर वापस नहीं लिया गया है क्योंकि रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियमों अधीन या तो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है अथवा अदालत में चल रहे मामले के फलस्वरूप उन्हें दोषी ठहराया गया या वे अभी तक निलंम्बित हैं ।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस गाड़ियों में डीजल इंजन लगाया जाना

*418. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे पर संख्या 303 और 304 महालक्ष्मी एक्सप्रेस गाड़ियों में डीजल इंजन लगाये की मांग बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) डीजल रेल इंजनों, जिनकी अपेक्षा मुख्यतः माल यातायात की निकासी के लिए होती है, की उपलब्धता को देखते हुए एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर लम्बी दूरी की भीड़-भाड़ वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को डीजल रेल इंजनों से चलाया जा रहा है । माल यातायात की आवश्यकताएं पूरी करने के बाद जब कभी अतिरिक्त डीजल रेल इंजन उपलब्ध हो सकेंगे, अन्य सामान मांगों के साथ-साथ 303/304 महालक्ष्मी एक्सप्रेस को डीज़ल रेल इंजन से चलाने के प्रश्न पर यथासमय विचार किया जायेगा ।

धनबाद और पटना तथा गोमोह् और खड़गपुर के बीच सीधी एक्सप्रेस गाड़ी

*419. **श्री राम नारायण शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे में बरास्ता गया, धनबाद और पटना के बीच तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में गोमोह् और खड़गपुर के बीच बरास्ता अदरा सीधी एक्सप्रैस गाड़ी सेवाएं शुरू करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से इन सेवाओं को शुरू करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Late running of fast trains between Calcutta and Delhi

*420. **Shri Ramavtar Shastri :** Will, the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether after the Railway strike almost all fast trains operating from Calcutta to Delhi and back are running late by many hours;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). No Sir, there has not been any drop in the punctuality of trains running between Calcutta and Delhi after the Railway strike in May '74. However, the punctuality of these trains has not been upto the desired level on account of various factors like alarm chain pulling, disconnection of hose pipes, opening of clappet valves by smugglers and anti social elements, thefts of Signal and Telecommunication equipments etc.

(c) Punctuality performance of trains on all the Railways is closely watched at all levels by the zonal Railways and of selected trains at Railway Board's level. Avoidable detentions are taken up to improve the running of trains. A sustained Drive has also been launched to improve the running of trains as a consequence of which the punctuality percentage of the trains running between Calcutta and Delhi has already shown an improvement in the month of July '74, as compared to pre-strike period.

सूक्ष्मतरंग स्वचालित चेतावनी व्यवस्था

*421. **श्री राजदेव सिंह**
श्री एन० ई० होरो } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार रेल गाड़ियों में सूक्ष्मतरंग स्वचालित चेतावनी व्यवस्था लागू करने का है जिससे मानव त्रुटि के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके ;

(ख) यदि हां, तो मानव त्रुटि के कारण औसतन कितनी दुर्घटनायें होती हैं ;

(ग) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने जिसने यह व्यवस्था आरम्भ की है, इसके कार्य का परीक्षण किया है और क्या इसके प्रतिष्ठान से समूची सिगनल चेतावनी व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेकिन रेलों में इन्डक्शन टाइप के स्वचल चेतावनी सिगनलों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

(ख) औसतन लगभग 7 प्रतिशत दुर्घटनाएं खतरे के सिगनलों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों की गलती के कारण होती हैं ।

(ग) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा इस उपस्कर का अभी विकास किया जा रहा है और इसे जांच करने के लिए अभी रेलों को नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल तट के साथ-साथ तेल की सम्भावनाओं का भूकंपीय अध्ययन

*422. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एकेडेमिक अरचंगलस्की' नामक एक रूसी जहाज ने केरल के तट के साथ-साथ तेल की संभावनाओं का भूकंपीय अध्ययन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हाँ, 1964 में ।

(ख) सोवियत भूकम्पीय पार्टी द्वारा किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामों को बताना जनहित में नहीं होगा ।

रेल टिकटों की चोरबाजारी

*423. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समूचे देश में रेल टिकटों की बढ़ती हुई चोर बाजारी का पता है; और

(ख) यदि हां, तो इस कुरीति को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अधिक भीड़ के समय अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा आरक्षित स्थानों के टिकट फायदा उठाकर लाभ पर बेचने के कुछ मामले नोटिस में आये हैं ।

(ख) आरक्षण में होने वाले विभिन्न अनाचार को रोकने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. जिन टिकटों पर आरक्षण किया गया हो, उनके अन्तरण के मामलों को निपटाने के लिए वर्ष 1964 में भारतीय रेल अधिनियम में सन्शोधन किया गया था । ऐसे अन्तरण अब अवैध हैं और ऐसे आरक्षणों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाया जा सकता है ।
2. एक पार्टी द्वारा 4 शायिकाएं तथा एक परिवार द्वारा 6 शायिकाएं आरक्षित करायी जा सकती हैं । केवल स्काउटों आदि जैसी सदाशयी पार्टियों के वास्तविक मामलों में स्थानीय रेल प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान सीमा में छूट दी जा सकती है ।
3. समाचार-पत्रों, स्टेशनों पर लगे सूचना-पट्टों और लाउड स्पीकरों द्वारा इस सम्बंध में जनता का सहयोग लिया जाता है कि यात्री टिकट केवल टिकट खिड़कियों से खरीदें और अनधिकृत

स्रोतों से न खरीदें । तत्काल सेवा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त खिड़कियां खोली जा रही हैं ।

4. टिकट और आरक्षण कार्यालयों तथा कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर पर्यवेक्षण के काम में कड़ाई बरती गयी है और एक कृतिक दल जिसमें रेलवे सुरक्षा दल, राज्य रेलवे पुलिस और रेल प्राधिकारी शामिल हैं, आरक्षण करा कर फायदा उठाकर बेचने वाले समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए, आरक्षण कार्यालयों के खुलने से ठीक पहले जांच करता है ।

5. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए छापे मारे जाते हैं कि कोई अनधिकृत यात्री न ले जायें । गाड़ियों में शायिकाओं के आवंटन में चल टिकट परीक्षकों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं को पकड़ने के लिए अचानक सतर्कता-जांच भी की जाती है ।

6. चूंकि यह समस्या मूलत: उपलब्ध स्थान की मांग की अपेक्षा कम होने के कारण है, इसलिये भीड़-भाड़ की अवधि में विशेष गाड़ियां चलायी जाती हैं और जहां आवश्यक होता है गाड़ियों में डिब्बे जोड़े जाते हैं ।

7. टिकटों की बिक्री और गाड़ियों में स्थान के आरक्षण से संबंधित वर्तमान नियमों और प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है । समिति का एक विचारार्थ विषय अनाधिकृत आरक्षण लेने वाली अमान्यताप्राप्त यात्रा एजैंसियों सहित बाहरी व्यक्तियों द्वारा किये गये अनाचारी और अनियमितताओं की प्रकृति की पहचान करना और उन्हें रोकने के उपायों का सुझाव देना है । समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है ।

दिल्ली में लोक द्रुत यातायात व्यवस्था

*424. **श्री वरके जार्ज :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जुलाई, 1974 के समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार दिल्ली में प्रस्तावित लोक द्रुत यातायात व्यवस्था, जिसमें भूगत और भू-तल रेल व्यवस्था शामिल है, का निर्माण कार्य आरम्भ होने के बाद उसके पूरा होने में कम से कम 15 से 20 वर्ष लगेंगे, जैसा कि इस काम में लगे विशेषज्ञों का मत है;

(ख) क्या इस व्यवस्था के अन्तर्गत 50 किलोमीटर भूगत पटरी और लगभग 100 किलोमीटर भू-तल पटरी के निर्माण की अस्थायी योजना तैयार की जा रही है; और

(ग) क्या इस समूचे कार्य पर वर्तमान लागत स्तर पर 500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान है और यह कार्य पूरा होने तक लागत बढ़ कर 1,000 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) योजना आयोग के महानगर परिवहन दल द्वारा बतायी गयी व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली तथा उसकी अनुपूरक फीडर बस सेवा इतनी व्यापक परियोजना होगी कि उसे कार्यान्वित करने में 15-20 वर्ष लग जायेंगे ।

(ख) बतायी गयी परिवहन प्रणाली में दो भूगत रेल प्रणालियों (लगभग 36 कि० मी०) और एक भूमि के उपर वाली रेल प्रणाली (लगभग 100 किलोमीटर) शामिल है और इस समय दिल्ली महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन द्वारा इस का तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) अन्ततोगत्वा यह प्रणाली औचित्यपूर्ण ठहरेगी। लेकिन इस पर आने वाली लागत और इसके कार्यान्वयन को चरणबद्ध करने के बारे में तभी मालूम हो सकेगा जब व्यावहारिकता अध्ययन की रिपोर्ट और उनमें की गयी सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो जायें और उन पर विचार कर लिया जाये।

असीम साहस के लिये भारतीय रेलवे द्वारा सम्मानित किये गये व्यक्ति

*425. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के दौरान असीम साहस और बलिदान की भावना के लिये भारतीय रेलवे द्वारा कितने व्यक्ति सम्मानित किये गये और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे का विचार उनमें से ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देकर प्रोत्साहित करने का है, जो नौकरी करने के इच्छुक हैं और भारतीय रेलवे में रोजगार के विभिन्न वर्गों में नियुक्ति के लिए पात्र हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई योजना तैयार की गई है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वे पहले से ही रेलवे कर्मचारी हैं।

विवरण

क्रम सं०	नाम	पद	उपाधि का नाम
1.	श्री दुर्गा शंकर	फायरमैन ग्रेड 'ए' पश्चिम रेलवे, उदयपुर।	वीरचक्र
2.	श्री रामप्रकाश	सहायक स्टेशन मास्टर, उत्तर रेलव, कोटकपूरा	शोर्यचक्र
3.	श्री बलवन्त सिंह	इंजन ड्राइवर, उत्तर रेलवे, कोटकपूरा	,,
4.	श्री बलबीर सिंह	लीडिंग फायरमैन, उत्तर रेलवे, कोटकपूरा।	,,
5.	श्री ए० एस० चीमा	सहायक स्टेशन मास्टर, उत्तर रेलवे गुरदासपुर।	,,
6.	श्री ओ० पी० चोपड़ा	सहायक इंजीनियर, उत्तर रेलवे, समदड़ी।	,,
7.	श्री रूप चन्द	रेल-पथ निरीक्षक, उत्तर रेलवे, गदरा रोड़।	,,
8.	श्री किशन शर्मा	ड्राइवर, उत्तर रेलवे, जोधपुर।	,,
9.	ब्रिगेडियर पी० वी० गोले	मंडल अधीक्षक, मध्य रेलवे, भुसावल (472 हेडक्वार्टर इंजीनियरों के ब्रिगेड की कमान सम्भाली)	अति विशिष्ट सेवा मैडल

Effect of shortage of Diesel on Agricultural Production

2876. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether farmers are facing lot of difficulties due to the non-availability of diesel as a result of which agricultural production is being affected directly; and

(b) if so, the effort being made by Government to provide diesel at control rates to the farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No reports have been received in the recent past of any shortage of diesel oil resulting in adverse effects on agricultural production.

(b) State Governments have been advised to consider regulation of diesel oil supplies for agricultural use on cards to ensure availability on priority during the busy season.

बिड़ला उद्योग समूह द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

2877. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से अब तक बिड़ला उद्योग समूह कितने अवसरों पर तथा कितनी बार कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है ; और

(ख) सरकार ने उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख), सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

राजस्थान में उत्पादित राक-फास्फेट का उपयोग

2878. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उत्पादित अधिकतम राक फास्फैट राज्य से बाहर भेजा जा रहा है ताकि उसका उपयोग अन्य राज्यों में स्थित संयंत्रों के लिए कच्ची सामग्री के रूप में किया जा सके ;

(ख) क्या राजस्थान में पहले ही पर्याप्त आर्थिक क्षमतायें मौजूद हैं जहां राज्य के भीतर ही राक-फास्फेट का पूरा उपयोग किया जा सकता है; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य के भीतर इसका पूरा उपयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई योजनायें भेजी हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खाँ) (क) से (ग), सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु प्लास्टिक उद्योग, पश्चिमी बंगाल में कच्चे माल की कमी

2879. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण पश्चिम बंगाल में लघु प्लास्टिक उद्योग को हो रही गंभीर कठिनाई की ओर दिलाया गया है जिसके कारण इस उद्योग में लगे हजारों कामगरों को अपने रोजगार का खतरा पैदा हो गया;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). कुछ समय पहले इण्डो बंगाल फ्लीट एसोसिएशन, कलकत्ता से केन्द्रीय सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि प्लास्टिक के विभिन्न उत्पादों के निर्माण में लगे हुए कई कुटीर एककों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है और वे बन्द पड़े हुए हैं।

एसोसिएशन को कहा गया था कि वे अपने सदस्यों को सलाह दें कि वे आयात व्यापार नियंत्रण नीति में की गई व्यवस्था के अनुसार अपने हकदारी के अनुसार राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित कच्चे माल का प्रयोग करें।

Shortage of Toilet Soap in Delhi

2880. **Dr. Laxminarayan Pandeya**
Shri Chandra Shekhar Singh : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be please to state :

(a) whether there is acute shortage of toilet soap in Delhi for the last three months and the people are facing great difficulties; and

(b) if so, the reasons therefor and the action being taken by Government for making the soap available to the people ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Reports of some shortage of soaps have come to the notice of the Government.

(b) In the first five months of 1974, the average monthly rate of soap production in the organised sector has been about 7% less than it was in 1973, the figures being as follows :—

Quantity in tonnes

Year	Toilet	Carbolic	Laundry	Total
1973 . . .	45,376	36,879	1,52,745	2,35,000
1974 (Jan. to May)	18,440	15,150	56,965	90,555

Indian Soaps and Toiletries Makers' Association has represented for increase in the prices of soaps stating that in view of the present unremunerative prices, they are unable to purchase adequate quantities of oils at the prevailing high prices. The representation is being examined.

More than half of the soap production in the country is, however, by the small scale sector on which there is no price control.

Government is encouraging the use of rice bran oil and minor seed oils such as sal, karanj, need and mohwa in production of soaps and with this objective the excise rebate for use of the minor oils in soap production was substantially increased about a year ago.

To increase the availability of soaps to the costumers, the Delhi Administration has held meetings with the representatives of M/s. Hindustan Lever Limited and M/s. Tata Oil Mills Co., the two largest soap producing companies and the following steps taken :—

1. Distribution of soap through registered co-operative stores.
2. Restrict supplies to selected number of outlets in each market/locality.

3. Eliminate distribution to some wholesalers as well as small outlets.
4. Sale through mobile vans in different localities by M/s. Tatas.

The Delhi Administration has also intensified its raids to curb profiteering and hoarding of soaps.

पाचवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे स्कूलों का खोला जाना

2881. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक रेलवे स्कूल खोलने के लिए कोई धनराशि रखी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये स्कूल खोले जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जहां आवश्यक होगा वहां और अधिक स्कूल खोलने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख के मसौदे में "कर्मचारी कल्याण" शीर्षक के अधीन व्यवस्था कर ली गयी है ।

(ख) स्थान का निश्चय उस समय किया जाता है जब रेल प्रशासन ऐसे स्कूल खोलने की आवश्यकता महसूस करते हैं । ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता कि शिक्षा राज्य सरकार का विषय है । रेलवें केवल कर्मचारी कल्याण के दृष्टिकोण से ऐसे स्थानों पर स्कूल खोलती है जहां राज्य सरकार या अन्य प्राइवेट एजेंसियों द्वारा की गयी स्कूल सम्बन्धी सुविधाएं अपर्याप्त हों या बिल्कुल न हों ।

रेल कर्मचारियों को खेल कूद के लिए प्रोत्साहन

2882. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विभिन्न जोनों में रेल कर्मचारियों के लिये खेल-कूद की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेल प्रशासनों को खेल-कूद की गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 9 लाख रुपये से अधिक के तदर्थ अनुदान दिये जाते हैं । इसके अलावा, खेल-कूद में भाग लेने के लिए रेल कर्मचारियों को विशेष नैमित्तिक छुट्टी और पास भी दिये जाते हैं।

(ख) इस की व्यवस्था पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रलेख के मसौदे में "कर्मचारी कल्याण" योजना शीर्षक के अधीन शामिल की गयी है ।

राजेन्द्र पुल हाल्ट को स्थानान्तरित करने की मांग

2883. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजेन्द्र पुल हाल्ट को अग्रेतर दक्षिण की ओर राजेन्द्र पुल के उत्तरी छोर के निकट स्थानान्तरित करने की मांग बहुत समय से चली आ रही है जिससे सिमरिया घाट जाने वाले यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा होगी और रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच की गयी है। यह पाया गया है कि हाल्ट को राजेन्द्र पुल के उत्तरी सिरे के बिल्कुल समीप स्थानान्तरित करना संभव नहीं होगा क्योंकि रेलवे लाइन एक खड़ी ढलान और ऊंचे तट पर स्थित है।

चौथी योजना के दौरान केरल में बनाई गई नयी रेलवे लाइनें

2884. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करल में चौथी पंचवर्षीय योजना में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस लक्ष्य में कितनी कमी रह गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलवे लाइनों के निर्माण के लक्ष्य अलग-अलग राज्यों के आधार पर नहीं बल्कि समग्र राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते हैं और ऐसा करते समय प्राकृतिक साधनों के अधिकतम उपयोग, खनिज सम्पदा के दोहन और रेलों की परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है फिर भी, चौथी योजना अवधि में केरल राज्य के अन्दर आंशिक रूप से या पूरी पड़ने वाली नयी लाइनों के निर्माण और सर्वेक्षण कार्य में जितनी प्रगति हुई है वह नीचे दी गयी है :—

(1) एरणाकुलम-तिरुवनंतपुरम मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन—221 किलोमीटर

इस परियोजना की मंजूरी दिसम्बर, 1971 में दी गयी थी और 31-3-1974 तक इस पर 32 प्रतिशत काम हो चुका था। इस समय काम जारी है और आशा है कि यह 1976 तक पूरा हो जायेगा।

(2) नागरकोइल के रास्ते तिरुवनंतपुरम से तिरुनेलवेली तक एक बड़ी लाइन तथा कन्या कुमारी एक शाखालाइन का निर्माण—164 किलो मी०

इस परियोजना की मंजूरी 14.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दी गयी है। 31-3-74 तक 18 प्रतिशत काम हो चुका था। काम चल रहा है और आशा है कि वह 1976-77 तक पूरा हो हो जायेगा।

(3) एलप्पी के रास्ते एरणाकुलम से कायमकुलम तक एक बड़ी रेलवे लाइन बनाने के लिए 1970 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसके परिणाम 1971 में ज्ञात हुए थे। सर्वेक्षण रिपोर्ट से मालूम हुआ था कि यह लाइन वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद होगी। लेकिन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली प्रस्तावित नयी लाइनों की सूची में इस लाइन को भी शामिल कर लिया गया है बशर्ते इस प्रयोजन के लिए योजना आयोग अतिरिक्त धन उपलब्ध कराये।

गत छः महीनों के दौरान दक्षिण रेलवे पर हुई दुर्घटनाएं

2885. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में गत छः महीनों में कितनी दुर्घटनाएं हुई ;

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी क्षति हुई ;

(ग) उनमें कितने हताहत हुए; और

(घ) घायल हुए व्यक्तियों और मृतकों के परिवारों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1-2-74 से 31-7-74 की अवधि में दक्षिण रेलवे पर गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाएं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 46 रेल दुर्घटनाएं हुई ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान लगभग 5,09,000 रुपये लगाया गया है ।

(ग) इन दुर्घनाओं में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 32 घायल हुए जिनमें से 3 को गम्भीर चोटें आयीं ।

(घ) इन दुर्घटनाओं में ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया । लेकिन, अनुग्रह के रूप में लगभग 12,000 रुपये की राशि दिया गया था ।

दक्षिण रेलवे में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटक

2886. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे रेलवे फाटकों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तीन हजार एक सौ बाइस ।

(ख) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित निवारक उपाय किये गये हैं :—

(I) बिना चौकीदार वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गों पर रेलवे की सीमा के भीतर सुस्पष्ट रूप से 'रुकिये' बोर्ड लगाये गये हैं ताकि सड़क उपयोगकर्ताओं को सावधानीपूर्वक रेल की पटरी पार करने की चेतावनी दी जा सके ;

(II) बिना चौकीदार वाले समपारों पर गाड़ियों के पहुंचने पर सीटी बजाने के लिए आने वाली गाड़िओं के ड्राइवरों को अनुदेश देने के वास्ते 'सीटी बोर्ड' लगाये गये जो सड़क उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त चेतावनी के रूप में हैं ।

(III) बिनाचौकीदार वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गों पर सड़क चिह्न लगाने के लिए राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है ।

(IV) राज्य सरकारों ने भी मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कानून बनाया है जिसके अनुसार यात्री बसों के ड्राइवरों को बिना चौकीदार वाले समपारों के समीप अपने वाहनों को खड़ा करना होगा और फिर बस के आगे-आगे कंडक्टर के चलते हुए रेलवे लाइन पार करेगा ।

(V) आटोमोबाइल एसोसिएशन को अपील आदि के द्वारा, पुलिस प्राधिकारियों द्वारा तेज चलने वाले वाहनों के मालिकों/ड्राइवरों को प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तिकाएं आदि जारी

करके, आकाशवाणी के देहाती कार्यक्रम, सिनेमा स्लाइडों आदि के माध्यम से प्रचार करके सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए शिक्षात्मक अभियान भी चलाया जा रहा है।

जिन समपारों पर सड़क और रेल यातायात बहुत अधिक होता है और/या जहां दृष्यता सीमित होती है उन्हें भी यातायात की गणना के आधार पर अथवा राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी की ओर से अनुरोध किये जाने पर चौकीदार वाले समपार बनाया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

प्रयुक्त स्नेहक इंजन तेलों के पुनशोधन के लिए देशी विधियां

2887. **श्री मधु लिमये** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयुक्त स्नेहक इंजन तेलों का फिर से शोधन करने की विधियां हमारे देश में प्रचलित हैं और इन विधियों का प्रयोग करने वाले कारखानों के नाम क्या हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी विभाग फिर से शोधन किये जाने के प्रयोजन से प्रयुक्त इंजन तेल का अपना भण्डार इन कारखानों को बेचते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन छोटे एककों को प्रयुक्त तेल न बेचे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या आयात किये गये चिकनाई वाले तेलों के प्रति मोह के कारण मंत्रालय पुनशोधित तेल के उपयोग की अवहेलना करता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जीहां।

(ख) और (ग). राज्य सड़क परिवहन उपक्रम आदि सरकार के स्वामित्व वाले प्रमुख उपभोक्ता संस्थान पार्टियों को, जिनमें शोधन करने वाले यूनिट शामिल हैं, वाणिज्यिक शर्तों पर प्रयुक्त तेल बेचते हैं।

(घ) जी नहीं ।

स्ट्रां प्रोडक्टस लिमिटेड द्वारा जे० के० इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 2 करोड़ रुपये का प्रस्तावित पूंजी निवेश

2888. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या जे० के० द्वारा नियंत्रित स्ट्रां प्राडक्टस लिमटेड ने जे० के० इंडस्ट्रीज लिमिटेड। में जो कम्पनी मोटर गाड़ियों के, टायर और ट्यूब बनाने का इरादा रखती है 2 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी अनुमति न देने और अन्तर-सम्पर्क और पूंजी-निवेश के नियंत्रण की समस्या की जांच के लिये इस मामले को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के पास भेजने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) हां, श्रीमान्, जी ।

(ख) मै० जे० के० इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का बहित्र टायर एवं ट्यूबों के निर्माणार्थ आवेदन-पत्र एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत पहले

ही अनुमोदित कर दिया गया है। वर्तमान आवेदन-पत्र कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372(4) के अन्तर्गत है, जिसमें, निपटान से पूर्व एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के लिये निर्देश करने का प्राविधान नहीं है।

भारतीय तेल निगम द्वारा हरियाणा में छोटे उद्योगों को भट्टी के तेल का दिया जाना

2890. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार द्वारा छोटे औद्योगिक कारखानों के नाम परमिट जारी किये जाने के बावजूद भी भारतीय तेल निगम उन्हें भट्टी का तेल नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) फरीदाबाद में सुस्थापित प्रयोक्ताओं तथा नये औद्योगिक कारखानों को भट्टी के तेल को जारी करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). जनवरी, 1974 से लघु उद्योग सहित समस्त उद्योगों को उनके 1973 के उठान के आधार पर उनकी भट्टी के तेल की 90 प्रतिशत आवश्यकताएं तेल कम्पनियों द्वारा पूरी की जा रही थी। 33 अग्रता उद्योगों के अतिरिक्त मई, 1974 से अन्य उद्योगों के लिए 10 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती लागू की गई। यह अभी तक जारी है। पुराने यूनिटों के लिये कोटे तथा नये औद्योगिक यूनिटों की सप्लाई में वृद्धि करने के आवेदनों पर भट्टी के तेल पर सचिव तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक की अध्यक्षता स्थाई समिति विचार करती है। राज्य में लघु उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1-7-74 से राज्य सरकारों को निपटान हेतु काफी कोटा दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा कोटा के आवंटन हेतु अपनी मशीनरी की स्थापना की जानी है। तथापि उनकी सप्लाई को सुनिश्चित करने तेल कम्पनियां राज्य स्तर पर उपरोक्त व्यवस्था करने में सम्बद्ध की जायेंगी।

मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली

2891. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियों में अभी तक मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) अब यह प्रणाली किस रूप में विद्यमान है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) से (ग). कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1969 द्वारा, 3-4-70 से प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं, अथवा सचिव व कोषाध्यक्षों द्वारा कम्पनियों के प्रबन्ध की प्रणाली का उन्मूलन कर दिया गया। तथापि, ऐसा आभास हुआ है कि कुछ कम्पनियों ने भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं/सचिव व कोषाध्यक्षों साचिविक कार्य, परामर्शी आदि की बाबत अनुबन्ध किये हैं। कम्पनी (संशोधन) विधेयक 1974 में उपबन्ध है कि इस प्रकार के सभी अनुबन्धों के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

कच्छ की खाड़ी में सालया में भारतीय तेल निगम द्वारा वाटर आयल टर्मिनल बनाया जाना

2892. श्री डी० डी० देसाई
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम की कच्छ की खाड़ी में सालया में तटदूर गहरे जल में "वाटर आयल टर्मिनल" बनाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तेल गुजरात तेल शोधक कारखानों को भेजा जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). इंजीनियर्स इण्डिया लि० जो परियोजना के लिए भारतीय तेल निगम का एक मुख्य परामर्शदाता और संविदाकार है, की सहायता से वह बृहत कच्चे तेल वाहनों के प्रतिग्रहण और इस प्रकार के वाहनों से आयतित कच्चे तेल खाली करने के लिए कच्छ की खाड़ी में अपतटीय अन्तिम केन्द्र की स्थापना कर रही है । समुद्रान्तर पाइप लाइन अन्तिम केन्द्र को तटवर्ती स्थापित टैंकों को मिलाएगी । स्थल मार्ग पाइप लाइन से कच्चे तेल को विस्तारित कोयाली शोधनशाला में ले जाया जाएगा । अपतटीय अन्तिम केन्द्र और अनुषांगिक सुविधाएं फरवरी, 1977 तक विस्तारित कोयाली शोधनशाला के आरम्भ होने तक, समय पर पूरा होने की आशा की जाती है ।

अपतटीय प्रणाली की लागत का अनुमान 6.2 करोड़ रुपये हैं जिसमें 4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के घटक भी शामिल हैं । परियोजना कार्य प्रगति पर है ।

बरौनी तेलशोधक कारखाने के डिजाईन में परिवर्तन करने का निर्णय

2893. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुपयुक्त रोस्टम अशोधित तेल का पूर्ण उपयोग करने हेतु सरकार ने बरौनी तेलशोधक कारखाने के डिजाईन में परिवर्तन करने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब लिया गया था और डिजाईन को पुनः तैयार करने का कार्य कितना पूरा हुआ है: और

(ग) क्या आधुनिकीकरण की योजना को ठप्प कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका उत्पादन लक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). प्रारम्भ में 3 मिलियन मीटरी टन क्षमता की बरौनी शोधनशाला का डिजाइन, असम के तेल क्षेत्रों से प्राप्त न्यून गंधकीय अशोधित तेल को साफ करने के लिए बनाया गया था । दिसम्बर 1969 में सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के अनुसरण में कि लगभग 2.2 मिलियन मीटरी टन असम अशोधित तेल के अलावा अतिरिक्त कच्चे तेल की मात्रा असम में ही साफ की जाये, रुस्तम अशोधित तेल सहित माध्यपूर्व से प्राप्त लगभग 1.2 मिलियन मीटरी टन मध्यपूर्व से अशोधित तेल को साफ करने के लिए सरकार द्वारा

जून 71 में बरौनी शोधनशाला के नवीनीकरण परियोजना को अनुमति दी गई थी। तथापि, नवीनीकरण होने तक, 1972 से शोधनशाला ने आयातित ईराकी कच्चे तेल की कुछ मात्रा साफ करनी आरम्भ कर दी थी।

आयातित अशोधित तेल को साफ करने के लिए बहुत सी आवश्यक सुविधाओं के डिजाइन और इन्जीनियरिंग कार्य में वर्ष 1973 के अन्त तक प्रगति हुई। जबकि आयातित अशोधित तेल को साफ करने के लिए बरौनी शोधनशाला के नवीकरण तथा सुधार परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा था, 1974 के प्रारंभ में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के असम के तेल क्षेत्रों के उत्पादन सम्भावनाओं का पुन: मूल्यांकन करने पर अशोधित तेल की अधिक उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जो बरौनी शोधनशाला की 3 मिलियन मीटरी टन तक की क्षमता को बनाए रख सकती थी तथा असम शोधनशाला की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थी। इस घटना के तथा आयातित कच्चे तेल के बहुत ऊंचे मूल्य होने के कारण, अब यह निर्णय लिया गया है कि बरौनी में आयातित अशोधित तेल को साफ करने के लिए बनाई गई नवीनीकरण परियोजना को छोड़ दिया जाये।

असम तेल क्षेत्रों से देशीय अशोधित तेल की और अधिक उपलब्धि के परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि बरौनी शोधनशाला अपनी 3.0 मिलियन मीटरी टनों की पूर्ण निर्धारित क्षमता पर कार्य कर सकेगी। इसलिए उत्पादन लक्ष पर कोई कुप्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

Employees arrested, released and prosecuted in North-Eastern Railway

2894. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of employees arrested in North-Eastern Railway during the strike by Railway employees from 8th May, 1974;

(b) the number of employees out of them released so far; and

(c) the number of employees being prosecuted at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 822.

(b) 822.

(c) 794.

Trains cancelled on S. E. Railway in May, 1974

2895. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government had cancelled running of some trains in South Eastern Railway in May, 1974;

(b) if so, the number thereof and the resasons therefor; and

(c) the estimated loss suffered by Government thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) During May, 1974, on an average about 34 pairs of passengers carrying trains and 190 Goods trains were cancelled daily because of the strike.

(c) The estimated loss on this account is about Rs. 10·08 crores.

Employees Dismissed/Suspended and Reinstated in North-Eastern Railway

2896. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees in North-Eastern Railway who were dismissed and suspended from service separately during the Railway strike which began on the 8th May, 1974; and

(b) the number of employees out of them who have been reinstated since then ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways : (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a)	(i)	Dismissed/Removed from service ..	683
	(ii)	Suspended	860
(b)	(i)	Reinstated out of (a) (i)	312
	(ii)	Taken back to duty out of (a) (ii)	450

Alleged Pilferage of Wheat and Sugar by R. P. F. Personnel from Wagons

2897. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have seen the Press reports that Railway Protection Force Jawans pilfered wheat and sugar in large quantity from railway wagons and sold the same at Parasnath railway yard; and

(b) the number of persons against whom action has been taken in this regard indicating the nature of action taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) and (b) Yes. Enquiries however, revealed that there has been no case against Railway Protection Force staff of Parasnath station, being directly involved in theft and pilferages of wheat and sugar and their disposal at Parasnath station or Yard as reported in the Press. In one case, box of Rakshak Baij Nath Rai of Gomoh post who had worked at Parasnath was searched by the RPF on 1-4-74 and a sum of Rs. 10,100/- one rubber stamp, one small piece of Railway Tarpaulin, one live cartridge and some other materials were recovered. A case for unlawful possession of Railway property was registered by Railway Protection Force under the Railway Property (Unlawful Possession) Act and another relating to the illegal possession of ammunition was registered by local police under Arms Act against this Rakshak. He was placed under suspension. Both these cases are pending trial in the Court. The recovery of such a large sum of money is being enquired into by the CBI under section 5 of the Prevention of curruption Act.

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमे

2898. **श्री अरबिन्द एम० पटेल**
श्री एन० आर० वेकारियां } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) 1 अप्रैल, 1973 से 31 मार्च, 1974 के बीच कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किए गए विभिन्न अपराधों के लिए कम्पनियों और उनके अधिकारियों के विरुद्ध कितने मुकद्में चलाए गये ;

(ख) न्यायालयों द्वारा कितने मामले तय किये गये; और

(ग) कितने मामलों में निर्णय सरकार के विरुद्ध रहा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा मेथानोल का उत्पादन

2899. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारतीय उर्वरक निगम ने वर्ष 1973 और 1974 में मैथानोल का कितना उत्पादन किया ;

(ख) भारतीय उर्वरक निगम की वितरण और विवर्णन सम्बन्धी नीति क्या है और उसके अन्तर्गत निर्धारित प्राथमिकताओं की सूची क्या है ;

(ग) क्या उक्त निगम मेथानोल की बिक्री सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं को करता है या अंशतः अथवा पूर्णतः व्यापारियों द्वारा करता है; और

(घ) क्या भारतीय उर्वरक निगम की मेथानोल वितरण सूची में कुछ व्यापारियों के नाम क्या हैं और वर्ष 1973 और 1974 में उन्हें कितनी मात्रा में मेथानोल दिया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) 1973 लगभग 23270 मीटरी टन, 1974 (15 अगस्त तक) लगभग 18190 मीटरी टन ।

(ख) इस संबंध में मथानोल के लिए नीति का उपलब्धता की स्थिति तथा मांग के संदर्भ में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकता वाले उद्योग, जैसे कि औषध तथा भेषज की जहाँ तक संभव हो सके, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ।

(ग) और (घ) बिक्री अधिकतर वास्तविक उपभोक्ताओं को की जाती है, किन्तु कुछ मात्रा डीलरों द्वारा भी बेची जाती है जैसा कि नीचे दिया गया है :—

(लगभग मीटरी टनों में मात्रा)

	1973	1974 (15 अगस्त तक)
1. महाराष्ट्र औषध रसायन	134	70
2. न्यूकेम निगम कारपोरेशन	117	57
3. मेट्रो रसायन	45	48
4. राष्ट्रीय रसायन	29	18
5. नेशनल सोलवेंट कारपोरेशन .	3	25

वर्ष 1972 और 1973 के दौरान हुई दुर्घटनाएं

2900. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 और 1973 के दौरान 8 मई से 27 मई के बीच भारतीय रेलवे में कुल कितनी रेल दुर्घटनायें हुई हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : 1972 और 1973 में 8 मई से 27 मई तक की अवधि के दौरान भारत की सरकारी रेलों में टक्कर होने, गाड़ी के पटरी से उतर जाने, समपार दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में क्रमशः 56 और 31 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई ।

वर्ष 1972-73 और 1973-74 में 8 मई से 17 मई तक भारतीय रेलवे की आय

2901. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में क्रमशः 8 मई से 17 मई तक भारतीय रेलवे की कुल आय कितनी थी ; और

(ख) 8 मई से 17 मई, 1974 तक की अवधि में आय में कमी होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) संभवत: माननीय सदस्य 8 मई से 27 मई, 1974 तक की रेलों की प्राप्त आमदनी और 1973 की इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े जानना चाहते हैं। इन अवधियों की आमदनी के आंकड़ों का अनुमान 1974 में 45.44 करोड़ रुपये और 1973 में 65.62 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ख) मई, 1974 के दौरान पिछले वर्ष की अपेक्षा कम आमदनी होने का मुख्य कारण रेल कर्मचारियों की सारे भारत में हुई हड़ताल है जिससे गाड़ियों के संचालन में गंभीर बाधा पड़ी और रेलों पर भारी संख्या में माल डिब्बे रुके पड़े रहे।

बिहार को अधिक मात्रा में डीजल तेल का आवंटन

2903. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने अभी हाल में राज्य को अधिक मात्रा में डीजल तेल का तत्काल आवंटन करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) बिहार सरकार से डीजल तेल के आवंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। कोई स्थानीय अस्थाई कमी को छोड़कर पिछले कुछ समय में बिहार में डीजल तेल की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

भारत में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए डुबाई के साथ समझौता

2904. **श्री भागीरथ भवर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए फारस की खाड़ी के डुबाई देश के शासक के साथ एक समझौता किया गया है जिसके लिये डुबाई आसान शर्तों पर अशोधित तेल सप्लाई करेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) युनाइटेड अरब एमीरेट के उपाध्यक्ष ने जून, 1974 में भारत का दौरा किया था। इन यात्राओं के अंतर्गत कोई औपचारिक समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया। लेकिन अन्य बातों के साथ 2 अशोधित कच्चे तेल को साफ करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने और भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने के संबंध में विचार करने के लिए शिष्ट-मंडलों के आदान-प्रदान करने के बारे में सहमति हो गई थी।

मथुरा तेश शोधक कारखाने के लिए डिजाइन परिमापियों और सप्लाई, सूचियों का निर्धारण करने के बारे में समझौता

2905. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा में सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किये जा रहे तेलशोधक कारखाने के लिए डिजायन परिमापियों और सप्लाई सूचियों का निर्धारण करने संबन्धी एक समझौते पर सरकार ने हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) और (ख) भारत सरकार और रूस सरकार के मध्य दिनांक जुलाई, 1973 को एक संलेख पर हस्ताक्षर हुए थ जिसमें मथुरा परिष्करणशाला की संरचना करने में दो देशों के मध्य तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए व्यवस्था की गई थी। इस संलेख के अन्तर्गत संबंधित सोवियत संगठन परियोजना के लिए उपस्कर मशीन सामग्री और अतिरिक्त पुर्जों की वर्ष 1974—1 अप्रैल, 1978 की अवधि में सप्लाई करेगा। रूस अपनी ओर से सोवियत प्रोद्योगिकी आधार पर सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजाइन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें कार्यचालन नक्शे और विद्युत डिजाल्टर, वायु मण्डलीय आवन एकक, निर्वात एकक (वैकम यूनिट) बिटूमन उत्पादन एकक और सल्फर उत्पादन एकक के लिए उपस्करों/सामग्रियों की सप्लाई भी शामिल है। भारत की ओर से उक्त एककों के लिए मूल डिजाइन पैरामीटरों की व्यवस्था की जाएगी।

उपरिलिखित संलेख के अनुसरण में भारतीय तेल निगम ने दिनांक 6 दिसम्बर 1973 को नेफ्थेचिमक्रोक्सेपोर्ट मास्को के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को जनवरी 1975 तक सोवियत संगठन तैयार करेगा और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मंजूर होने की तारीख से पन्द्रह महीनों के अन्दर के कार्यचालन नक्शे तैयार करेंगे और विस्तृत रिपोर्ट स्वीकार करते हुए जो समय तय किया गया था उसके अनुसार भारतीय तेल निगम को उत्पादन उन्हें सौंप दिया जाएगा।

भारतीय रेलवे में संगणकों का लगाया जाना

2906. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1966 में रेलवे में संगणक स्थापित किये गये थे ;

(ख) उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) क्या भंडार लेखा और सामान नियंत्रण के संगणकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है और यदि हां, तो किस तारीख से ; और

(घ) उन्हें ठीक समय पर स्थापित न करने से सरकार को कितनी क्षति हुई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अगस्त, 1966 में चितरंजन इंजन कारखाने में केवल एक संगणक लगाया गया था। अन्य 13 संगणक इसके बाद में लगाये गये थे जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8231/74]

(ख) संगणकों के लिए दिया जाने वाला मासिक किराया संलग्न विवरण I में बताया गया है।

(ग) अब तक की गयी प्रगति संलग्न विवरण II में बतायी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8231/74]

(घ) ये संगणक यूनिट रिकार्ड मशीनों के बदले निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर लगाये गये थे। सरकार को हानि होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में साबुन का उत्पादन

2907. श्री के० लकप्पा : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में साबुन बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में 2 यूनिट : एक कर्नाटक सरकार के दूसरा केरल सरकार के अन्तर्गत साबुन के उत्पादन में लगी हुई है। पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम को भी प्रति वर्ष 7200 मीटरी टन की क्षमता पर नहाने के साबुन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के खडगपुर डिवीजन के रुपसा-बांगरीपोसी सेक्शन में माल यातायात के लिए वैगन

2908. **श्री गजाधर माझी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खडगपुर डिवीजन के रुपसा-बांगरीपोसी में माल यातायात के लिए पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को इस स्थिति की जानकारी है कि अब तक इस सेक्शन में नागपुर से केवल दो वैगन भेजे गये हैं, जबकि पांच वैगनों का आश्वासन दिया गया था;

(ग) क्या इससे व्यापारियों को अपना माल विभिन्न स्थानों को सड़क परिवहन से भेजने के लिए वाध्य होना पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में रूपसा बांगरीपोसी खंड पर माल डिब्बों की मांगे काफी हद तक पूरी की जा रही हैं।

(ख) नागपुर मंडल से इस खंड में छोटी लाइन के पांच माल डिब्बे पहले ही स्थानान्तरित किये जा चुके हैं और काम में लाये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) इस खंड पर लम्बी दूरी का यातायात होता है और ढुलाई की दर कम है। सड़क द्वारा इसकी ढुलाई की संभावना नहीं है।

रुपसा-बांगरीपासी सेक्शन में नैरो गेज यात्री गाड़ी के डिब्बों की जीर्ण-शीर्ण हालत

2909. **श्री गजाधर माझी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के रुपसा-बांगरीपासी सैक्शन में नैरो गेज यात्री गाड़ी के डिब्बे जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं और उनकी छतों से पानी टपकता है तथा बिजली की फिटिंग्स खराब हालत में हैं ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इन कठिनाइयों से यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है और उनके जीवन को खतरा भी है; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) रुपसा--बांजरीपोषि खण्ड पर चलने वाली छोटी लाइन के सवारी डिब्बों का बाहरी भाग इस क्षेत्र का वायुमण्डल खारा होने के कारण खराब हो जाता है लेकिन भीतरी फिटिंगे जिसमें बिजली फिटिंगें भी शामिल हैं सामान्य हालत में हैं।

4—417LSS/74

निचले गियर की हालत भी अच्छी है। लेकिन चार सवारी डिब्बों की छतें चूने लगी थीं और उन्हें मरम्मत के लिए हटा लिया गया था।

(ख) और (ग) इस खण्ड पर चलने वाले सवारी डिब्बे अच्छी हालत में हैं और उन्हें यात्रा के लिए सुरक्षित समझा जाता है। इसके अतिरिक्त, सवारी डिब्बों के अनुरक्षण के लिए रुपसा में, जहां से सवारी गाड़ियां शुरू होती हैं, मरम्मत लाइन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। दिन प्रति दिन के अनुरक्षण के अलावा नियत-आवधिक ओवरहाल करते समय सवारी डिब्बों पर रंग-रोगन किया जाता है और और पूरा ध्यान दिया जाता है।

विदेशी औषधि कम्पनियों के लाभों के बारे में लागत तथा लेखा समिति की सिफारिशें

2910. **श्री एन० ई० होरो**
श्री के० मालन्ना } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशियों द्वारा नियंत्रित औषधि कम्पनियों के लाभों के बारे में लागत तथा लेखा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की गई थी। शायद संकेत उस कार्यकारी दल की ओर है जो औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के चेयरमैन की अध्यक्षता में ठोस गिलेटिन कैंपसूल सहित 24 प्रपुंज औषधों के मूल्य ढांचे की जांच करने के लिए गठित किया गया था। सरकार ने कार्यकारी दल द्वारा उसको सौंपे गए 2 विशिष्ट कार्यों अर्थात 24 प्रपुंज औषधों के उचित विक्रय मूल्य और (11) प्रक्रिया हानि परिवर्तन लागत और पैकिंग के बारे में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर अपनी घोषणा भी कर दी है। इस संबंध में 19-4-74 को एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था कार्यकारी दल को उसको सौंपे गए शेष कार्य के बारे में की गई सिफारिशें विचाराधीन है। लेकिन यह बताना उचित होगा कि कार्यकारी दल के विदेशी नियंत्रणाधीन औषध कम्पनियों के बारे में विशेष रूप से जांच तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा गया था।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाना का आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव

2911. **श्री एन० ई० होरो**
श्री एन० एस० पुरती } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने के आधुनिकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नये प्रस्तावों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त क्षमता बनाये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) योजना में 1,28,500 मी० टन नाइट्रोजन के अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है। प्रायोजना पर लगभग 89 करोड़ रुपये के लागत का अनुमान है। सिन्दरी में इस समय कोक/कोक ओवन गैस के स्थान पर योजना में ईंधन तेल का प्रयोग किया जायेगा।

उर्वरकों के उत्पादन हेतु इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

2912. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणी के उर्वरकों के उत्पादन हेतु इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड की अधिष्ठापित लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कम्पनी ने कितनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन किया; और

(ग) क्या सरकार ने अधिक उत्पादन का अधिकार प्रदान किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना युक्त एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(प्रतिवर्ष मीटरी टनों में)

मद	लाइसेंसीकृत क्षमता	स्थापित क्षमता
(क)		
अमोनिया	300000	274000
यूरिया	450000	450000
पोलीथीन बैग	2500	—
(ख) यूरिया उत्पादन		
1972-73	339000 मी० टन	
1973-74	250000 मी० टन	
(ग) प्रश्न नहीं उठता।		

NCCRS' Office at Dhanbad

2913. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the office of Divisional Railway Employees' Co-ordination Committee and the local branch office of the Co-ordination Committee for Railwaymen's struggle were functioning for years near old station in Dhanbad in a house belonging to the Railway;

(b) if so, whether Shri Chandrika Prasad, a Member of Parliament, inaugurated that office;

(c) whether on the 27th May, 1974 when the National Co-ordination Committee announced the calling off of the strike, that office was completely destroyed by the Railway authorities and property worth Rs. 8,000 was connived to the looted; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (d) According to the available information an unauthorised structure in a dilapidated condition had been put up by some railway employees; being unauthorised, this had to be dismantled. In this process no property was removed.

Reinstatement of Leaders of A. I. R. F. removed from service during Strike

2914. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether most of the leaders of the All India Railwaymen's Federation who were removed from the service during the Railway strike have now been reinstated;

(b) if so, whether the leaders of the unrecognised unions an organisations, removed from service, have not been reinstated so far; and

(c) if so, the reasons for adopting double standards and criteria in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) Disciplinary action is taken against Railway staff not in their capacity as office bearers of any labour organisation but only for their activities as Railway servants.

(c) Does not arise.

मध्य प्रदेश में खनिज उद्योगों के लिए माल डिब्बों की सप्लाई के बारे में मध्य प्रदेश सरकार को शिकायत

2916. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह शिकायत की है कि मध्य प्रदेश खनिज उद्योगों को पर्याप्त संख्या में रेल माल डिब्बे नहीं मिलते; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे अधिकारियों द्वारा सेना को तैनात किया जाना

2917. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत रेल हड़ताल के दौरान रेलवे अधिकारियों ने सहायता के लिये सेना भी बुलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर सेना की सहायता मांगी गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां। मुख्यत: दूर संचार, बिजली और रेल इंजन शेडों की सेवाओं के अनुरक्षण काय में सहायता के लिए केवल सीमित मात्रा में ।

(1) **मध्य रेलवे :**—बम्बई, कूर्ला, छोला, बिजली घर, भाटुंगा, कल्याण, इगतपुरी, भुसावल, मनमाड, इटारसी, नागपुर, जबलपुर, न्यू कटनी जंक्शन, झांसी, आगरा, भोपाल, सतना, आमला, मथुरा, पुणें और लोनावाला ।

(2) **पूर्व रेलवे :**—कलकत्ता, हावड़ा, सियालदह, अण्डाल, आसनसोल, धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, वर्द्धमान, गया और पतरातू ।

(3) **उत्तर रेलवे :**—दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, अमृतसर, जालंधर छावनी, भटिंडा, कालका, लुधियाना, पठानकोट, बीकानेर, जोधपुर, रिवाड़ी, इलाहाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ और वाराणसी।

(4) **पूर्वोत्तर रेलवे :**—गोरखपुर, लखनऊ, कासगंज, इज्जतनगर, समस्तीपुर, बरौनी, वाराणसी, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा नरकटेयागंज और गौंडा।

(5) **पूर्वोत्तर सीमा रेलवे :**—मालीगांव, अलिपुरद्वार, लमडिंग, रंगिया, सिलीगुडी, गौहाटी, मरैनी, जोरहाट और कटिहार।

(6) **दक्षिण मध्य रेलवे :**—सिकन्दराबाद, विजयवाडा, शोलापुर, हुबली, बलहारशाह, गुन्तकल, घोंडी, काजीपेट, और मौलाहूली।

(7) **दक्षिण पूर्व रेलवे :**—वालतेरु, आद्रा, खड़गपुर, चक्रधरपुर और बिलासपुर।

(8) **दक्षिण रेलवे :**—मद्रास, बैंगलूर, मैसूर, ओल्लाव कोट, तिरुच्चिरापल्ली, मदुरै और विल्लूपुरम।

(9) **पश्चिम रेलवे :**—बम्बई, बुलसर, सूरत, बड़ौदा, भावनगर, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, राजकोट, जयपुर, सूरतगढ़ और अजमेर।

रेलवे विदयुतीकरण कर्मचरियों का खपाया जाना

2918. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे को विभिन्न जोनों में कार्य कर रहे रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी है ;

(ख) इन कर्मचारियों के स्तर क्या हैं तथा उनके वेतनमान क्या हैं ; और

(ग) क्या रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों को महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता में खपाए जाते समय कोई कठिनाई होती है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

न्यायालयों में न्यायाधीशों को सम्बोधित करने का तरीका

2919. **श्री समर गुह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों में न्यायाधीशों को 'माई लार्ड' कहकर सम्बोधित करने की साम्राज्यवादी परम्परा अब भी जारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे बदलने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों को सम्बोधित करने का तरीका एक ऐसा विषय है जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधिपति और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति ही विचार कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश को डीजल तेल का आवंटन

2920. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य को गत 6 मास में प्रतिमास कितना डीजल तेल आवंटित किया गया ;

(ख) राज्य को उपरोक्त अवधि में डीजल तेल की कितनी वास्तविक सप्लाई की गई ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश राज्य में डीजल तेल की कमी को देखते हुए उसकी डीजल तेल की अधिक मात्रा का आवंटन करेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) (क) से (ग) मूल्य निर्धारण एवं सप्लाई क्षेत्रों के आधार पर समस्त पेट्रोलियम उत्पादों, मिट्टी के तेल को छोड़कर, की सप्लाई की गई। ये आंकड़े राज्यवार तैयार नहीं किये गये। कुछ अस्थाई क्षेत्रीय कमी को छोड़कर मध्य प्रदेश की डीजल तेल की मांग को अभी तक पूरा किया गया।

स्थानीय गाड़ियों को बन्द करना

2921. **श्री राज देव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे हड़ताल समाप्त हुए लगभग दो मास व्यतीत हो चुकने के पश्चात् भी काफी संख्या में स्थानीय गाड़ियां, जो अधिकतर शाखा लाइनों का पोषण करती हैं, बन्द हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और वे कब से सामान्य रूप से चलने लगेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अपेक्षाकृत अधिक आवश्यक यातायात के संचलन के लिये कोयला बचाने के उद्देश्य से कुछ सवारी गाड़ियों का चलना अब भी बन्द है जिसमें शाखा लाइनों की गाड़ियां भी शामिल हैं। रेलों द्वारा इन गाड़ियों को उत्तरोत्तर चलाया जा रहा है।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित मोटरों को बरौनी एवं अन्य उवरक संयंत्रों में प्रयोग में लाना

2922. **श्री रावजदेव सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के बरौनी संयंत्र में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड भोपाल में विभिन्न शक्तियों वाली निर्मित औद्योगिक मोटरें लगाई जा रही हैं; और

(ख) क्या ये मोटरें अन्य उर्वरक संयंत्रों में और विभिन्न चालनों में उपयोग के लिये उपयुक्त हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

हड़ताल में भाग लेने वाले स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर

2923. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी रेलवे जोनों में, जोन वार कितने-कितने स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों ने हड़ताल में भाग लिया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केरल के तट-दूर क्षेत्रों में तेल के लिए सर्वेक्षण

2924. श्री ए० के० गोपालन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने केरल के तट-दूर क्षेत्रों में तेल के विपुल भंडार का पता लगाने के लिये 1957 में जांच की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणामों के संबंध में राज्य सरकार को सूचित किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1957 में केरल के तट पर तेल के लिए जांच की गई थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कडकावूर स्टेशन पर विकास कार्य

2925. श्री वयालार रवि : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में दक्षिण रेलवे के कडकावूर स्टेशन पर प्रारंभ किये गये विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या कार्य तालिका के अनुरूप प्रगति पर हैं और यदि हां, तो अब तक पूर्ण किये गये कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) और (ख) त्रिवेन्द्रम–कोल्लम–एरणाकुलम खंड को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की योजना के अन्तर्गत, कडक्कावूर स्टेशन पर निम्नलिखित विकास संबंधी निर्माण कार्यों को हाथ में लिये जाने का प्रस्ताव है :—

(i) लम्बी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए नीची सतह वाले वर्तमान प्लेटफार्म का विस्तार ।

(ii) एक नये पटरी की सतह वाले इकहरे द्वीप प्लेटफार्म की व्यवस्था ।

(iii) माल गोदाम शेड और माल प्लेटफार्म की व्यवस्था ।

(iv) प्लेटफार्म पर बड़ी लाइन मानक को छत ।

(v) ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय में महिलाओं के लिए अलग शौचालय ।

ऊपर बताये गए निर्माण कार्यों में से मद (i) का काम अर्थात प्लेटफार्म का विस्तार 16 बोगियों की लम्बाई तक पहले ही किया जा चुका है और इस समय कितनी लम्बी गाड़ियां चल रही हैं उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं । आगे 18 बोगियों की लम्बाई तक विस्तार का काम हो रहा है । (   ) उपर्युक्त मद (V) का काम भी हो रहा है । बाकी के काम बदलावा योजना के साथ, निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हाथ में लिये जायेंगे और मार्च, 1976 तक उनके पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

पश्चिम बंगाल में गायघाट के उपचुनाव की जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए चुनाव कानूनों का संशोधन

2926. श्री समर गुह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री पश्चिम बंगाल में गायघाट के उपचुनाव में हुए कदाचारों की जाँच के प्रतिवेदन के बारे में 23 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 314 के उत्तर के संबंध में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गायघाट के उपचुनाव में छल-कपट करने के प्रयासों के विषय में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में होने वाले चुनावों में छल-कपट, हिंसा, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने का निवारण करने हेतु चुनाव आयोग को उपायों की सिफारिश करने के लिए कहा जाएगा; और

(ख) क्या इन निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार वर्तमान चुनाव कानूनों का संशोधन करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) तथा (ख) हमारे जैसे विशाल देश में, जहां निर्वाचकों की संख्या अत्याधिक है, प्रश्न में निर्दिष्ट प्रकार की छिटपुट घटनाओं के होने का यही आशय तो नहीं होता कि प्रभावकारी विधिक उपबंध नहीं हैं या इस संबंध में पर्याप्त निवारक उपाय नहीं किए जा रहे हैं। तथापि, निर्वाचन आयोग ने इस पर उचित रूप से ध्यान दिया है और संबंधित प्राधिकारियों को ऐसे पर्याप्त और प्रभावकारी कदम उठाने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त, इससे पूर्व भी, 20 दिसम्बर, 1973 को लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक में, वेद्यमान उपबंधों को व्यापक बनाने के लिए, उपयुक्त संशोधन, विशेषकर खण्ड 36 और 37 में, सम्मिलित किए जा चुके हैं ताकि इस प्रकार की परिस्थितियां उसके अंतर्गत आ जाएं।

सौराष्ट्र में स्थित सोडा ऐश संयत्रों के लिए माल डिब्बों की कमी के बारे में शिकायतें

2927. **श्री एस० आर० दामाणी**
डा० हरि प्रसाद शर्मा } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र में स्थित सोडा ऐश संयंत्रों से माल डिब्बों की कमी के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) उनकी आवश्यकतायें क्या हैं और पिछले छः महीनों में उन्हें वास्तव में कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराए गये हैं ; और

(ग) कम सप्लाई के क्या कारण हैं और एकत्रित स्टाक को हटाने के लिये आवश्यक माल डिब्बे कब तक मिल जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। मेसर्स टाटा और सौराष्ट्र केमिकल्स से शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग) जनवरी से जून, 1974 तक की अवधि में मीटर लाइन के 8714 माल डिब्बों का लदान हुआ जबकि शुद्ध मांग 9854 माल डिब्बों की थी।

अधिमानत: उच्च अग्रता वाले यातायात की निकासी करने की रेलवे की वचनबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए इन कारखानों से सोडा ऐश का पर्याप्त संचलन सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में, जुलाई, 1974 में लदान बढ़ गया और जनवरी से जून, 1974 की अवधि में 1452 माल-डिब्बों के औसत मासिक लदान की तुलना में इस महीने मीटर लाइन के 1774 माल डिब्बों का लदान हुआ है।

आई० ओ० सी० द्वारा बिजलीघरों को सप्लाई किया गया भट्टी तेल

2928. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आई० ओ० सी० द्वारा बिजली घरों को सप्लाई किये जाने वाले भट्टी के तेल की किसम ऐसी है कि उससे संचालन में गड़बड़ हो सकती है और कार्य कुशलता पर भी प्रभाव पड़ सकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके कारणों की जांच की गई है ; और

(ग) बिजली घरों को सही किस्म का तेल सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं। लेकिन पूर्वीय क्षेत्र के कतिपय बिजली घरों में भट्टी के तेल की उच्चश्यानता ने कुछ परिचालन सम्बन्धी समस्याएं खड़ी कर दीं और जबतक आवश्यक परिवर्तन नहीं किए जाते हैं निम्नश्यानता के तेल को सप्लाई को व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्चे तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के नियतन में कटौती

2929. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में कच्चे तेल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा के नियतन में भारी कटौती करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे देश की तेल शोधन क्षमता और पेट्रोलियम उत्पादों की मांग व सप्लाई संबंधी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :(क) और (ख) अक्तूबर 1973 से अशोधित तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि तथा जनवरी, 1974 से और भारी वृद्धि के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए आयातित अशोधित तेल की विदेशी मुद्रा लागत बहुत बढ गई है। इस समय अशोधित तेल की उपलब्धता की समस्या नहीं है अपितु आयातित अशोधित तेल की ऊंची विदेशी मुद्रा लागत को पूरा करने की है। विदेशी मुद्रा उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखकर तेल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा पिछले वर्ष के 571.25 करोड़ रुपये (अशोधित तेल के लिए 429.70 करोड़ रुपये सहित) की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान (अशोधित तेल के लिए 858 करोड़ रुपये सहित) लगभग 1120 करोड़ रुपये होगी। विदेशी मुद्रा व्यय में भारी वृद्धि होने के बाबजूद भी शोधनशालाओं में अशोधित तेल का कुल उत्पादन तथा 1974-75 के दौरान उत्पाद उपलब्धता पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम होने की संभावना है। संभावित उपलब्धता में तालमेल रखने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं।

मध्य प्रदेश में मैसर्स बालकृष्ण पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे पेट्रोल स्टेशन

2930. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मैसर्ज बालकृष्ण पोद्दार के स्वामित्व वाले अथवा उनके द्वारा चलाये जा रहे ऐसे पेट्रोल स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां से पेट्रोलियम, मोबिल ग्रायल, डीजल ग्रायल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई की जा रही है ;

(ख) इस राज्य में ग्रन्य लोगों के स्वामित्व वाले कुल कितने ऐसे पेट्रोल स्टेशन हैं; ग्रौर

(ग) इस राज्य में ऐसे पेट्रोल स्टेशनों को चलाने के लिये कितने बेरोजगार इंजीनियरी स्नातकों को लाइसेंस दिये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ग्रौर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण संयंत्र में जमा सोडा ऐश

2931. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ग्रोर तो ग्लास कारखानों में सोडा ऐश की ग्रत्यन्त कमी है जब कि दूसरी ग्रोर सोडा ऐश के दो प्रमुख उत्पादकों के यहां इसका स्टाक जमा है ;

(ख) यदि हां, तो इन सोडा ऐश संयंत्रों को पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ग) इस समय प्रत्येक संयंत्र में कितना सोडा ऐश जमा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) (क) से (ख) : गुजरात राज्य में स्थित मैसर्स टाटा ग्रौर सौराष्ट्र केमिकल्स सोडा ऐश के दो प्रमुख उत्पादनकर्ता हैं ।

इन कारखानों द्वारा प्रस्तुत सूचना के ग्रनुसार मेसर्ज टाटा केमिकल्स के पास 21,500 मीटरिक टन ग्रौर मेसर्स सौराष्ट्र केमिकल्स के पास 1,000 मीटरिक टन का स्टाक उपलब्ध है । इन फैक्टरियों द्वारा की गयी मांग के ग्रनुसार रेलें इनको माल-डिब्बे सप्लाई करती हैं ग्रौर फैक्टरियां इन माल डिब्बों का वितरण विभिन्न उपभोक्ताग्रों को करती हैं । विभिन्न उद्योगों को सोडा ऐश के वितरण में रेलों का हाथ नहीं होता ।

इन फैक्टरियों से सोडा ऐश का यातायात ग्रग्रता श्रेणी 'डी' के ग्रधीन ढोया जाता है । विशेष रूप से गुजरात राज्य में कर्मचारी ग्रान्दोलनों ग्रौर नागरिक उपद्रवों के कारण बिगड़ी हुई स्थिति के बावजूद इन कारखानों से सोडा ऐश का लदान सन्तोष जनक स्तर पर बनाये रखा गया । जनवरी से जून, 1974 की ग्रवधि में मीटर लाइन के 8714 माल डिब्बे लादे गये जब कि शुद्ध मांग 9,854 माल डिब्बों की थी ।

ग्रधिमानत: उच्च ग्रग्रता वाले यातायात की निकासी करने की रेलवे की वचनवद्धताग्रों को ध्यान में रखते हुए इन फैक्टरियों से सोडा ऐश का पर्याप्त संचलन सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है । जुलाई, 1974 में लदान बढ़ गया ग्रौर जनवरी से जून, 1974 की ग्रवधि में 1452 माल डिब्बों के ग्रौसत मासिक लदान की तुलना में इस महीने मीटर लाइन के 1774 माल डिब्बों का लदान हुग्रा है ।

औद्योगिक विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन

2932. **श्री धामनकर**
श्री सरजू पाण्डेय
श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री वसन्त साठे
: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, जिससे उसे औद्योगिक विकास के लिये अधिक प्रभावी बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है और उसकी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बड़े व्यापार गृह की विचारधारा बनने और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के लागू होने से पूर्व औद्योगिक उत्पादन की दर 6 प्रतिशत थी और एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के लागू होने और कठोर विनियमों के कारण उत्पादन घटकर 3 प्रतिशत ही रह गया, क्योंकि उनसे बड़े उद्योग गृहों पर नये उद्योगों की स्थापना करने के बारे में रोक लगी है; और

(घ) यदि हां, तो तेजी से औद्योगिक विकास करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेद ब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी । एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कुछ उपबन्धों में जो असंगतियों प्रतीत हुई हो, उन्हें निष्कासित करने तथा इन उपबन्धों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, इनमें प्रशासनिक, प्रक्रियात्मक तथा शाब्दिक परिवर्तनों में कुछ संशोधन विचारान्तर्गत है, एवं ऐसी आशा है कि इस उद्देश्य के लिये आवश्यक विधान यथा शीघ्र उपस्थित किया जायेगा ।

(ग) गत दशाब्दी या लगभग के मध्य, औद्योगिक उत्पादन की दर प्रदर्शित करते हुये, औद्योगिक विकास मंत्रालय दुवारा भेजा गया एक विवरण-पत्र (परिशिष्टक) सदन के पटल पर प्रस्तुत है (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8232/74) यह कहना सही नहीं है कि बृहदतर घरानों के संबोध तथा एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की पुर: स्थापना के पूर्व, औद्योगिक उत्पादन की दर 6 प्रतिशत थी, एवं एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की पुर: स्थापना के पश्चात उत्पादन के विकास की दर घटकर 3 प्रतिशत रह गई । इस विवरण-पत्र से प्रदर्शित होगा कि 1972 में औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर 7. 1 प्रतिशत तक उन्नत थी । यह 1965 के पश्चात्, 1969 को छोड़कर अन्य किसी वर्ष में औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर की अपेक्षा महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर थी । संक्षेप में, कुछ थोड़े से वर्षों में, औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर में अवनति, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की पुर:स्थापना से सम्बद्ध नहीं की जा सकती वरन् उन परिस्थितियों से है, जो इससे बिल्कुल भिन्न एवं प्रस्तुत वर्षों के लिये विशिष्ट है । उदाहरणार्थ, 1966 व 1967 के वर्षों में, औद्योगिक विकास की दर, रुपये

के अवमूल्यन के पश्चात् तथा अन्तः कालीन समस्याओं, जिनसे मांग में कमी हुई के कारण अर्थ व्यवस्था में प्रतिसारी परिस्थितियों के कारण नकारात्मक हो गई। 1973 में औद्योगिक उत्पादन विकास की दर में अवनति, आवश्यक रूप से अधिक मात्रा में बिजली की कमी के कारण हुई है। उस मात्रा तक कि यदि विद्युत संभरण, सब के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में वृहद् रूप में प्राप्त होता तो यह नहीं कि एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का पुरःस्थापन बिजली की अप्राप्ति की स्थिति अवनति में सहायक हुआ है, वरन् 1973 में इसके लिये कारण आंशिक रूप से वर्षा का न होना, जिससे हाईड्रोइलैक्ट्रिक पावर के जेनरेशन में अवनति व आंशिक रूप से अनेक थैरमल पावर स्टेशनों में संधारण समस्यायें हैं। 1973 का वर्ष परिवहन समस्याओं तथा उद्योग के लिये आवश्यक आदाओं, जेसे कोयला, स्टील, तथा अल्यूमियनम की न्यूनता के लिये भी विशिष्ठता रखता है जिनके लिए पुनः विद्युत संभरण की समस्या तथा रेल गतिविधि की कठिनाइयाँ भी प्रमुख अंशदायी कारक हैं।

(घ) औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक उत्पादन को प्रगति प्रदान करने के लिये औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा उठाये गये अत्याधिक महत्वपूर्ण पत्रों की श्रेणी प्रदर्शित करते हुये एक विवरण-पत्र (परिशिष्ट (ख) सदन के पटल पर प्रस्तुत है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8232/74)

बम्बई में बिद्रोली स्टेशन के निकट घातक खम्भा

2933. **श्री धामनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि बम्बई में बिद्रोली स्टेशन के निकट रेल लाइन पर एक ऐसा घातक खम्भा है जिसने सैकडों व्यक्तियों की जाने लेली हैं; और .

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) इस खंभे की संरचना में निर्धारित चल अयामों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और रेल पथ के दोनों तरफ समुचित निकासी की गुंजाइश रहती है। फिर भी चूंकि इस स्थान पर पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकीं हैं इसलिएं और भी अधिक एहतियात के रूप में प्रशासन निकासी का मार्ग प्रशस्त करने की व्यवस्था कर रहा है।

मैसर्स शार्प एज लिमिटेड, नई दिल्ली में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्ज लिमिटेड के शेयर

2934. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेफ्टी रेजर ब्लेड बनाने वाली कम्पनी मैसर्ज शार्प एज लिमिटेड, नई दिल्ली, में मैसर्ज हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड के कितने प्रतिशत शेयर हैं;

(ख) मैसर्ज हिन्दुस्तान लीवर्ज लिमिटेड को मैसर्ज शार्प एज लिमिटेड में पूंजी निवेश करने के बाद प्रति वर्ष कितना लाभांश मिला है; और

(ग) विशेषकर हिन्दुस्तान लीवर्ज लिमिटेड द्वारा भारतीय कम्पनी को कोई तकनीकी सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है, विदेशी मुद्रा बाहर भेजे जाने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेद ब्रत बरुआ) : (क) मैसर्ज शार्प एज लिमिटेड द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास प्रस्तुत 14-6-1974 तक की वार्षिक विवरणी के अनुसार मैसर्ज हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड उसमें साम्य शेयर के 47.5 प्रतिशत धारण करता है।

(ख) 1965 में किए गए पूंजी निवेश से मैसर्ज हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा प्राप्त लाभांश (कर के पश्चात्) की राशि शार्प एज लिमिटेड में निम्न प्रकार है:—

वर्ष	रु०
1965	—
1966	79,657
1967	1,38,941
1968	2,33,412
1969	3,00,086
1970	3,50,082
1971	3,47,518
1972	3,45,603
1973	2,16,003

(ग) सरकार की विदेशी मुद्रा प्रेषण के सम्बन्ध में नीति वित्त मंत्रालय, आर्थिक विभाग द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित मार्गदर्शक निर्देश में दी गई है।

आर्थिक आपात अवधि के दौरान नयी लाइनों का बिछाना

2935. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने रेलवे को आर्थिक आपात अवधि के दौरान किन्हीं नयी लाइनों के बिछाने के लिए मना किया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उड़ीसा में नयी लाइनों के बिछाने के काम पर प्रभाव पड़ा है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा को रसायन उद्योग के लिए दिए गये औद्योगिक लायसेंस

2936. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उड़ीसा को रसायन उद्योग के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जहां तक पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का सम्बन्ध है, वांछित सूचना संलग्न विवरण पक्ष में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	लाइसेंस/ आशय पत्र	मद	प्रतिवर्ष मी० टनों में क्षमता	स्थान	वर्तमान स्थिति
1.	मैसर्स ओरिएन्ट पेपर मिल्स लि०, ब्रिजराज नगर	लाइसेंस	कास्टिक सोडा	3240 टी० पी०ए०	ब्रिजराज नगर	पहले ही कार्यान्वित किया गया है।
2.	मैसर्ज जयश्री कैमिकल्स लि० कलकत्ता	वही	वही	42000 टी०पी०ए०	गन्जम	16000टी० पी०ए० पहले ही कार्यान्वित किया गया है आशय पत्र के अन्तर्गत शेष की अच्छी प्रगति है।
3.	मैसर्स टिटा गढ पेपर मिल्स कम्पनी लि०, कलकत्ता	वही	वही	1650टी० पी०ए०	चोदार	कार्यान्वियन अधीन है।
4.	मैसर्स उड़ीसा स्टेट इण्डिस्ट्रियल डवेल्पमेन्ट कारपोरेशन, भुवनेश्वर	आशयपत्र	वही	33,000टी० पी०ए०	—	—
5.	मैसर्स उड़ीसा स्टेट इण्डिस्ट्रियल डवेल्पमेंट कारपोरेशन, भुवनेश्वर	वही	सोडा ऐश	66,000टी० पी०ए०	—	—
		वही	अमोनिया क्लोराइड	66,000टी० पी०ए०	—	—
6.	श्री जे० पटनायक, बडीमदा	वही	सिन्थेटिक डिटरजेंट	10,000टी० पी०ए०	—	—

ड्यूटी पर तैनात रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने की पेशकश

2937. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकरण उन कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने की पेशकश करता है जो ड्यूटी पर तैनात रहते हुए मारे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्त वर्षों के दौरान, वर्ष-वार इस मद के अन्तर्गत जिन लोगों को नौकरियों दी गई उनके नाम क्या है ;

(ग) ऐसे कितने मामले विभिन्न जोनल मैंनेजरों के पास विचाराधीन पड़े हैं, और

(घ) उन मामलों को सम्भवत: किस तारीख तक निपटा दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छिद्रण उपकरण के संबंध में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की योजना

2938. **श्री धामनकर**
श्री वसन्त साठे : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अशोधित तेल की खोज तथा उत्पादन हेतु छिद्रण उपकरण के सम्बन्ध में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए एक योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) (i) मैसर्स भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा विदेशी उत्पादन के सहयोग से 5000/6000 मीटर क्षमता के गहन व्यधन रिगों का उत्पादन करने का विचार है ;

(ii) आयोग

(क) 50 टन क्षमता के 6 कार्य रिग तथा

(ख) 28 टन क्षमता के 6 ग्रैवलर टाइप वर्क-ओवर रिग के निर्माण के प्रश्न की जांच हो रही है।

दक्षिण रेलवे के अनुसूचित जातियों के निष्ठावान कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये रोजगार

2939. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक ने अथवा डिवीजनल सुपरिटेंडेन्ट ने कोई परिपत्र जारी किया था जिसमें निष्ठावान कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों से भर्ती के लिये आवेदन-पत्र मांगे गये थे, यदि हां तो कब ;

(ख) दक्षिण रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में कितने आवेदन-पत्र आये थे :

(ग) उन आवेदन पत्रों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों से कितने आवेदन-पत्र मिले थे ; और

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों तथा सामान्य वर्ग के कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) वफादार कर्मचारियों से उनके बच्चों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगने के सम्बन्ध में दक्षिण रेलवे द्वारा ऐसा कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया था। लेकिन उस रेल प्रशासन द्वारा काफी आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है। अभी तक 111 व्यक्तियों को नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है जिनमें से 5 अनुसूचित जाति के हैं। 46 और व्यक्तियों को, जिनमें 3 अनुसूचित जाति के थे, नियुक्त किया जाने वाला था लेकिन दो कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका दायर कर देने के फलस्वरूप मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया जा सका।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद

2940. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सेवा आयोग ने 1972-73 और 1973-74 वर्षों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पद भर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ग में कितने पद भरे गए थे ;

(ग) यदि नहीं, तो भरे न गए पद क्या जनरल मैनेजर ने अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करके भर लिए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे सेवा आयोग द्वारा हिन्दी में परीक्षाएं लेना

2941. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे सेवा आयोग को हिन्दी भाषा में भी परीक्षाएं लेने की अनुमति देने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह नई प्रक्रिया कितने समय तक लागू हो जाएगी और किन-किन जोनों में इसे लागू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। (ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स विमान ईंधन के मूल्य में कमी करने की मांग

2942. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स ने अपने घाटे को पूरा करने के लिए विमान ईंधन के मूल्य में कमी करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) यह विचाराधीन है।

किरिबुरू खान के मुहाने से लौह अयस्क का प्रेषण

2943. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरिबुरु खानों को अप्रैल-मई, 1974 में कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया था क्योंकि खानों से लौह अयस्क हटाने में खान सहायता करने में रेलवे असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत पांच महीनों में खान के मुहाने से कितना लौह अयस्क भेजा गया और मांग की तुलना में माल डिब्बों की सप्लाई में कितनी कमी हुई है; और

(ग) माल डिब्बों की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) कुल 6.7 लाख मीटरिक टन के कार्यक्रम में से 5.57 लाख मीटरिक टन का लदान मार्च, 1974 से जुलाई, 1974 तक के 5 महीनों में हुआ।

(ग) कुछ मात्रा को छोड़कर, किरिबुरू से अधिकतर परिवहन बोकारो इस्पात कारखाने के लिए होता है। किरिबुरू से लौह अयस्क के लदान में वृद्धि उसी सीमा तक हो सकती है जितनी बोकारो इस्पात कारखाना लेने को तैयार हो। बताया जाता है कि बोकारो में लौह अयस्क का अच्छा स्टाक है।

देश में कुकिंग गैस की कमी

2944. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुकिंग गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी को दूर करने के क्या प्रयास किए गए हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) परिष्करण शालाओं में कच्चे तेल को शोधित करते हुए तरलीकृत पैट्रोलियम गैस का निर्माण किया जाता है। अतः इसकी उपलब्धि सीमित है। तरलीकृत पैट्रोलियम गैस की कुल मांग को पूरा करना वर्तमान उपलब्धता और कम्पनियों के पास विपणन सुविधाओं से बाहर की बात है। तथापि विद्यमान ग्राहकों की मांग अस्थायी कमी के मामलों को छोड़कर तेल कम्पनियों द्वारा सन्तोषपूर्वक पूरी की जाती है। परिष्करणशालाओं में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस का अधिकतम उत्पादन करने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है और इसके पूर्ण उपयोग के लिए विपणन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

बर्माशैल और कालटैक्स की शोधनशालाओं में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी के कारण उनके पास इस समय जुलाई के बाद से विशेष रूप से ईंधन गैस में कमी हुई है। बर्माशैल में 2400 मीटरी टन और कालटैक्स में 1000 मीटरी टन प्रतिमास कम होने की सम्भावना है।

अबतक कतिपय बाजारों को बम्बई शोधनशाला से सप्लाई करने की व्यवस्था थी, उसे अब कोवाली में स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर दी गई है और बम्बई की दो पैट्रो-कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज से अतिरिक्त ईंधन गैस प्राप्त की जाती है। इसके फलस्वरूप बम्बई क्षेत्र को प्रतिमास लगभग 1300 मीटरी टन अतिरिक्त गैस मिलेगी। शेष के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में कमी को केन्द्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस उद्देश्य से अतिरिक्त

मिट्टी के तेल की व्यवस्था की गई है। कालटैक्स के विभाग सप्लाई क्षेत्र में हल्दिया परिष्करण शाला में ईंधन गैस के उत्पादन से उपलब्धता में सुधार होने की सम्भावना है। इस बीच मद्रास शोधनशाला से कुछ अतिरिक्त मात्रा मुहय्या करने के लिए व्यवस्था की गई है।

अलाभकर निर्धारित मूल्यों के कारण साबुन के उत्पादन में कमी

2945. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य उत्पादकों द्वारा अलाभ कर समझे जाते हैं ;

(ख) क्या हाल ही में साबुन के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) साबुन तथा संश्लिष्ट प्रक्षालकों के मूल्यों पर कोई सांवधिक नियंत्रण नहीं है। प्रिमियम ग्रेड के नहाने के साबुनों को छोड़कर, संगठित क्षेत्र द्वारा निर्मित साबुनों के विक्रय मुल्यों पर अनौपचारिक नियंत्रण है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय साबुन तथा सौन्दर्य प्रसाधन संस्था (इस्टमा) मूल्यों में वृद्धि करने के लिए पहले सरकार से परामर्श लेती है। इस्टमा ने बताया है कि साबुनों के वर्तमान अलाभकारी मूल्यों के परिणामस्वरूप वे प्रचलित ऊँचे मूल्यों पर तेलों की पर्याप्त मात्रा खरीद कर सकने में असमर्थ हैं, अतः उन्होंने साबुनों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन दिया है। गत कुछ महीनों में संगठित क्षेत्र द्वारा साबुनों के उत्पादन में कुछ कमी हुई है। साबुनों के मूल्यों में वृद्धि करने सम्बन्धित इस्टमा के अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

देश में आधे से अधिक साबुन का निर्माण लघु क्षेत्र द्वारा किया जाता है जिस पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं । कपड़े धोने के साबुन की निर्माण क्षमता के आगे विस्तार को लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

सरकार साबुन के उत्पादन के हेतु चावल की भूसी का तेल तथा अन्य छोटे बीजों के तेल जैसे साल, करंज, नीम और भोरा को प्रोत्साहन दे रही है और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए साबुन के उत्पादन हेतु छोटे तेलों को प्रयोग करने के लिए दी गई उत्पादन शुल्क छूट में एक वर्ष पहले और भी वृद्धि कर दी गई थी। सरकार ने संशिलिष्ट प्रक्षालक की क्षमता के लिए अनेक नई स्वीकृतियां भी जारी की है। लघु-उद्योग क्षेत्र द्वारा संशिलिष्ट पक्षालकों का भी निर्माण किया जाता है।

अपटा दासगांव रेलवे लाइन के लिए अर्जेन्सी सर्टिफिकेट

2946 **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपटा-दासगांव लाइन के लिए कोई अर्जेन्सी सर्टिफिकेट स्वीकृत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा इस सर्टीफिकेट पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस लाइन पर चालू वर्ष में क्या काम करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, मिट्टी का काम और अन्तिम स्थल सर्वेक्षण के पर्यवेक्षण का खर्च पूरा करने के लिए।

(ख) मिट्टी का काम महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा लगभग चार महीनों तक सूखा सहायता उपाय के रूप में किया गया था। और बाद में स्थिति में सुधार होने पर यह काम 15-6-73 को स्थगित कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा जो मिट्टी के काम की कुल मात्रा पूरी की गई थी वह 18.90 लाख घन मीटर में से 1.07 लाख घन मीटर थी।

(ग) आप्ता और दासगांव के बीच अन्तिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच हो जाने के बाद और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।

निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने का प्रस्ताव

2947. **श्री मधु दण्डवते : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत् चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों और उनके द्वारा प्राप्त स्थानों की प्रतिशतता में भारी अन्तर था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाचन प्रणाली में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि इस अन्तर को कम किया जा सके ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) तथा (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेल सेवा में हरिजन तथा अन्य अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

2948. **श्री अम्बेश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) उनमें से अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की अलग-अलग कुल संख्या कितनी है; और

(ग) उनके लिए कुल कितने पद आरक्षित है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी आरक्षित पद कब तक भरे जाएंगे।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) 30-9-1973 को रेलों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	जोड़
अधिकारी	337	50	387
अधिकारियों के अलावा	2,29,395	38,857	2,68,252

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित कोटे की गणना किसी विशेष वर्ष में होने वाली रिक्तियों की संख्या के आधार पर की जाती है और उसका संबंध किसी विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या के साथ नहीं होता।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या

2949. **श्री छत्रपति अम्बेश : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने न्यायाधीश अनुसूचित जातियों के हैं, और

(ग) यदि देश में अनुसूचित जातियों के कोई न्यायाधीश नहीं हैं तो इस संबंध में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1 अगस्त, 1974 को उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) अनुसूचित जाति के तीन न्यायाधीश मुम्बई, कर्नाटक और मद्रास उच्च न्यायालयों में हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1 अगस्त, 1974 को उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०	न्यायालय का नाम	न्यायाधीशों की संख्या
	उच्चतम न्यायालय	13
	उच्च न्यायालय	
1.	इलाहबाद	35
2.	आन्ध्र प्रदेश	15
3.	मुम्बई	33
4.	कलकत्ता	41
5.	दिल्ली	18
6.	गोहाटी	6
7.	गुजरात	16
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू-कश्मीर	5
10.	केरल	16
11.	मध्य प्रदेश	19
12.	मद्रास	19
13.	कर्नाटक	13
14.	उड़ीसा	7
15.	पटना	24
16.	पंजाब और हरियाणा	14
17.	राजस्थान	10

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में एसिस्टेंट (तृतीय श्रेणी) के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

2950. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया और कुल पदों की तुलना में इस की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के कार्यालय में एसिस्टेंट (तृतीय श्रेणी) के कुछ पदों का भी दर्जा बढ़ा कर उन्हें सेक्शन आफिसर्स कर दिया गया है ; यदि हां, तो कितने ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पदों के ग्रेड बढ़ाने के बारे में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई कुछ सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है। लेकिन भारतीय रेलों पर राजपत्रित ढाँचे के पुनर्वर्गीकरण के भाग के रूप में सरकार ने निम्नलिखित पदों का ग्रेड बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी है जिन्हें अलग-अलग चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा :--

(1) कनिष्ठ प्रशासी पदक्रम संख्या वरिष्ठ प्रशासी पदक्रम में (स्तर II)--218 पद।

(2) वरिष्ठ वेतनमान से कनिष्ठ प्रशासी पदक्रम में--500 पद।

(3) कनिष्ठ वेतनामान/श्रेणी-II से वरिष्ठ वेतनमान में-250 पद। बढ़े हुए ग्रेड वाले ये-पद 31-3-1973 को विद्यमान कुल राजपत्रित पदों का 11.9 प्रतिशत है।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

त्रिवेन्द्रम एर्नाकुलम रेल लाइन का विद्युतीकरण

2951. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य प्रगति पर है, और क्या इस समय इस लाइन का विद्युतीकरण करना लाभप्रद होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस तथ्य को देखते हुए इस मामल की जांच करने का है कि राज्य में सभी रेल लाइनों को विद्युतीकरण के लिए बिजली देने के लिए राज्य सरकार तैयार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तिरुवनन्तपुरम-एरणॉकुलम लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम चल रहा है। इस समय इस खण्ड का विद्युतीकरण लाभप्रद नहीं होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली, शाहदरा और सहारनपुर के बीच नयी बड़ी लाइन

2952. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-शाहदरा और सहारनपुर के बीच भूतपूर्व एस० एस० लाइट रेलवे के स्थान पर प्रस्तावित नयी बड़ी लाइन बिछायी जा रही है ; और

(ख) क्या नई लाइन को मेरठ जिले के लोनी क्षेत्र को शामिल न करके मोड़ा जा रहा है और इस प्रकार इस क्षेत्र के निवासियों तथा वहां के हजारों भावी गृह निर्माताओं को रेल की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) उस क्षेत्र में जहां पहले शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे चला करती थी, एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण का अनुमोदन पहले ही किया जा चुका है। इस लाइन के लिए अन्तिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण हो रहा है। संरेखण और स्टेशनों की स्थिति के बारे में अन्तिम निर्णय सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुकने और सर्वेक्षण रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जांच कर लेने के बाद किया जाएगा। अतः अभी से यह कहना ठीक नहीं होगा कि लोनी क्षेत्र इस लाइन द्वारा सेवित होगा अथवा नहीं।

लोनी (जिला मेरठ उत्तर प्रदेश) और दिल्ली के बीच रेल सम्पर्क

2953. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोनी, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) को दिल्ली के साथ रेल के द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, ताकि लगभग तीस बस्तियों के जो उस क्षेत्र में बनती जा रही हैं प्लाट-होल्डरों को वहां अपने मकान बनाने की सुविधा हो जाय ; और

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वित किये जाने से दिल्ली में आवास समस्या का काफी कुछ समाधान हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) लोनी स्टेशन भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे पर विद्यमान था। उस क्षेत्र में जहां पहले शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे चला करती थी, एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण का अनुमोदन किया जा चुका है और इसके सम्बन्ध में अन्तिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण हो रहा है। संरेखण और स्टेशनों की स्थिति के बारे में अन्तिम निर्णय सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुकने और रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद किया जाएगा। इसलिए, अभी से यह कहना ठीक नहीं होगा कि लोनी में, जहां भूतपूर्व शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे लाइन पर एक स्टेशन था, प्रस्तावित बड़ी लाइन पर भी वहां स्टेशन होगा।

नई योजना के अन्तर्गत इंडेन गैस की एजेन्सी के लिये प्राप्त आवेदन पत्र

2954. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डेन गैस के लिए नए डीलर नियुक्त करने सम्बन्धी नयी योजना के बारे में व्यापक प्रचार किया गया है और यदि हां, तो युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों, हरिजनों, जनजातीय व्यक्तियों, भूतपूर्व-सैनिकों, और बेरोजगार इंजीनियरों से दिल्ली में एजेंसी के लिए अलग-अलग कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्र मंजूर किए जाने की संभावना है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सैनिकों को इन्डेन गैस की वितरण एजेंसियां देने के बारे में कोई प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।

पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, को संभव स्थान सूचित किए जाते हैं और उनकी सिफारिश पर नियुक्तियां की जाती हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को वितरण एजेंसियां देने के लिए प्रैस विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। दिल्ली में दो इन्डेन वितरण एजेंसियों के लिए जून, 1974 में दिए प्रैस विज्ञापन के उत्तर में 214 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसमें से 161 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के थे।

(ख) दिल्ली में दो वितरण एजेंसियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सदस्यों को नियुक्ति पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

दबाव के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों द्वारा वक्तव्य

2955. **श्री वरके जार्ज :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों में प्रकाशित ऐसे समाचारों को देखा है कि काम पर पुन: वापस आने की अनुमति देने से पूर्व कुछ रेल कर्मचारियों पर वक्तव्य देने के लिए दबाव डाला गया था ; और

(ख) क्या कुछ कर्मचारियों को यह कहने के लिए निदेश दिया गया था कि इस मामले में उनका पूर्णतः गलत पथ-प्रदर्शन किया गया तथा उन्हें गुमराह किया गया और अपने विचार के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं था तथा इसलिए उन्हें यह गलत साधन अपनाने पड़े ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) ऐसा कोई बयान देने के लिए किसी रेल कर्मचारी पर न तो कोई दवाब डाला गया है और न ऐसा कोई निदेश ही दिया गया है।

मेरठ में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने की मांग

2956. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिम जिलों के लोगों ने मेरठ में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने की मांग की है ताकि मुकदमा लड़ने वाले निर्धन व्यक्तियों की कठिनाइयां कम हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बैंच मेरठ में स्थापित करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) यह प्रश्न कि क्या प्रधान स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उच्च न्यायालय की बैंच होनी चाहिए, मुख्यतः उच्च न्यायालय के परामर्श से सम्बद्ध राज्य सरकार के विचार करने का है। उत्तर प्रदेश सरकार से उच्च न्यायालय की बैंच मेरठ में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

बिहार में गंगा नदी पर रेल एवं सड़क राजेन्द्र पुल के पास रेलवे लाइन का उखाड़ा जाना

2957. **श्री पी० गंगादेव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गंगा नदी पर रेल एवं सड़क राजेन्द्र पुल के पूरा होने के पश्चात् सिमरियाघाट स्टेशन के निकट रेलवे लाईन हटा दी गई थी जिसके कारण 1500 एकड़ भूमि को कृषि योग्य बना दिया गया था;

(ख) रेलवे को उस भूमि से अब तक कितनी आमदनी हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस भूमि को हरिजनों अथवा भूमिहीन किसानों को खेती करने के लिये देने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेल लाईन

2958. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में दोनों मीटर गेज तथा ब्राड गेज कितनी नई रेल लाईनें बिछाई जायेंगी और इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया है; और

(ख) यात्रियों तथा वस्तुओं को शीघ्र लाने ले जाने में इन रेल लाईनों से कितनी सहायता मिलेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पांचवीं योजना में नयी लाइनों के शामिल किये जाने के प्रस्तावों को कुल मिलाकर अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है । नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । चालू वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों का निर्माण शुरू करने का विचार है :—

1. नडीकुडे–बीबीनगर (बड़ी लाइन) 150 कि० मी० ।
2. झांझरपुर–लौखा बाजार (मी० ला०) 42.3 कि० मी० ।
3. रोहतक–भिवानी (ब० ला०) 44.3 कि० मी० ।
4. धर्मनगर–कुमारघाट (मी० ला०) 33.5 कि० मी० ।
5. मुरादाबाद और रामपुर (ब० ला०) से रामनगर और काठगोदाम तक बड़ी लाइन 169 कि० मी० ।
6. सकरी–हसनपुर (मी० ला०) 75 कि० मी० ।
7. झखपुरा–बांसपानी (ब० ला०) 176 कि० मी० ।

ऊपर की सूची में दी गयी प्रथम तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में निर्माण कार्य चल रहा है । क्र० सं० 4 से 6 तक की परियोजनाओं की मंजूरी पर विचार किया जा रहा है। धर्मनगर से कुमारघाट तक रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया जा सकता है बशर्ते कि एन० ई० काउंसिल द्वारा धन उपलब्ध कराया जाये । ऊपर बतायी गयी लाइनें जब यातायात के लिए खुलेंगी

तो उनसे सेवित देश के पिछड़े क्षेत्रों में माल और यात्री परिवहन के अधिक तेज साधन उपलब्ध हो जायेंगे ।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र को चालू करना

2959 श्री समर गुह : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र को उत्पादन हेतु पूरा तरह से चालू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) इस परियोजना को होने वाली कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उपकरण तथा कार्य संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिये भारतीय उर्वरक निगम ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) इस संयंत्र में पूरा उत्पादन कब से आरम्भ हो जायेगा; और

(च) दुर्गापुर उर्वरक परियोजना का निर्माण कार्य तथा इसे चलाने का कार्य भारतीय उर्वरक निगम के जिन उच्च अधिकारियों और तकनीशियनों को सौंपा गया था, उनके नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) :(क) से (च) दुर्गापुर संयंत्र को अक्तूबर 1971 में यांत्रिक दृष्टि से पूरा कर लिया गया था लेकिन तत्-पश्चात कुछ आयातित मुख्य उपकरणों में खराबी आ जाने के कारण इसको सफलातापूर्वक तुरंत नहीं चलाया जा सका । यांत्रिक खराबियों तथा अन्य परिचालन अड़चनों की विधिवत जानकारी कर ली गई थी तथा उनके बारे में आवश्यक निवारक उपाय भी कर लिए गये थे । वर्तमान में यह संयंत्र चालू किये जाने की अवस्था में है और इसके अनेक खण्डों के 50%से 70% क्षमता पर चलाए जाने के संबंध में परीक्षण किये जा चुके हैं। इस संयंत्र ने अक्तूबर 1973 को उत्पादन करना आरंभ कर दिया था लेकिन इस संयंभ के कार्यकरण के समय विभिन्न खंडों की जो खराबियों सामने आई । उनके सुधार हेतु संयंत्र को कभी कभी बन्द भी करना पड़ा था । उत्पादन को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त उपाय भी किये जा रहे हैं । संयंत्र की रूपरेखा प्रतिवर्ष 3,30,000 मीटरी टन यूरियों के उत्पादन करने के लिए बनाई गई है। अक्तूबर 1973 से निम्नलिखित माहवार उत्पादन हुआ है :—.

1973	अक्तूबर	230	मीटरी टन	(लगभग पूर्ण रूप में)
	नवम्बर	2320	,,	,,
	दिसम्बर	1570	,,	,,
1974	जनवरी	3460	,,	,,
	फरवरी	5000	,,	,,
	मार्च	760	,,	,,
	अप्रैल	शून्य	,,	,,
	मई	160	,,	,,
	जून	2740	,,	,,
	जुलाई	1640	,,	,,

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा विदेशी सप्लायरों की सलाह से उपकरणों आदि की खराबियों को दूर करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं उनके अतिरिक्त निगम द्वारा संयंत्र के सर्वेक्षण कार्य को निपटाने कमियों की जानकारी तथा अड़चनों को दूर करने के लिए उपयुक्त निवारक सुझाव देने हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति भी की गई है ।

यांत्रिक खराबियों के अतिरिक्त बिजली की सूचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा दुर्गापुर प्रोजैक्ट लि० तथा डी० वी० सी० के साथ मिलकर समस्याओं से निपटने के लिए कदम उठाये गये हैं ।

भारतीय उर्वरक निगम के० पी० एण्ड डी० डीविजन और दुर्गापुर स्थल संस्था तथा फीडो के अतिरिक्त, परियोजना के कार्यान्वयन में अनेक विदेशी ठेकेदारों की फर्में भी सम्मिलित थी ।

Controversy over Production of Fertilizers based on Coal or Naptha

2960. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there is a controversy that the production of fertilizers should base on coal or it should base on naphtha and this controversy has assumed more importance now when the price of naphtha has almost doubled;

(b) if so, the measures adopted by Government with a view to make country self-sufficient in the matter of fertilizers and make production there of on cheaper rates;

(c) whether Government are aware that fertilizers in adequate quantity can be produced by the proper unitisation of coal deposits available in country; and

(d) if so, the action taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : *(a)* & *(b)* : Government are not aware of any such controversy but it is Government's policy to base our fertilizers programme on diversified feed stock to ensure maximum self-reliance in fertilizer feedstocks.

(c) Yes, Sir.

(d) Three large sized coal-based plants are already under implementation at Talchar (Orissa), Ramagudam (Andhra Pradesh) and Korba (Madhya Pradesh). These are in addition to the old plants already under operation on Neyveli (lignite based) and Varanasi/Rourkela (coke/coke oven gas).

Broad Gauge Line from Samastipur to Muzaffarpur (North Eastern Railway)

2961. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether construction of broad gauge line from Samastipur to Muzaffarpur on North Eastern Railway is in progress;

(b) whether the construction work of this broad gauge line is going on at a very slow speed and Government would not be successful in constructing broad gauge line upto Muzaffarpur within their prescribed time;

(c) if so, the reasons for this slow progress; and

(d) the time by which construction work on the broad gauge line from Samastipur to Muzaffarpur would be completed and the date from which trains would commence running on this broad gauge line?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : *(a)* Yes.

(b) & *(d)* : The work is progressing as per the schedule and is likely to be completed within this year. The train services will start operating immediately after the work is completed.

(c) Does not arise.

रेलवे हड़ताल के दौरान काम करने वाले प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को भूमि का आबंटन

2962. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई रेलवे हड़ताल के दौरान काम करने वाले प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को भूमि आबंटित की गई हैं :

(ख) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आये हैं जहां प्रादेशिक सेना के ऐसे कर्मचारियों को भूमि नहीं दी गई है जिन्होंने इस अवधि के दौरान पूर्व रेलवे दीनापुर (बिहार) में काम किया था तथा इसके स्थान पर प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को छोड़कर अपात्र कर्मचारियों को भूमि आवंटित की गई है: और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के प्रति उपेक्षा बरतने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) से (ग) : सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स हायस्ट और मैसर्ज वार्नर हिन्दुस्तान द्वारा नियुक्त विदेशी तकनीकीशियन

2963. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित विदेशी प्रभुत्व वाली औषधि फर्म, मैर्सस हायस्ट द्वारा कितने विदेशी तकनीशियन नियुक्त किये गये हैं, उनके पृथक-पृथक वेतन और परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान ने भी अनेक विदेशी तकनीशियनों को नियुक्त किया हुआ है और यदि हां, तो उनमें से कितने मामलों में मंजूरी दी गई है और उनके वेतन तथा परिलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मैसर्स हैक्सट फार्मास्युटिकल्स लि० में कार्य कर रहे तकनीशियनों के ब्यौरे निम्नलिखित है: —

क्र० सं०	तकनीशियनों के नाम	प्रति माह वेतन
1.	डा० एच० हबिक्ट	8140
2.	डा० एच० कोल	5760
3.	डा० ए० रेके०	8000

इन तकनीशियनों को कम्पनी के अन्य वरिष्ट अधिकारियों को उपलब्ध, भविष्य निधि उपदान, बोनस, चिकित्सा सहायता सुविधाएं, किराया मुक्त आवास, कम्पनी के कार का नि:शुल्क उपयोग आदि जैसे आम अनुलाभ भी प्राप्त होंगे। ऐसे अनुलाभों का धन के रूप में मूल्य बताना यर्थात रूप में सम्भव नहीं है।

(ख) मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि० की अपनी कम्पनी में कोई विदेशी तकनीशियन नियुक्त नहीं है।

विविधी करण की अनुमति देने के लिए शर्तें

2964. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विविधिकरण की अनुमति देने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि प्रत्येक पद की क्षमता और उसके नाम को तकनीकी विकास महानिदेशालय (औषधि एकक) द्वारा अपने रिकार्ड में अधिसूचित किया जाना चाहिये;

(ख) क्या उत्पादन शुरू करने से पहले पार्टियों को प्रत्येक मद के लिये तकनीकी विकास महानिदेशालय से अनुमति प्राप्त करनी होती है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विविधीकरण की मुख्य बातों अर्थात वस्तु और क्षमता, स्वीकृति, पत्र की तारीख और संस्था का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) निवार्ध विविधीकरण की संशोधित नीति के अनुसरण में नई वस्तु अथवा वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन करने के इच्छुक औद्योगिक उपक्रमों को डी० जी० टी० डी० के पास अथवा पंजीकरण की गई पद्धति के अनुसार किसी अन्य संबंधित तकनीकी प्राधिकारी को लाइसेंसों के ब्यौरों तथा विविधीकरण की सीमा/उन के द्वारा उत्पादन में की गई वृद्धि तथा इस प्रकार के अन्य संबंधित ब्यौरों से युक्त पत्र लिख कर उस प्राधिकारी के पास अपने आप को पंजीकृत करवाना पड़ता है, लेकिन कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	पार्टी का नाम	अनुमोदित पत्र संख्या तथा तथा तारीख	मद	तथा वार्षिक क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	मैसर्सहोयस्ट फार्मास्युटिकल्स लि०	डी० एण्ड पी० /7 (53)/ 71/5788 दिनांक 9-6-72	1. परों तथा मुंह की बीमारी का वैक्सीन	5 लाख मात्रा
			2. टेटनस एण्टी टाकसिन	4,000 मिलियन आई० यू०
		डी० एण्ड पी० 7(53)/70/ 11063 दिनांक 3-11-1972	होस्टाकोटिन एच	13 मि० डायल्स
		डी० एण्ड पी०/7(53)/70/ 6460 दिनांक 11-6-71	होस्टासाईक्लीन ड्राईसिरप	900 कि० ग्राम

(1	(2)	(3)	(4)
	(15 और 30 ग्राम ग्राइन्यूल्स)	डी० एण्ड पी०/7(53)/70 508 दिनांक 18-1-1973	
2.	रैल्लिस इंडिया लि० .	(I) डी० एण्ड पी०/7(85)/70 दिनांक 18-5-71	(I) टी० सी० एफ० सेरिल (II) टी० सी० टेबलेट्स एफ० मिल्क्रीज पाउडर
		(II) डी० एण्ड पी०/7(85)/71 दिनांक 20-6-72	(I) कैलशियम बी०-वेट-इंजैक्शन (II) पेटाव टेबलेट्स
3.	गलाकोनेट लि० . .	डी० एण्ड पी०/7(38)/71 दिनांक 24-2-72	(I) टोंडरा टेबलेट्स (II) फेनिनडोन टेबलेट्स (III) एडरेनीस्टाल टेबलेट्स (IV) उडरेनोस्टाल इंजेक्सन
4.	ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल वर्कस लि०	डी० एण्ड पी०/7(32)/71 दिनांक 30-7-73	(1) एसिडिन टेबलेट्स (2) एकनिल टेबलेट्स (3) केरालिन आयन्मैन्ट (4) टैट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० टेबलेट्स/कैपसूल्ज (5) कलोरमफेनिकोल स्ट्रप्टोमाइसीन टेबलेट्स कैपसूल्ज (6) क्लोरमफेनिकोल स्ट्रप्टोमाइसीन टेबलेट्स/कैपसूल्ज (7) क्लोरमफेनिकोल/क्विनियोडी क्लोर टेबलेट्स/कैपसूल्स (8) मेथाकवालोन टेबलेट्स/कैप्सूल्ज (9) एमलशन आफ बेन्जाइल वेन्जोएट (10) बेंजाइल वेंजोएट विवन सहित आइडीक्लोर क्रीम

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	इंडियन प्रोसस कैमिकल लेबोरेटोरी	डी० एण्ड पी० 7(59)/71 दिनांक 16-6-72	(I) ए० पी० सी० टेव्लेट्स टेव्लेट्स (II) डोबर्स पाउडर/टेबलेट्स (III) कैल्शियम गुलोकोनेट टेबलेट्स (IV) सल्फागुग्रानीडाइन टेबलेट्स
6.	ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स वर्कस लि०	डी० एण्ड पी०/7(32)/72 दिनांक 23-10-73	एकनिल सिरप
7.	वार्नर हिन्दुस्तान लि०	डी० एण्ड पी०/7(113) 68 दिनांक	लोजेंन्गेस ग्रादि

मैसर्ज हैबस्ट तथा फाइजर्स द्वारा फुट तथा माउथ वैक्सीन का उत्पादन

2965. **श्री भालजीभाई परमार : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि** :

(क) क्या मैसर्ज हैक्स्ट तथा फाइजर्स को फुट तथा माउथ बैक्सीन के लिये लाइसेंस दिया गया है;

(ख) क्या इस 'फार्म्यूलेशनज' का सम्बन्ध समुह (बल्क) ग्रौषधियों के निर्माण से न करने के क्या कारण हैं; ग्रौर

(ग) विदेशी फर्मों को इस प्रकार की छूट देने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मैसर्स हैवस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि०, बम्बई, मैसर्ज फाइनर्ज लि०, बम्बई को फुट तथा माउथ रोग वैक्सीन के उत्पादन केलिए एक ग्राशय पत्रजारी किया गया। इसके ग्रतिरिक्त विविधीकरण की व्यवस्था के ग्रन्तर्गत इस समय मैसर्स हैवस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० इस वैकसीन का उत्पादन कर रही है।

(ख) सर्वप्रथम स्वयं इस वैकसीन के प्रपुंज रूप में उत्पादन करने की ग्रावश्यकता पड़ती है तथा इसकी शक्ति (पोटैन्सी) एवं निशाक्तता ग्रादि के निर्धारण के पश्चात प्रयोग हेतू इसके ग्रंतिम स्वरूप का निश्चित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्ज हैबस्ट द्वारा सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए आवेदन-पत्र देना

2966. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री **यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) मैसर्ज हैक्सट ने सी० ग्रो० बी० लाइसेंस के लिये कब ग्रावेदन-पत्र दिया था ग्रौर क्या ग्रावेदन-पत्र में उल्लिखित मदें विविधीकरण के ग्रन्तर्गत फर्म द्वारा वास्तव में बनाई गई थीं ग्रौर क्या इसमें कोई ग्रायात तत्व विद्यमान था;

(ख) क्या उनका आवेदन-पत्र कालबाधित है; और

(ग) मैसर्स हैकस्ट के अधिकार में इस समय अनुमति पत्रों सहित कितने लाइसेंस हैं और ये किन मदों के लिये हैं तथा इनकी क्षमता कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जहां तक पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का सम्बन्ध है मैसर्स होचेस्ट एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० बम्बई ने अक्तूबर 1970 में आवेदन-पत्र दिया था तथा लाइसेंस संख्या एल०/19/11/73/71 दिनांक 11-5-1971 के माध्यम से निम्नलिखित का उत्पादन करने के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस दिया गया :—

मद	तकनीकी सामग्री के रुप में वार्षिक क्षमता
सूत्र योग	
1. थियोडन	50 मि० टन
2. मोरोसाइड . .	20 मि० टन
3. ब्रासक्लि	5 मि० टन

तकनीकी सामग्री आयातित है। पार्टी ने अनेक कार्यकलापों अर्थात विविधीकरण डी० जी० टी० डी० के साथ पंजीकरण आदि जो समय-समय पर औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में दी गई छूट के अन्तर्गत सम्मिलित है के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस के लिए भी पार्टी ने आवेदन-पत्र दिया है। पार्टी ने औद्योगिक विकास मंत्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 1973 के अधिसूचना के अनुसार सी० ओ० वी० लाइसेंस हेतु आवेदन किया है इस अधिसूचना के अनुसार आवेदन-पत्र देने की अन्तिम तिथि 16 अगस्त, 1973 थी। पार्टी ने 31 अगस्त, 1973 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि पार्टी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्र की जांच हो रही है अतः आयातित मात्रा तथा पार्टी किस स्तर तक मदों का उत्पादन करेगी, को बताना सम्भव नहीं है।

(ग) दो विवरण पत्र I एवं II संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखे गय/देखिये संख्या एल० टी० 8233/74]**

मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड द्वारा पिकोलिन का निर्माण

2967. **श्री डी० एन० सिंह : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड पिकोलिन का निर्माण कर रहे हैं जो नियासिनामाइन के निर्माण के लिये आवश्यक हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में इसका निर्माण किया जाता है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका कितना आयात किया गया और इसका मूल्य क्या था तथा पांचवी योजना में कितनी मात्रा में इसका आयात किया जायेगा तथा यह अनुमानतः कितने मूल्य का होगा; और

(ग) उनके मंत्रालय में इस सामग्री के आयात के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और किन-किन से, तथा इनमें से किन–किन को मंजूरी दे दी गई है और अन्य आवेदन–पत्रों की स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में उत्पादित मात्रा, आयात तथा इसके मूल्य के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

पांचवी योजना के लिए पिकोलीन की मांग का मूल्यांकन नहीं किया गया है वर्ष 1974-75 के दौरान बेटापीकोली के आयात के लिए एस० टी० सी० द्वारा सूचित की गई औसतन सी० आई० एफ० का आंका गया मूल्य प्रति किलो 16.67 रु० है।

(ग) वर्ष 1973-74 से बेटा तथा गामा पिकोलीन के आयात को एस० टी० सी० के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया है तथा 1974-75 के लिए आई० टी० सी० नीति के अनुसार एलपापिकोलीन के आयात पर प्रतिबन्ध है अतः इस मंत्रालय द्वारा पीकोलीन के आयात के आवदन–पत्रों की प्राप्त का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी औषध फर्मों की विदेशी इक्विटी पूंजी को परिसमाप्त करने के लिए अध्ययन दल की सिफारिशें

2968. श्री डी० एन० सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) फार्मास्युटिकल्स उद्योग में विदेशी फर्मों की विदेशी इक्विटी पूंजी के परिसमाप्त करने के लिये गठित अध्ययन दल की सिफारिशें क्या थीं;

(ख) इस समिति की कितनी बैठकें आयोजित हुईं;

(ग) इसके निर्णय क्या हैं और इन्हें कब तक लागू किया जायेगा; और

(घ) हमारे देश में स्थित बहु-राष्ट्रीय विदेशी फर्मों का प्रभुत्व जमाने देने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ साथ विदेशी कम्पनियों के प्रगामी भारतीयकरण आदि पर विचार करने के लिए जून, 1970 में एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई थी। इस दल ने एक बैठक बुलाई और संबंधित आंकड़े एकत्र करने के बारे में निर्णय किया। इस दल द्वारा कोई विशेष सिफारिशें नहीं की गई थी। सरकार ने अधिक विदेशी पूंजीवाली कम्पनियों में विदेशी शेयर पूंजी को कम करने के लिए फरवरी, 1972 में मार्ग दर्शन सिद्धान्त जारी कर दिए हैं, और इनका अनुसरण किया जा रहा है।

(घ) कई विदेशी कम्पनियां तथा विदेशी कम्पनियों की शाखाएं तथा नियन्त्रित कम्पनियां औषध तथा भेषज क्षेत्रों में काफी समय से कार्य कर रही हैं। तथापि, ऐसी कम्पनियों द्वारा औषधों का अधिक उत्पादन नहीं होता है क्योंकि सरकार की भारतीय क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की नीति रही हैं।

विदेशी इक्विटी पूंजी को परिसमाप्त करने के लिए मै० मे एण्ड बेकर का प्रस्ताव

2969. **श्री डी० एन० सिंह : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में अपनी विदेशी इक्विटी पूंजी के परिसमाप्त करने के लिये 'मे एण्ड बेकर' के प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है और इसे कार्य रूप क्यों नहीं दिया गया था; और

(ख) इस प्रस्ताव को अब तक कार्य रूप न देने के लिये हमारे देश को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ी?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मैसर्स मे एण्ड बेकर लि० द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव में 1964-65 में कम्पनी के भारतीय कम्पनी के रूप में परिवर्तन की परिकल्पना की गई जिसमें 10% की सीमा तक भारतीय पूंजी 15 वर्षों के लिए शुद्ध बिक्री पर $7\frac{1}{2}$ % की दर से रायल्टी का भुगतान आदि बातें सम्बद्ध हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव पर स्वीकृति देने से विदेशी मुद्रा की बचत नहीं होगी।

मैसर्ज हकस्ट को जारी किये गये लाइसेंस

2970. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्ज हैकस्ट को कच्चे माल का अग्रिम निकासी अथवा मूल्य अनुमोदन के लिये कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) मूल लाइसेंस शुदा क्षमता क्या है तथा उनके लाइसेंसों के बारे में अन्य ब्यौरा अर्थात् आवेदन की तिथि, अनुमोदन की तिथि, वस्तुतः तथा क्षमता तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र क्या हैं; और

(ग) इस विदेशी फर्म के ऐसे व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय औषध उद्योग को विदेशी फर्मास्युटिकल फर्मों के समकक्ष न लाने के लिए आई० डी० एम० ए० तथा ए० आई० एम० ओ० से अभ्यावेदन

2971. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० एम० ए०, ए० आई० एम० ओ० तथा अन्य संस्थाओं ने भारतीय क्षेत्र को 'फार्म्यूलेशनज' न देने तथा उन्हें विदेशी फार्मास्युटिकल फर्मों के समकक्ष लाने के बारे में अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

6—417 LSS/74

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) आई० डी० एम० ए० ने प्रार्थना की है कि किसी भी विदेशी कंपनी को प्रपुंज औषधों के निर्माण से पूर्व सूत्रयोगों की क्षमता के लिए अनुमति न दी जाये तथा भारतीय क्षेत्र में, यदि सूत्रयोग क्षमता कुछ विदेशी माल के आयात किये जाने से भी संबंध रखती हो, तो भी भारतीय क्षेत्र को वरीयता दी जानी चाहिए।

निर्माण योजनाओं के अनुमोदनार्थ उद्योग के भारतीय क्षेत्र को वरीयता दी जाती है। साधारणतया विदेशी फर्मों को सूत्रयोगों के निर्माण हेतु औद्योगिक लाइसेंस तब तक नहीं दिये जाते जब तक कि वे प्रपुंज औषधों के निर्माण से संबद्ध न हों।

कोयले की ढुलाई के लिये संयुक्त योजना

2972. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया**
श्री पी० गंगादेव } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने परिवहन मंत्रालय के परामर्श से कोयले की ढुलाई के लिये एक संयुक्त योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कोयले की ढुलाई के बारे में उपभोक्ताओं की शिकायत को कहां तक दूर करेगी?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन द्वारा कोयले की ढुलाई का प्रस्ताव फिलहाल विचार करने की प्रारम्भिक स्थिति में है।

रेलवे प्रशासन द्वारा स्वीकार की गयी कर्मचारियों की मांगों की क्रियान्विति

2973. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री हड़ताल से पहले रेलवे प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को स्वीकार की गई मांगों के बारे में 23 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 200 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों की स्वीकार की गई मांगों में से कितनी मांगों को क्रियान्वित कर दिया गया है तथा कौन-कौन सी मांगें क्रियान्वित की गई हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में आज तक कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा वितरित की गई;

(ग) क्या उनका ध्यान रेलवे कर्मचारियों की यूनियनों के प्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में जारी किये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि स्वीकार की गई मांगों में से अभी तक एक भी मांग को क्रियान्वित नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) सरकार ने जो रियायतें दी हैं वे इस प्रकार हैं :—

(i) मियाभाय के निर्णय का पूर्णत: क्रियान्वयन।

(ii) संवर्ग की समीक्षा और श्रेणी III और IV के कर्मचारियों का ग्रेड बढ़ाना।

(iii) वेतन आयोग की सिफारिसों के ढांचे के अन्तर्गत काम का मूल्यांकन ।

(iv) नैमितिक मजदूरों के नियोजन के सम्बन्ध में कुछ नीतियां ।

(v) 300 से अधिक परिवारों वाली रेलवे बस्तियों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलना ।

(vi) वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विसंगतियों को दूर करना ।

जहां तक मद (i) (iv) और (v) का सम्बन्ध है रेलों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं और इनका क्रियान्वयन हो रहा है । जहां तक मद (ii) का सम्बन्ध है, एक विभागीय संवर्ग समीक्षा समिति बनायी गयी है और कुछ कोटियों के कर्मचारियों की संवर्ग समीक्षा शीघ्र ही पूरी होने की संभावना है । मद (iii) के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन किया जा रहा है । मद (vi) के सम्बंध में विसंगति समिति की बैठक शीघ्र ही बुलायी जा रही है ।

(ख) इन मांगों में से प्रत्येक के क्रियान्वयन के लिए अलग से कोई धनराशि नहीं दी गयी है क्योंकि उनके क्रियान्वयन का खर्च, उत्तरोत्तर क्रियान्वयन की सीमा के अनुसार होगा जिसे रेलवे के बजट में लेखे के सम्बद्ध शीर्षक में दिखाया जायेगा ।

(ग) इस विषय में कोई विशिष्ट संदर्भ उपलब्ध नहीं है ।

(घ) प्रश्न (क) के उत्तर में जो कहा गया है उसे देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्रा०) लिमिटेड

2974. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रिलिंग इक्विपमेंट (प्रा०) लिमिटेड नामक कम्पनी कब स्थापित हुई थी तथा इसके पंजीकृत कार्यालय का पता क्या है;

(ख) कम्पनी के व्यापार देन दारियों, परिसम्पत्तियों तथा वित्तीय श्रोतों का मुख्य स्वरूप क्या है,

(ग) इसके शेयरधारियों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के पास कितने-कितने शेयर हैं तथा उनका मूल्य क्या है ;

(घ) इस कम्पनी के निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) क्या इस कम्पनी का सम्बंध किसी रूप में मारुति लिमिटेड कलकत्ता से है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) मैसर्स ड्रिलिंग इक्विपमैंट (प्रा०) लमिटेड को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली में 14-5-73 को पंजीकृत किया गया था । इसका पंजीकृत कार्यालय के-55, कनाट सर्कस, नई दिल्ली में स्थित है ।

(ख) संस्था ज्ञापन के अनुसार, कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं कि:—

(1) श्री देविन्दर सिंह ग्रेवाल को रोक रोलर ड्रिलिंग बरमों के निर्माण हेतु स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंस और/या आशय के पत्र को अभिग्रहण करना और संभालना तथा कम्पनी की निधि से नकद या समान राशि हेतु कथित आशय-पत्र में विहित

कुल व्यय के लिए शेयरों का आवटन करना जो भी कम्पनी द्वारा मांग की जाए या उचित समझा जाए ।

(2) मैकेनिकल अभियंताओं और रोक रोलर ड्रिलिंग बरमों जल कुंए स्कीन सहायकों और तेल एवं जल कुएं ड्रिलिंग के विभिन्न वर्गों के उत्पादनों के व्यापार का संचालन करना ।

(3) समस्त प्रकार की हल्की और भारी मशीनरी, औजार, रि-रोल्ड उत्पाद, संवाहकों, यंत्र सहायकों, मशीन औजार, कास्टिंग, फोर्जिंग, वायर ड्राइंग, समस्त प्रकार की गढाई, कार्यानुदेशक पिटवालोहा, जस्ता चादर लोहा, विशेष इस्पात, अलोम्य इस्पात टंगस्टन कारबाइड वाल और रोलर बियरिंग, हार्डवेयर्स और समस्त प्रकार की भवन आवश्यकताएं, विस्तारित धातु ग्रिल, स्ट्रेनर के निर्माण, खरीद बिक्री, उपचारित एवं कार्य करना ।

(4) भौवैज्ञानिक और औजारों और बैल लोगिंग उपस्करों तथा पुर्जों, अवयव आदि खरीदना, बेचना, उत्पादन करना और ठीक करना ।

चूंकि कम्पनी केवल 14-5-73 को पंजीकृत की गई थी इसलिये उसको प्रथम वार्षिक लेखे अभी देय नहीं हैं । कम्पनी की देयताओं, परिसम्पत्ति और वित्त के श्रोतों के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) कम्पनी ने अभी तक कम्पनी अधिनियम, की धारा 159 के अन्तर्गत शेयरों के आवंटन की विवरणी/वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की है । हालांकि कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास उपलब्ध प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित तीन व्यक्तियों ने 100 रु० प्रत्येक के 10 साम्य शेयर अभिदत्त किये हैं :—

1. श्री देविन्दर सिंह ग्रेवाल
2. श्री संजय गांधी
3. श्री अर्जुनदास

(घ) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार कम्पनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित हैं:—

1. श्री डी० एस० ग्रेवाल
2. श्री संजय गांधी
3. श्री अर्जुन दास

(ङ) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मारुति लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से कोई कम्पनी पंजीकृत नहीं है ।

कुछ औषध फर्मों की परिसम्पत्तियां, उत्पादन और लाभ

2975. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फाइजर एण्ड कम्पनी ग्लैक्सो लैबोरटरीज, सीबा इण्डिया लि०, रोश प्रोडक्टस लि०, सैन्डोज (इण्डिया) लि०, हैकस्ट फार्मास्युटिकल्स लि०, साइनेमाईड इण्डिया

लि०, एंग्लो फ्रेंच ड्रग कम्पनी और बार्नर हिन्दुस्तान की 1960,1970 और 1972 अथवा 1973 में कुल परिसम्पत्तियां, उत्पादन लाभ कितना था; और

(ख) इन कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि विदेशी भेजी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना युक्त एक विवरण पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 8234/74।**]

भारतीय रासायनिक निगम की स्थापना

2976. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रासायनिक निगम की स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जहां तक पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का संबन्ध है सरकारी क्षेत्र में भारतीय रसायन निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विरामगाम और ओखा के बीच बड़ी लाइन का निर्माण

2977. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री डी० पी० जदेजा } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विरामगाम और ओखा के बीच बड़ी लाइन के निर्माण के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) 31 मार्च, 1974 तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई, लाइन के निर्माण के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गई और अब तक रेल लाइन के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस आमान परिवर्तन के लिए 42.92 करोड़ रुपये की कुल राशि निर्धारित की गयी है।

(ख) 31-3-74 तक इस निर्माण कार्य पर लगभग 5.82 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी थी और इसके मुकाबले इस काम में कुल वास्तविक प्रगति 22.75% हुई है।

औषध उद्योग को मूल्य वृद्धि के कारण मुआवजा देने के हेतु अंतरिम राहत देना

2978. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**
श्री पी० गंगादेव } : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में मूल्यों में तेजी से हुई बृद्धि को देखते हुये औषध उद्योग को मुआवजा देने हेतु अन्तरिम राहत देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) गत कुछ महीनों में कच्चे माल, पैकजिंग सामग्री आदि के मूल्यों में महत्वपूर्ण वृद्धि होन के कारण, जिस औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को औषध के मूल्य संशोधन/निर्धारण का काम सौंपा गया है उसे मूल्य संशोधन के आवेदन पत्रों की बहुत बड़ी संख्या मिली है। औषध निर्माण करने वाले एककों को तत्काल राहत देने और ग्राहकों को औषध की निरन्तर सप्लाई को सुनिश्चित रखने के लिए यह तय हुआ है कि जब तक मूल्य संशोधन आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच नहीं हो जाती है तब तक औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो उन पर पहले विचार करेगा और फिर केवल प्रमुख उत्पादों की लागत के कारण उनकी सिफारिश करेगा।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के समक्ष विचाराधीन पड़े मामले

2979. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के समक्ष कितने मामले विचाराधीन है;

(ख) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के समक्ष शा वालेस कम्पनी का मामला भी विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की अनेक धाराओं के अन्तर्गत निम्नांकित मामले, वर्तमान में आयोग के समक्ष अनिर्णीत हैं :—

धारा 21 के अन्तर्गत	दो
धारा 22 के अन्तर्गत	पांच
धारा 27 (1) के अन्तर्गत	एक
धारा 31 (1) के अन्तर्गत	तीन
धारा 37 (4) के अन्तर्गत	दो
धारा 10 (क) (1)/37 के अन्तर्गत	एक
धारा 10 (क) (3)/37 के अन्तर्गत	सोलह
धारा 10 (क) (4)/37 के अन्तर्गत	आठ
धारा 41 के अन्तर्गत	एक

(ख) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई के लिये ठेके देने की प्रक्रिया

2980. **श्री के० लकप्पा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे जोनों में लकड़ी के स्लीपरों के लिये ठेके देने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है ;

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे कितने ठेके विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये; और

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा ठेकेदारों को दी गई अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलें लकड़ी के स्लीपरों की सप्लाई के लिये विभिन्न राज्यों के वन विभागों के साथ करार करती हैं। वे किसी व्यक्ति या फर्म को ठेके नहीं देतीं ।

(ख) ओर (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

देश में क्रिओसोट संयंत्र की स्थापना

2981. श्री के० लकप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक क्रिओसोट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इनको कहां-कहां स्थापित किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये गये पेट्रोल पम्प

2982. श्री के० लकप्पा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम देश में कितने पेट्रोल पम्प चला रहा है ;

(ख) क्या बेरोजगार इंजीनियरों, डाक्टरों तथा शिक्षित युवकों को पेट्रोल पम्प आबंटित करने की प्रणाली अभी भी प्रचलित है; और

(ग) बेरोजगार इंजीनियरों की अपेक्षा भारतीय पर्यटन विकास निगम को पेट्रोल स्टेशन आवंटित करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक ।

(ख) भारतीय तेल निगम की बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों को फुटकर विक्रय केन्द्र/पेट्रोल पम्प देने की योजना को दिसम्बर, 1971 में बन्द कर दिया गया था तथा गत युद्ध में अपंग हुए तथा मारे गये अथवा लापता सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों के लिये उसे प्रारम्भ किया गया । तथापि इस दिन से पूर्व की गई वचनबद्धता का पालन किया जा रहा है ।

(ग) नीति मार्ग, नई दिल्ली पर पेट्रोल पम्प आरम्भ में दो बेरोजगार स्नातकों को दिया गया था। तथापि, चूंकि ये दो बेरोजगार स्नातक डीलर प्रायोजित विक्रय को पूरा करने में तथा क्षेत्र में अन्य तेल कम्पनियों के फुटकर पेट्रोल पम्पों का मुकाबला करने में समर्थ नहीं थे, यह फुटकर पेट्रोल पम्प आई० टी० डी० सी० को दे दिया गया तथा इन दो स्नातकों को हौज खास पर एक पेट्रोल पम्प दिया गया था।

भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों को दी गई सुविधाएं

2983. श्री वीरेन्द्र सिंह राव
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय उर्वरक निगम के निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय उर्वरक निगम ने अपने सदस्यों तथा अपने उच्च अधिकारियों को गत तीन वर्षों में वर्षवार किन किन वस्तुओं की सुविधाएं प्रदान कि तथा प्रत्येक वस्तु पर कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) उनकी परिलब्धियों में मितव्ययिता वरते जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई तथा यह कार्यवाही किस तिथि से की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) भारतीय उर्वरक निगम का जो निदेशक मंडल इस समय बनाया गया है उसमें निम्नलिखित 12 सदस्य हैं :—

1.	श्री के० सी० शर्मा	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक
2.	श्री एस० के० मुखर्जी	निदेशक (उत्पादन)
3.	श्री आर० हसन	निदेशक (पी० एण्ड आई० आर०)
4.	श्री भाग इसरानी	निदेशक (विपणन)
5.	श्री आर० एस० गुप्ता	निदेशक (वित्त)
6.	श्री एन० के० श्रीनिवासन	संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
7.	कुमारी अन्ना आर० जौर्ज	संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय
8.	श्री जे० एस० बैजाल	संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग)
9.	श्री वी० के० खन्ना	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, फैक्ट अलवार्य (केरल)
10.	श्री कमलजीत सिंह	भूतपूर्व प्रबन्धक, निदेशक, भारतीय तेल निगम (विपणन विभाग)
11.	श्री एस० फरीदुद्दीन	निदेशक (भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र) बम्बई ।
12.	श्री आत्मा राम	सी० एस० आई० आर० के० भूतपूर्व महा निदेशक, नई दिल्ली ।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक और पूर्ण कालिक निदेशकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं :—

(1) निजी कार्यों के लिए 100/- रुपये प्रतिमाह के भुगताने करने पर स्टाफ कार का प्रयोग; 6000 कि० मी० प्रतिवर्ष की सीमा तक ।

(2) निर्धारित किराये का भुगतान करने पर निवास स्थान में कम्पनी के फर्नीचर तथा उससे संबंधित सामान का प्रयोग ।

(3) अधिकारी के निवास स्थान पर दफ्तर बनाये रखने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था ।

(4) उपयुक्त किराये जो 250/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा के भुगतान करने पर निवास स्थान में दफ्तर बनाये रखने की व्यवस्था । उर्वरक निगम द्वारा इस खाते में वर्ष 1973-74 में 2250/- रुपये का व्यय किया गया ।

(5) निवास स्थान पर 3,000 प्रति वर्ष की सीमा तक कार्यालय से संबंधित मनोरंजन व्यय ।

(6) हवाई/रेल यात्राओं के बारे में दुर्घटना बीमा ।

अन्तिम तीन वर्षों में उपरोक्त मदों पर किया गया व्यय निम्नलिखित है।

(रुपये लगभग अंकों में)

मद	वर्ष			
	1971-72	1972-73	1973-74	टिप्पणी
(i) स्टाफ कार . .	—	—	—	अननुमान्य
(ii) निवास स्थान पर फर्नीचर	1800	70	8100	
(iii) निवास स्थान पर कार्यालय के लिए फर्नीचर .	7200	8200	11200	
(iv) मनोरंजन	8600	7100	13000	
(v) बीमा . .	1500	1400	1100	

टिप्पणी: मद संख्या (ii) एवं (iii) में भूतपूर्व प्रबंधक निदेशक के बारे में आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

गैर कार्यालय निदेशक निम्नलिखित लेने के हकदार हैं :—

(i) निवास स्थान से वास्तविक व्यय के आधार पर प्रथम श्रेणी वातानुकूलित/हवाई किराया।

(ii) प्रत्येक मीटिंग की फीस केवल 100/- रुपये, चाहे मीटिंग कितनी ही लम्बी क्यों न हो।

(iii) दैनिक आकस्मिक 100 रुपये प्रथम दिन के लिए तथा 50/- रुपये प्रति दिन के हिसाब से आगामी दिनों के लिए।

(iv) सड़क द्वारा की गई यात्रा के लिए वही सड़क माइलेज भत्ता जो सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को मिला करता है।

गत 3 वर्षों में गैर कार्यालय निदेशकों पर जो कुल व्यय किया गया वह निम्नलिखित है :—

(लगभग अंकों में)

1971-72 . . .	31200 रुपये
1972-73	7200 रुपये
1973-74	6300 रुपये

(ग) उच्च स्तरीय पदों के उत्तरदायित्यों के अनुरूप भाग (ख) के उत्तर में बताई गई सुविधाओं को कम से कम आवश्यक समझा जाता है। समस्त संबंधित अधिकारियों पर स्टाफ कारों आदि के प्रयोग में अधिकतर बचत करने के बारे में बार-बार जोर दिया गया है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

जीवन-रक्षक औषधियों की कमी

अ० सू० प्र० संख्या 5

श्री वसन्त साठे : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में जीवन-रक्षक औषधियों की कमी के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) भेषज उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर चर्चा की गई थी, वो लोग मार्किट में औषधों की पर्याप्त और नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए तैयार हो गए हैं । औषध निर्माताओं को आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई को बनाए रखने के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं ।

ब्रिटिश कोलम्बिया के अध्यक्ष (स्पीकर) का स्वागत

WELCOME TO THE SPEAKER OF BRITISH COLOMBIA

अध्यक्ष महोदय : आज प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा में हमारे मित्र ब्रिटिश कोलम्बिया के अध्यक्ष (स्पीकर) श्री गार्डन एच० डार्डिंग तथा उनकी पत्नी बैठे हैं। मैं आप सब की ओर से उनका स्वागत करता हूं । हम कामना करते हैं कि उनकी यह यात्रा सुखद हो ।

जीवन रक्षक औषधियों की कमी संबंधी अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5 के बारे में

Re : SHORT NOTICE QUESTION NO. 5 ON SCARCITY OF LIFE SAVING DRUGS

अध्यक्ष महोदय : श्री वसन्त साठे अनुपस्थित हैं ।

श्री के० एस० चावड़ा : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसका उत्तर दिया जाना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : A notice of Calling Attention was also given on this subject. This short notice question should be taken up in the form of Calling Attention.

Shri Atal Behari Vajpayee : Was Shri Vasant Sathe informed about this question coming up today.

अध्यक्ष महोदय : जब इसको परिचालित किया गया था तब वह यहीं पर उपस्थित थे ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : आप कृपया इस विषय पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे दीजिये ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमेंट (संरक्षण तथा उद्योग के लिये विनियमन) आदेश 1974

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं श्री सी० सुब्रह्मयम की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सीमेंट (संरक्षण तथा उपयोग के लिये विनियमन) आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 492(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8226/74]

टैरिफ आयोग का एल्यूमिनियम उद्योग सम्बन्धी प्रतिवेदन, 1974 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत एल्यूमीनियम उद्योग की प्रगति के पुनरीक्षण सम्बन्धी टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन (1974) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8227/74]

(2) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(क) सूती कपड़ा (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2534 में प्रकाशित हुआ था ।

(ख) कपड़ा (उत्पादन तथा शक्तिचालित करघे) नियंत्रण (पहला संशोधन) आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2535 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 8228/74]

(3) निर्यात (गुण प्रकार तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) मुद्रण स्याही (गुण प्रकार तथा नियंत्रण) नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1933 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) तेल रहित चावल भूसी का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1934 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) रबड़ के बर्फ थैलों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1935 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) रबड़ बेल्टिंगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1937 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) रबड़ दस्तानों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1937 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) रबड़ बेल्टों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या 1938 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) रबड़ की गरम पानी की बोतलों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1939 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) नारियल जटा चटाइयों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 अगस्त, 1974 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1940 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 8229/74]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

(27वां प्रतिवेदन)

श्री डी० बसु मतारी (कोकराझार) : मैं वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग)— भारतीय रिजर्व बैंक तथा उसके सहायक संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का 27वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण संबंधी भार्गव आयोग के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में विलम्ब

अध्यक्ष महोदय : श्री एल० एन० मिश्र एक वक्तव्य देंगे ।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : सभा में हड़ताली रेल कर्मचारियों का मामला उठाये जाने के बाद···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप विशेषाधिकार प्रस्ताव की किस स्थिति में अनुमति दे रहे हैं ? मैं मंत्री महोदय का नाम बुलाने से पहले का खड़ा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार कैसा ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है । जहां तक राष्ट्रीयकरण के बारे में भार्गव आयोग के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, वह 15 मई, 1973 को सरकार को

प्रस्तुत कर दिया गया था। 16 मई को भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री फ़खरूद्दीन अली अहमद ने कहा था कि कल अर्थात 15 मई 1973 को चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन मिल गया है। जांच आयोग अधिनियम, 1953 की धारा 3(4) के अनुसार प्रतिवेदन उस तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिये जिस तारीख को वह प्रस्तुत किया गया। इस मामले में 15 मई, 1973 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि लगभग सभी सदस्यों ने एक चीनी प्राधिकार बनाने अथवा चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किये जाने का समर्थन किया गया है। इन सिफारिशों के दबाव के कारण प्रतिवेदनों को जानबूझ कर रोका जा रहा है। पहले भी एक इसी प्रकार के मामले में जब विधि मंत्री ने एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था तो उन्होंने सभा से क्षमा याचना की थी और आश्वासन दिया था कि भविष्य में सभी प्रतिवेदन एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम की धारा 62 के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत किये जायेंगे तब मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर ज़ोर नहीं दिया था।

16 मई 1973 के बाद कई महीने गुजर गये और अभी तक वह प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उस पर की गई कार्यवाही के बारे में कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। यह प्रतिवेदन चीनी के उद्योगपतियों के विरुद्ध होने के कारण सरकार उसको रोके रखना चाहती है। यह विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है इस लिये मेरा सुझाव यह है कि मुझे मंत्री महोदय के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : Shri F. A. Ahmed had stated that the Report was received on 15th May and the same was under examination and thereafter it will be placed before the House. But even after lapse of one year the aforesaid Report has not so far been placed before this House. I had raised this issue on 26-11-1973 and you were of the opinion that the same should be discussed. I feel that it is not a privilege issue but it is a matter of propriety. This matter should be discussed in the House and the hon'ble Minister should give a statement thereon. The Congress party has already taken a decision on nationalisation of sugar industry. Sugar magnates are exploiting consumer as well as workers. I, therefore, request that the report be placed before the House so that discussion could take place.

Shri Madhu Limaye (Banka) : There are statutory provision under which the Reports have to be submitted in the prescribed period. Last year three hon'ble Ministers had tendered unqualified apology for not submitting the Reports of Tariff Commission. You had observed "I shall not tolerate this in future". Now in this case you should not tolerate and refer this matter to the Privilege Committee under rule 227.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रो० मधु दंण्डवते के विशेषाधिकार प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अब तक यही कहते आ रहे हैं कि जब तक केन्द्रीय सरकार प्रतिवेदन पर विचार नहीं कर लेती तब तक वे चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। चीनी उद्योगपतियों के दबाव के कारण इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर नहीं रखा जा रहा है। उक्त प्रतिवेदन मई 1973 में प्रस्तुत किया गया था। एक वर्ष से हम मांग कर रहे हैं कि उसका सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये। आपको ऐसा करने के लिये सरकार को निर्देश देने चाहियें और वर्तमान खाद्य मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिये।

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : I would like to submit that even if Government has not been able to take decision on the Report of the Commission, the Report can be placed

on the Table as it was done in the case of Pay Commission's Report. There is statutory provision that the Report should be placed before the House within a period of six months.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रतिवेदन सरकार को कब मिला था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : 27 सितम्बर को। 6 महीने अभी समाप्त नहीं हुए।

Mr. Speaker, Sir. There is some confusion. I agree that the Report should be placed on the Table of 6 months but the word used in the relevant statutory provision is 'Report' and not Interim Report and as such Report means final report. Final report was received on 27th September. According to this the Report should be placed before the House in this Session. I have already stated that the Report will be placed before the House within a week. There is no ground for the fear that the Report is being withheld with some motive.

Mr. Speaker : What was the date on which Final Report was received?

श्री बी० पी० मौर्य : 6 महीने की अवधि समाप्त नहीं हुई है और वह 28 तारीख को समाप्त होगी। परन्तु मुझे मास के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे ठीक-ठीक बतायें कि वह प्रतिवेदन सरकार को किस तारीख को मिला था।

श्री बी० पी० मौर्य : 27 फरवरी, 1974 को।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, श्री अहमद ने इसी सदन में 16 मई, 1973 को कहा था कि राष्ट्रीयकरण के बारे में भार्गव आयोग का प्रतिवेदन 15 तारीख को प्रस्तुत कर दिया गया है। आप रिकार्ड देख सकते हैं। अन्तिम अथवा अन्तरिम प्रतिवेदन का कोई प्रश्न नहीं है, हर प्रकार का प्रतिवेदन–चाहे वह प्रशासनिक हो या कोई और हो। यह आपका विनिर्णय है।

Mr. Speaker : I have asked the date of interim as well as Final Report. I would also like to see my previous ruling also before I discuss it with you.

श्री सी० एच० मुहम्मद कोया (मंजेरी): अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : हम एक ही समय दो विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते। आपने लिखा है कि आप की पार्लियामेंट्री ड्यूटी में रुकावट डाली गई है, इस लिये कि आप आगरा नहीं जा सके। पार्लियामेंट से आगरा उस तरफ है, आप उधर जा रहे थे, इस में रुकावट कैसे हो गई ?

हड़ताल के बाद की स्थिति के सम्बंध में रेल मंत्री की राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* : RAILWAY MINISTER'S DISCUSSION WITH THE PRESIDENT ABOUT PAST STRIKE SITUATION

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र): 19 अगस्त को संसद में हड़ताली रेल कर्मचारियों का प्रश्न उठाये जाने के बाद मैंने राष्ट्रपति के प्रेस सचिव श्री अब्दुल हमीद से सम्पर्क किया और पी० टी० आई० के संवाददाता द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में राष्ट्रपति महोदय ने जो कुछ कहा था उसकी एक प्रति उनसे प्राप्त की। इस विषय पर राष्ट्रपति महोदय की मेरे साथ जो बातचीत हुई थी उससे सम्बन्धित अंश का सार मैं उद्धृत करता हूं "मैं 17 तारीख को रेल मंत्री से मिला था और हम दोनों में उन सभी कर्मचारियों की बहाली के

बारे में लाभदायक बातचीत हुई, जिनके विरुद्ध तोड़-फोड़ अथवा हिंसा का कोई आरोप नहीं था । उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि इस प्रश्न को शीघ्र ही इस तरह हल किया जायेगा जिससे सभी को संतोष होगा । मैं चाहता हूं कि इसके लिए सभी पार्टियां मिलकर प्रयास करें । मुझे विश्वास है कि न्याय में विलम्ब नहीं होगा" । मैंने राष्ट्रपति महोदय को इस बात का विश्वास दिलाया था कि प्रत्येक रेल कर्मचारी के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैंने इस विषय पर नियम 198 के अधीन चर्चा की मांग की है **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मंत्री महोदय ने जो पैरा पढ़ा है वह शब्दशः ठीक है परन्तु इन्होंने उससे पहले का पैरा उद्धृत नहीं किया । इस पैरे में राष्ट्रपति ने कहा था कि जो कर्मचारी हिंसा और तोड़फोड़ के लिये ज़िम्मेदार नहीं उन्हें बिना परेशान किये अथवा सेवा में व्यवधान डाले बिना किसी अपवाद के वापस सेवा में ले लिया जाये । मंत्री महोदय ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा ।

श्री एल० एन० मिश्र : निःसंदेह यह एक नाज़ुक मामला है । माननीय सदस्य को तथ्यों पर विचार करना चाहिये, भावनाओं में नहीं बहना चाहिये । मैंने वही बात बतायी जो उन्होंने मुझे कही थी । मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि व्यक्तिगत मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा **(व्यवधान)**

Shri Atal Behari Vajpayee : The issue raised yesterday was not confined to the talks held between the President and the Railway Minister. The President had something publicly which is in the form of an advice to the Government that all the Railway employees should be reinstated who are not charged with sabotage or violence. They should not be punished in any way. I want to know whether Government is prepared to accept the advice of the President or not?

Shri L. N. Mishra : We always respect the advice given by the President. I have stated what he told me.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : इस मामले के महत्व को देखते हुए इसको अनुमति दी गई थी। अतः अब इस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये । इसके लिये पहले ही नोटिस दिया जा चुका है सरकार को राष्ट्रपति की सलाह के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बतानी चाहिये । उन्हें राष्ट्रपति की सलाह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : रेल मंत्री ने राष्ट्रपति के साथ साक्षातकार की पुष्टि मात्र की है। हम जानना चाहते है कि उनकी सलाह पर क्या कार्यवाही की गई है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं कि सभी कर्मचारियों को सेवा में वापस ले लिया जायेगा **(व्यवधान)**

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : वे सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं और रेल मंत्री ने प्रतिक्रिया बता दी है । उन्होंने कहा है कि वह राष्ट्रपति की सलाह का आदर करते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम रेल मंत्री से जानना चाहते हैं कि इन 22000 कर्मचारियों का क्या होगा। हम चाहते हैं कि उन सब को सेवा में ले लिया जाये हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रेल मंत्री उस वक्तव्य से सहमत ह जो उन्होंने अभी पढ़ा है। क्या उन्होंने राष्ट्रपति को आश्वासन दिया था कि बहाली का मामला यथाशीघ्र इस प्रकार तय हो जायगा कि उससे प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि इस मामले का हल ऐसा होगा कि उससे सब संतुष्ट होंगें । क्या आपने ऐसा आश्वासन दिया था अथवा नहीं ?

श्री एल० एन० मिश्र : मैंने राष्ट्रपति को इस बात का आश्वासन दिया था कि प्रत्येक कर्मचारी के मामले की जांच की जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, नहीं । (**व्यवधान**)

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior) : The House is being misled. We have to bring a Privilege Motion.

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : सरकार की किसी भी नीति की क्रियान्विति के लिये अन्ततः प्रधान मंत्री सदन् के प्रति जिम्मेदार हैं । सरकार को श्री ललित नारायण मिश्र के माध्यम से राष्ट्रपति से सलाह प्राप्त हुई है । हम इस बारे में प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रीमंडल में विचार किया गया था ? यह एक साधारण मामला नहीं है । सलाह सार्वजनिक रूप से दी गई थी। (**व्यवधान**)

मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । आपके निदेश पर रेल मंत्री ने ब्यान दिया है । राष्ट्रपति जी का जो ब्यान अखबारों में छपा है उसे देखकर और रेल मंत्री ने जो कुछ कहा है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि रेल मंत्री महोदय ठीक बात नहीं कह रहे हैं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : He may be asked what advice has been given to him by the President ?

Mr. Speaker : He has simply read out what he has received from the President's Office.

Shri Atal Behari Vajpayee : He has not read it fully.

अध्यक्ष महोदय : वह इसे सभा पटल पर रख दें।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं ऐसा ही कर रहा हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई): मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है । मंत्री महोदय को यह बताना चाहिये कि उनके और राष्ट्रपति के बीच क्या बातचीत हुई और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। माननीय मंत्री ने सदन को उसी बात की जानकारी दी है जो उनके प्रयोजन के लिये उपयुक्त है । मैंने भी राष्ट्रपति से बातचीत की थी और उन्होंने यह बताया था कि रेलवे मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया था कि तोड़फोड़ और हिंसात्मक कार्यों में भाग लेने वाले कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों की सेवाओं में व्यवधान नहीं आयेगा अब सरकार पर संवैधानिक दायित्व यही है कि वह राष्ट्रपति की सलाह का आदर करे । रेलवे मंत्री ने तथ्यों को छिपाया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति और माननीय मंत्री में क्या बातचीत हुई और राष्ट्रपति ने उन्हें क्या सलाह दी और क्या उन्होंने राष्ट्रपति की सलाह पर अमल किया । हम इस मामले की जांच के लिये राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकते। अतः हम यह चाहते हैं कि इस विषय पर या तो सदन में चर्चा की जाये अथवा आप अपना विनिर्णय दें । सभा की सारी कार्यवाही को राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिये । देश को उनकी सलाह की जानकारी होनी चाहिये ।

सब तथ्यों की जानकारी के लिये सब दलों का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिये । रेलवे कर्मचारियों का भाग्य अधर में लटका हुआ है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : राष्ट्रपति द्वारा दी गई सलाह पर हम सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं । हम इस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं । यह मामला वर्तमान अवस्था में देश के लिये संवैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । संसद् को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय को इस मामले में संसद की सहायता करनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Banka) : You had requested the Railway Minister to make a statement on this matter. I want to know whether the President has advised him that the cases against those employees should be withdrawn who have not been prosecuted on charge of violence or sabotage and their matters should be solved to the satisfaction of all. We want your ruling in this matter.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सेवा से निकाले गये अनेक कर्मचारियों ने आत्म हत्या कर ली है । हजारों कर्मचारी बेघर बार हो गये हैं । उन्होंने राष्ट्रपति को यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जिन कर्मचारियों पर तोड़-फोड़ के आरोप नहीं हैं उन्हें सेवा में ले लिया जायगा और इस मामले में सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया जायगा । वह राष्ट्रपति को दिये गये आश्वासन से परे हट रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आपने कल यह निदेश दिया था कि सरकार को सदन को यह बताना चाहिए कि वह राष्ट्रपति की सलाह को ध्यान में रखते हुए इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है । हम रेलवे मंत्री से इस बारे में विस्तृत वक्तव्य की आशा रख रहे थे लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है । क्या आप इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्री अथवा प्रधान मंत्री को वकव्य देने का निदेश देंगें ?

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने इस मामले में मंत्री महोदय को वक्तवय देने तथा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का निदेश दिया था । राष्ट्पति भवन से जारी किये गये वक्तव्य के अन्तिम पैरा में यह कहा गया है :—

"कि तोड़-फोड़ और हिंसात्मक कार्यों में भाग लेने वाले कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को सेवा में वापिस ले लिया जाये"

"बिना परेशान किये अथवा सेवा में व्यवधान के" शब्दों का प्रयोग किया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : रेलवे कर्मचारियों ी सेवा में व्यवधान नहीं पड़ना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अन्तिम पैरे का इस प्रकार उल्लेख किया है —
"मैंने रेलवे मंत्री से 17 तारीख को भेंट की थी और हमने तोड़-फोड़ और हिंसात्मक कार्यवाही में भाग लेने वाले कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों को पुन: नियुक्त करने के बारे में उपभोगी विचार विमर्श किया । उन्होंने मुझे आशवासन दिया कि ऐसा हल निकाला जायेगा जिससे सब कर्मचारी संतुष्ट हों । मैं चाहता हूं कि इस मामले में सब दल एक हों । मैं विश्वास दिलाता हूं कि न्याय में विलम्ब नहीं होगा"।

अब मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया इन दो लाइनों में है :

"मैंने राष्ट्रपति को यह आश्वासन अवश्य दिया था कि प्रत्येक कर्मचारी के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा"

राष्ट्रपति ने यह सलाह दी थी "कि उन कर्मचारियों को छोड़कर, जो हिंसात्मक कार्यवाही और तोड़फोड़ के लिये जिम्मेवार हैं, अन्य किसी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जायेगा अथवा किसी कर्मचारी की सेवा में व्यवधान नहीं आयेगा" जबकि मंत्री महोदय ने यह आशवासन दिया है कि प्रत्येक मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। इसके बाद मंत्री महोदय ने यह कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति को इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया था । अत: इन दोनों वक्तव्यों में अन्तर है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Your instructions have not been followed. We want to know the reaction of the Railway Minister regarding the statement of the President issued to the Press.

Mr. Speaker : His reaction is before the House (*interruptions*)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) राष्ट्रपति ने जो कहा है उससे मंत्री महोदय ने इंकार नहीं किया है। **(व्यवधान)**

अटल बिहारी वाजपेयी : हम सदन से उठ कर जाते हैं । **(व्यवधान)**

तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

Some Hon. Members Then Left The House

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदन का समय खराब न करें । ऐसा अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रहना चाहिये ।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) अपर इंडिया एक्सप्रेस में खतरे की जंजीर की व्यवस्था के फेल हो जाने का समाचार

श्री मोहम्मद खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : 16 तारीख को मैं और संसद के एक और सदस्य बनारस से अपर इंडिया एक्सप्रेस से दिल्ली आ रहे थे । डिब्बे के एक भाग में आग लग गई । डिब्बे में बैठे तीनों यात्रियों ने मिलकर तथा अलग-अलग खतरे की जंजीर

खींची किन्तु गाड़ी नहीं रुकी । गाड़ी केवल 8 या 10 मिनट बाद अलीगढ़ में रुकी । हम दूसरे डिब्बे में बैठे और हमने दिल्ली तक अपनी यात्रा जारी रखी **(व्यवधान)**

पूछताछ करने पर खतरे की जंजीर के काम न करने का कारण यह बताया गया कि रेल मंत्री ने इस बात के निदेश दिये हुए हैं । ड्राइवर को खतरे की जंजीर खींचने की और ध्यान न देने की सलाह दी गई है **(व्यवधान)**

इस प्रकार का निर्देश बहुत ही गैर-जिम्मेदारी का है । रेल मंत्री यह बतायें कि क्या चालकों को खतरे की जंजीर की अपेक्षा करने का कोई आदेश जारी किया गया है। यदि ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है तो रेल मंत्री को सभा के समक्ष इस बारे में विस्तृत वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री पी० के० देव : (कालाहांडी) : आप ही की टिप्पणी के अनुसार रेलवे मंत्री ने जानबूझकर सदन को गुमराह किया है । अतः उनके विरुद्ध स्पष्टतयः विशेषाधिकार का मामला बनता है ······

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है । व्यवस्था का भी कोई मामला नहीं बनता । हमें सदन की कार्यवाही को जारी रखना है । यदि आप किसी बात से संतुष्ट नहीं हैं तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन इस प्रकार व्यवहार करने का कोई औचित्य नहीं है । कल भी आपने सदन् का एक घंटा बर्बाद किया । आज भी आपने सदन् की कार्यवाही एक घंटे तक नहीं चलने दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जानी चाहिए जिससे कि इस विषय पर शीघ्र चर्चा आरम्भ की जा सके । इस बारे में मैंने एक प्रस्ताव भी भेजा है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : You have just stated that this matter can be discussed. The subject of discussion should be what advice has been given publically by the President and whether the hon. Minister has accepted it and whether he is speaking the truth or not?

I am of the view that you give instructions to the Government to implement President's advice immediately. (*interruptions*) His advice should be honoured (*interruptions*)

Mr. Speaker : If any purpose can be served by adjourning the House, I can adjourn it, but if you do not like to adjourn the House, then let the House function.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मंत्री महोदय को निदेश दें कि कल बजट के सम्बन्ध में वकतव्य देने से पूर्व वह यह वक्तव्य दें कि राष्ट्रपति की सिफारिशों को, जो नीति सम्बन्धी सिफारिश के रूप में हैं, सरकार ने स्वीकार किया है अथवा वह प्रत्येक कर्मचारी के मामले में जांच कर रही है । राष्ट्रपति ने यह सिफारिश की है कि उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने तोड़-फोड़ और हिंसात्मक कार्यवाही में भाग लिया है, सब कर्मचारियों को फिर से नियुक्त कर लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : सभा को स्थगित करने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा । सभा में व्यक्त तीव्र प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए मेरा भी यह विचार है कि इस विषय पर बाद में चर्चा की जानी चाहिये । लेकिन यदि आप यह समझते हैं कि प्रत्येक मामले पर उसी समय निर्णय दे दिया जाये, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । हमारी कार्य करने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिये । माननीय सदस्य ने रेलवे मंत्री से रेलवे बजट से पूर्व एक वक्तव्य देने को कहा है । यदि वह ऐसा करते हैं, तो मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior); You have read the statement of the President and the statement of the hon. Minister. You must have felt the difference between the two. The hon. Minister has not read that paragraph which the President has referred to in his public interview......According to the decision taken yesterday, the Government should have expressed its reaction on that para. But it has not done so.

अध्यक्ष महोदय : हम सभा की कार्यवाही आरम्भ करते हैं । इस विषय पर विचार करने के लिये काफी समय है ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : We will not allow him to present the budget tomorrow.

अध्यक्ष महोदय : जहां तक सदन का सम्बन्ध है, मुझे कार्यवाही को नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार चलाना पड़ता है ।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : We are pleased to note your observation in this matter. The Government should have been given an opportunity for second thought in this matter so that some way may be found to solve this problem.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : आपने राष्ट्रपति के इंटरव्यू का सरकारी संस्करण पढ़ा है और आपने मंत्री द्वारा इस बारे में उल्लिखित सब पैराग्राफों से इस की तुलना न कर केवल एक पैराग्राफ से इसकी तुलना की है । अत: स्वभावतय आप भी इस मामले में परेशन हैं .....

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस मामले में क्यों शामिल कर रहे हैं ?

श्री पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष के रूप में आप मंत्री महोदय को हमें पूर्णतया संतुष्ट करने के लिये बाध्य नहीं कर सकते । लेकिन कम से कम उन्हें आपको तो संतुष्ट करना ही चाहिये .....

Mr. Speaker : I try my level best to resist. It is difficult for me to give ruling according to the circumstances. I have requested the Minister to come out with something. I do not fix the time limit.

मिदनापुर में समुद्री तूफान और ज्वार भाटे से हुई क्षति का समाचार

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं सरकार का ध्यान समुद्री तूफान द्वारा मिदनापुर के एक बड़े भाग को नष्ट किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं । मुझे सूचना मिली है कि 5 लाख व्यक्ति बे घरबार हो गए हैं और लगभग 20,000 घर नष्ट हो गए हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr Deputy Speaker in the Chair]

लेकिन सरकार ने समुद्री तूफान से प्रभावित व्यक्तियों तथा विशेषकर मिदनापुर जिले के तटीय क्षेत्र के लोगों को कोई राहत नहीं पहुंचाई है, समाचारपत्रों में लिखा है कि सरकार आपत्ति संसाधनों के कारण उन्हें राहत पहुंचाने में असमर्थ है, समुद्री तूफान विपत्ति राहत संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित है इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार राहत कार्य हेतु राज्य सरकार को सहायता देगी, पश्चिम बंगाल का यह भयंकर समुद्री तूफान है और हवा पानी कार्यालय का भी ऐसा अनुमान है, क्या सरकार ने वहां इससे हुए विनाश और दिए जाने वाले राहत कार्य का मूल्यांकन किया है ?

चूंकि यह मामला नियम 377 के तहत उठाया गया है तो सरकार इस पर वक्तव्य कब देगी ? यह समस्या तारांकित समाधान मांगती है, एक हफ्ता गुजर गया है जबसे यह समुद्री तूफान आया है ।

पांच लाख व्यक्ति बेघरबार हो गए हैं और राहत कार्य भी बहुत कम आ रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार भी इस मामले में असमर्थ है, वे 100 तिरपाल तक नहीं दे सकी है, केन्द्रीय सरकार की इस मामले में जिम्मेदारी है और उसे एक दो दिन में वक्तव्य देना चाहिए।

वित्त (संख्या २) विधेयक, 1974

FINANCE (NO. 2)BILL, 1974

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त विधायक पर आगे विचार करेंगे, इस संबंध में मेरे पास संशोधन पेश करने के लिए नोटिस आए हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं अपना संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करता हूं।

Regarding this bill the Government's contention is this that it is one of the steps to curb inflation. We hope this will not be a permanent step as the crisis of inflation will not remain permanent. But the Finance Minister is silent over this aspect i.e.: how long the burden of this tax will remain. If the hon. Minister does not want to make it a permanent one then he should accept this amendment.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इस मामले में हर चीज संभावना पर आधारित होती है। समय सीमा निर्धारित करने वाले इस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 57 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

Amendment No. 57 was put and negatived

अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अनुसूची को लेंगे, श्री सोखी, क्या आप अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) मैं अपना संशोधन संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : मैं अपना संशोधन संख्या 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 55 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : मैंने अपने पहले संशोधन में यह प्रस्ताव रखा है कि तैयार तम्बाकू तथा सिगरेट आदि पर शुल्क 250 प्रतिशत से बढ़ाकर 300 प्रतिशत तक कर दिया जाये

क्योंकि इसका उपयोग समाज का ऊंचा वर्ग करता है। इसी प्रकार विदेशी शराब पर सीमा शुल्क 80 रुपये प्रति लिटर से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति लिटर कर दिया जाय, मैंने दूसरे संशोधन में यह प्रस्ताव किया है कि मोटर गाड़ियों के टायरों पर प्रस्तावित शुल्क 60 प्रतिशत से घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया जाये जिससे आम सार्वजनिक वाहन मालिकों को राहत पहुंचे। तीसरे संशोधन में मैंने सुझाव दिया है कि सीमेंट पर प्रस्तावित 30 प्रतिशत शुल्क घटा कर 27-1/2 प्रतिशत कर दिया जाये, संशोधन 4 में मैंने यह सुझाव दिया है कि अनुसूची में प्रस्तावित शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाए क्योंकि एसबेसटोस सीमेंट का उपयोग बड़े व्यापार गृहों द्वारा किया जाता है, संशोधन 5 में मेरा प्रस्ताव है कि प्रस्तावित शुल्क 70 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया जाये क्योंकि लोहा, कच्चा लोहा आदि का उपयोग छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योग, किसान आदि करते हैं, संशोधन 6 में प्रस्ताव है कि तांबा पर प्रस्तावित वृद्धि 4,000 से बढ़ाकर 4,500 कर दी जाय, संशोधन 7 में प्रस्तावित शुल्क 4,000 से बढ़ाकर 4,500 कर दी जाय क्योंकि इसका उपयोग बड़े उद्योग गृह करते हैं। संशोधन 8 में मेरा प्रस्ताव है कि प्रस्तावित शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 27-1/2 कर दिया जाय क्योंकि इससे कम आय वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।

मैंने अपने कुछ संशोधनों में शुल्कों में वृद्धि करने का और कुछ में कमी करने का सुझाव दिया है। हमारे जैसे लोकतंत्र देश में कर लगाते समय यह देखा जाना चाहिए कि उससे आम व्यक्तियों पर भार न पड़े, इन संशोधनों के साथ मैं विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कल सामान्य चर्चा के पश्चात् वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि आम जनता के उपयोग की वस्तुओं पर कर नहीं लगाये गये। यह सच है कि कर प्रत्यक्ष नहीं हैं किन्तु अप्रत्यक्ष करों का भी अन्ततोगत्वा उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैंने अपना संशोधन दिया है। चारमीनार सिगरेट का उपयोग सामान्य जनता ही करती है किन्तु सिगरेटों के मूल्य में ढ़ाई गुना वृद्धि हो गई है। इसी प्रकार टायरों पर लगाये गये शुल्क का प्रभाव जनता पर ही पड़ता है क्योंकि मोटरगाड़ियों और ट्रकों के मालिक किराये और भाड़े में वृद्धि करके अपनी क्षति पूर्ति कर लेते हैं।

कच्चा लोहा, सीमेंट और इस्पात की छड़ें आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आम जनता करती है। इन वस्तुओं पर कर में वृद्धि करने से आम जनता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। रबड़ से बनी वस्तुओं और डीजल पर कर बढ़ाने से भी आम जनता प्रभावग्रस्त होती है।

मेरा आशय यह है कि सरकार की आय और खर्च में विद्यमान अन्तर को दूर किये जाने के नाम पर इन नए करों का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। गत बजट में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के अप्रत्यक्ष कर लगाये गये तथा इन करों को मिलाकर अब अप्रत्यक्ष करों की राशि लगभग 400 करोड़ रुपये हो गई है। इससे मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा तथा मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि होगी।

देश की आर्थिक स्थिति की वास्तविकता को छुपाये रखने के लिये उन मांगों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिनके लिये इस धनराशि की आवश्यकता है। सरकार ने तम्बाकू, सीमेंट और लोहा जैसी सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर कर लगा दिया है। आज सीमेंट का बोरा किसी भी सप्लायर से उपलब्ध नहीं है। चोर बाजार में उसका भाव 35 रुपया है। सरकार जिस नीति का अनुसरण कर रही है उससे गरीब और गरीब होता जा रहा है तथा चोरबाजारी करने वाले धनाढ्य होते जा रहे हैं।

काले धन को निकालने के लिये सरकार ने अजीब कदम उठाने का निर्णय किया है । यह घोषणा की गई है कि आयकर अथवा शुल्क अधिकारी एक निश्चित तिथि को घर-घर जाकर काले धन की जानकारी एकत्र करेंगे । क्या इस प्रकार काले धन का कभी पता लगाया जा सकता है ? स्वयं वित्त मंत्री ने कई बार स्वीकार किया है कि काले धन का देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभुत्व है । किन्तु सरकार जानबूझकर इस काले धन को निकालने का प्रयत्न नहीं कर रही है क्योंकि काला धन उन्हीं लोगों के पास है जिनके सहारे यह सरकार चल रही है । सरकार चाहे तो विमुद्रीकरण, भूमिसुधार बड़े एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण आदि जैसे प्रभावकारी कदम उठा सकती है तथा इन उपायों से काले धन की समस्या दूर भी हो सकती है किन्तु सरकार यह कदम उठाना ही नहीं चाहती । महोदय ! आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही नये कर लगाये गये बाजार से साबुन और कपड़े जैसी वस्तुएं गायब हो गईं । कलकत्ता में किसी भी किस्म का कपड़ा निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं था ।

इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैंने अपने संशोधन में यह प्रस्ताव किया है कि आम जनता के उपयोग की वस्तुओं पर लगाये गये करों को वापस लिया जाये तथा जनता के जीवन से खिलवाड़ न किया जाए जिनकी स्थिति पहले ही बहुत गम्भीर है ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Speaking on my amendments Nos. 20 to 30, I would like to point out that the Government has proposed increases in duties on the items like cigarettes, tyres, asbestos sheets, cloth, etc. It would result high increase in the prices of not only these items but of other items also. It has been observed that big businessmen, hoarders and profiteers always take advantage of any increase in the taxes and they increase the prices of all the commodities. It has also been observed that Government is unable to have any check over monopoly houses and the big traders and the poor people have to suffer.

The prices of certain commodities in black market have increased two times, three times and in certain cases ten times. Certain commodities like cement and tyres are not available at all in the open market. In these circumstances, poor people are unable to construct their houses.

It is also a matter of distress that the Government has increased the tax on electric bulbs and tubes. These items are used by the common people also. People are not getting kerosene also at reasonable rates. I don't find any justification in imposing increased tax on cigarettes and tobaccos because it would be an additional burden on the common people. I have, therefore, demanded in my amendments that the percentage of tax increase on the various commodities should be reduced as mentioned therein.

Economic condition of the common people is deplorable in these days. They can not purchase essential items. On the contrary, people having black money with them are able to get every thing at any rate. The amount of black money in our country is Rs. 12,000 crores and the Government is unable to have any check over it.

The Government is deceiving the people in the name of socialism. I dont think Government has any faith in socialism since they have no courage to check the activities of the capitalists in the country. I am sorry to observe that reactionary fascist and undemocratic forces are developing in our country and these forces are strengthening the hands of Shri Vajpayee, Shri Morarji Desai and Shri Jaya Prakash Narayan. I would like to assure them that with these undemocratic methods, neither poverty can be removed from the country nor can socialism be brought about. I, therefore, urge upon the Government that they should discontinue their policies which are against the interests of the common people. I request that the hon. Minister should seriously think over these amendments and accept them.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) :. Sir, I am sure that Government will not be able to win the war against inflation by simply resorting to measures of raising the taxation. They will not get rid of this crisis of inflation until efforts are made to raise the growth rate and investments

and until the incentive is provided for stepping up production. The wrong policies pursued by the Government so far have created the present sitiation of economic crisis. At one time. the contention of the Finance Minister was that defict financing was indispensable in a developing country. Now, those arguments have proved meaningless. Actually, the problem of inflation and prices rise can not be solved in a piecemeal manner. Even the prices of the commodities which have been left untouched in the present taxation proposals, are rising. The price index is continuously rising and the value of money depreciating rapidly. Under these conditions people can not be asked to save more.

I want to reiterate that inflation can not be checked by increasing the rates of tax only. Reference has been made to package deal but it is not evident what proposals are included in this programme. The position regarding availability of goods in the market will become worse with the present taxation proposals. Government should not feel complacent that by bringing in proposals for additional taxation for raising the resources of the Goverrment they have done their job of fighting the inflation some long-term and effective measures are necessary to fight this evil. But the Finance Minister has not given any indications in this regard while making his budget speech. Thus, we are opposing these tax proposals.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : श्री वाजपेयी द्वारा उठाये गये प्रश्न के उत्तर में मैं कहना चाहूंगा कि हमने कभी यह दावा नहीं किया कि हमने कोई ऐसी नीति बनाई है जिसके द्वारा मुद्रास्फीति समाप्त हो जाएगी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इन नए कर प्रस्तावों का उद्देश्य घाटे की अर्थ व्यवस्था को कम करना है। मैं सरकार की यह नीति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जन उपयोग की वस्तुओं पर कर नहीं लगाये गये हैं जिन पर कर लगाये गये हैं वे ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे चोरबाजारी करने वालों को अत्यधिक लाभ हो सकता था। कागज की कुछ किस्मों का उपयोग सामान्य जनता द्वारा नहीं किया जाता और उन्हें छोड़ दिया गया है। जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, सामान्य जनता को सीमेंट उपलब्ध नहीं होता किन्तु उससे व्यापारी तथा समाज विरोधी तत्व भारी लाभ कमाते हैं। जहां तक पैकेज कार्यक्रम का सम्बन्ध है, वे विभिन्न दिशाओं में उठाये गये कदम ही हैं जिनसे घाटे में कमी की जा सकेगी। सभा में उक्त विधेयक पर चर्चा भी की जा चुकी है तथा सरकार की मंशा इन वस्तुओं को कुछ महंगा करने की है जिससे दुर्लभ वस्तुओं के उपयोग को कम किया जा सके। पैकेज कार्यक्रम इन्हीं विभिन्न प्रयासों का नाम है जिसका उद्देश्य वस्तुओं की मांग की कृत्रिम अधिकता को दूर करना है।

मितव्ययिता, अधिक पूंजी निवेश तथा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं की सजीवता की दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि कम आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च में कटौती करके खाद्य तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिये इन कार्यों पर अधिक धनराशि खर्च की जाये। यह कार्यक्रम दीर्घावधि है तथा इसके परिणामों को तुरन्त नहीं देखा जा सकता। मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : मुझे अपने संशोधन (संख्या 1 से 8) वापस लेने की अनुमति दी जाये।

संशोधन संख्या 1 से 8, सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

The amendments Nos. 1 to 8 were, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० बनर्जी के संशोधन संख्या 20 से 30 नियम बाह्य हैं क्योंकि वे संशोधन संख्या 9 से 19 के समान ही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 से 19, 31 से 48 और 49 से 55 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 9 to 19, 31 to 48 and 49 to 55 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

The Schedule was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1 the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, now I would like to mention only two points. So far as the creation of black money is concerned, I want to refer to the case of roller mills producing wheat products. In a letter to Shri Anna Sahib P. Shinde, I have indicated that in the previous 2-3 years period, there was throughout the country a uniform milling margin of Rs. 80/- per ton fixed by the Government. In Orissa, the same margin is being allowed at present. But the roller mills in West Bengal, with the help of Mr. Siddhartha Shankar Ray managed to get the margin of profit at the rate of Rs. 200/- per ton with the result that the millers enjoyed huge profits. May I know whether the hon. Minister will assure the House that this matter will be looked into?

My second point is regarding the D.M.T. and Caprolectum.

I am quoting from his speech. He had said that the fear of any price gap being exploited by somebody seemed to be unrealistic. He has also created some confusion between D.M.T. and Caprolectum. He has admitted that the ex-factory price of indigenously produced D.M.T. is Rs. 16,000/- per tonne. He has levied 25 per cent excise duty on this. Then price would come to Rs. 20,000/- per tonne. He had also said that the price of imported D.M.T. is about Rs. 38,000/- per tonne. Thus, there is a margin of Rs. 18,000/- per tonne on indigenous D.M.T. There is no question of increase or decrease in the production. D.M.T. is used for the production of Polyester Fibre and Polyester Yarn. I do not want to mention the names of the units using them. There should be same price for imported and indigenous material. If the price of D.M.T. and Caprolectum is increased, the excess money received by the Public Undertakings would be utilised for the expansion of the units.

There is huge margin in D.M.T. There is a scandal in the import licences. There are two associate companies *i.e.* IOC and CAFI of one foreign company—ICI. IOC has no connection with Indian Oil Corporation.

According to a letter of the Ministry of Commerce, the matter was taken up with the Ministry of Petroleum and Chemicals. They had made enquiries and had ordered investigation into some of the reported transactions. They had informed the Ministry of Commence that Messrs CAFI supplied only 2 tonnes of chips for trial purposes while IOC sold between June and 7th August, 1973, 14·1 tonnes of Polyester Chips to Messrs. Shree Synthetics, Messrs Nirlons, Messrs Lamina Industries in order to find out the suitability of their chips for the manufacture of Polyester filament and fibres. Messrs IOC had received orders from Messrs Nirlons and Messrs J.K.

Synthetics for the supply of 300 tonnes and 150 tonnes of Polyester Chips, respectively. The Ministry of Petroleum and Chemicals strongly objected to the sale of polyester to various parties and they were advised not to make sale of any chips to any party pending receipt of Government orders on this point. No sale of chips has been made by Messrs CAFI and Messrs ICC after August, 1973 . An investigation has been ordered into the above-mentioned violation of the conditions of the import licences issued to Messrs IOC for import of DMT.

There is large scale bungling in the matter of import licences. We are not a vigilance Commission or Revenue Intelligence. The Government should take action of its own. I demand that this matter should be examined by a Parliamentary Committee. If it is not acceptable, the matter should at least go to the Public Accounts Committee.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : सरकार बार-बार यह दावा करती है कि महंगाई भत्ते और कर्मचारियों के वेतन के एक अंश को जमा करने की कार्यवाही मुद्रा स्फीति रोकने का एक उपाय है। वित्त मंत्री ने अभी-अभी यह कहा कि वह सीमेंट, लोहे, अस्बेस्टस और नालीदार चादरों के उपभोग को नियन्त्रित और कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सीमेंट खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है---यह उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि इन चीजों को खुले बाजर में उपलब्ध किया जाए ?

पता नहीं यह सरकार देश को कहां ले जा रही है ? प्रश्न यह नहीं है कि सरकार कुछ धन की व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है । भारतीय नागरिक परिषद् और भारतीय उपभोक्ता परिषद ने समाचारपत्रों में विज्ञापनों और वक्तव्यों के माध्यम से यह कहा है कि नये कर प्रस्तावों का आभास पाते ही कुछ वस्तुओं के निर्माताओं ने कीमतों में 30-40 प्रतिशत वृद्धि कर दी।

मैं निर्धनता के कारण बहुत सस्ती सिगरेट पीता हूं, परन्तु निर्मित तम्बाकू की कुछ किस्मों पर टैक्स लगते ही गरीब आदमियों के उपभोग में काम आनेवाली सबसे खराब तम्बाकू की कीमतों में भी वृद्धि हो गई। दिल्ली में जिसकी कीमत एक महीने पहले 60 पैसे थी, उसी की कीमत 70 पैसे हो गई है। कलकत्ता में जिसकी कीमत 58 या 60 पैसे थी, अब पैंसठ पैसे है।

कपड़ा, कागज और अन्य सभी वस्तुओं के बारे में यही हालत है कलकत्ता में मिट्टी के तेल की कीमत चोर बाजार में 2 रुपए प्रति लीटर है और फिर भी वह मिलता नहीं। आज देश में अगर कोई अर्थव्यवस्था है, तो वह है काले धन की अर्थव्यवस्था । यह अर्थव्यवस्था समानान्तर नहीं है, बल्कि यही नियन्त्रक अर्थ-व्यवस्था है। चोर बाजार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

दो दिन पहले प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, आयकर अधिकारी काले धन का पता लगाने के लिए शानदार कालोनियों में जांच-पड़ताल करने के लिए जाएंगे। क्या लोग काले धन को स्वयं बता देंगे ? क्या यह जनता के साथ मजाक नहीं है ?

करों के माध्यम से सरकार ने 235 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई है, परन्तु अगर प्रति सप्ताह एक अंक की मूल्य वृद्धि होती रही, तो यह सारा प्रयास निरर्थक सिद्ध होगा। वित्त राज्य मंत्री श्री गणेश ने स्वयं स्वीकार किया है कि रुपए की कीमत 25 पैसे रह गई है। अगर प्रति सप्ताह एक अंक की मूल्य वृद्धि होती रही, तो दो या तीन महीने मे क्या हालत होगी ? सारे देश की बरबादी के लिए केवल यह सरकार जिम्मदार है। जमाखोरों,

चोर बाजारियों और बड़े बड़े पूंजीपतियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों और रिजर्व बैंक ने ही धन उपलब्ध किया है। मुद्रा स्फीति रोकने के लिए सरकार ने ब्याज की दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की है। जो लोग 100 प्रतिशत या 200 प्रतिशत मुनाफा कमाते हैं, उन्हें बैंक को 2 प्रतिशत ज्यादा ब्याज देने में कोई एतराज नहीं होगा।

क्या मुद्रा स्फीति रोकने सम्बन्धी उपायों से कीमतों को कम करने की बात तो दूर, उनके बढ़ने की प्रवृति पर रोक लगेगी? जी नहीं, अब तो उन्होंने यह आश्वासन देना ही बन्द कर दिया है। प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि मुद्रा-स्फीति विश्वव्यापी प्रक्रिया है। श्री चव्हाण के अनुसार, मुद्रास्फीति नियन्त्रित होगी, उत्पादन बढ़ेगा और स्थिति में सुधार होगा। परन्तु इसमें कितना समय और लगेगा। देश की जनता को सरकार पर अब विश्वास नहीं रहा है। देश अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि आम आदमी अधिक करों, अधिक कीमतों, बेरोजगारी के भार को और अधिक सहन नहीं कर सकता।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या वह इस बात की गारंटी देंगें कि कुछ महीने बाद दुबारा कर नहीं लगाये जाएंगे? पिछले बजट का क्या परिणाम निकला? काले धन, काले बाजार और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है? विमुद्रीकरण करने से सरकार ने इनकार कर दिया है। कुछ लोगों ने सामान का भारी भण्डार और काला धन जमा कर रखा है, उसे निकालने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमण्ड हार्बर) 31 जुलाई, 1974 को अपने भाषण में वित्त मंत्री श्री चव्हाण ने यह कहा था कि आम आदमी को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए आम उपयोग की वस्तुओं पर और कर लगाने का औचित्य नहीं है। परन्तु अगर समाज के निर्धन वर्ग पर अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को देखा जाए, तो निष्कर्ष इससे बिल्कुल भिन्न निकलता है।

विलासिता के सामान से कुल 749 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, जबकि आम उपयोग की वस्तुओं से 1049 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इस तथ्य से श्री चव्हाण का असली चेहरा सामने आ जाता है। 1960-61 में चीनी पर शुल्क से 4419 लाख रुपए प्राप्त होते थे, जबकि 1974-75 में 15300 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। चाय से 747 लाख रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त होते थे, जबकि अब 4140 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। मोटर स्प्रिट पर राजस्व 4046 लाख से बढ़कर 40180 लाख हो गया है। इसी प्रकार मिट्टी के तेल से 829 लाख का राजस्व बढ़कर 13000 लाख हो गया है। इसी प्रकार सीमेंट, साबुन, कागज, माचिस आदि पर कर बढ़ाया गया है।

श्री चव्हाण उस सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक चोर की तरह जनता पर टैक्स लगाती चली जाती है। श्री गणेश ने स्व-निकासी प्रणाली का विरोध किया है और यह कहा कि इसे वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने लागू किया था। यह निर्णय समूचे मंत्रीमंडल द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता काले धन की पुतली श्रीमती इंदिरा गान्धी ने की थी। प्रधान मंत्री ने स्वयं वित्त मन्त्रालय का उत्तरदायित्व संभाला और वह भारत की वित्त-जादूगरनी (विच) थीं और आपके नियन्त्रण में सभी अधिकार थे, फिर भी स्वयं निकासी प्रथा को क्यों नहीं बदला गया।

श्री वेंकटपैया रिपोर्ट के अनुसार चीनी, चाय, माचिस, साबुन, औषधियों, रेयन, कृत्रिम रेशम और बिजली के सामान सहित अनेक प्रकार के उत्पादों में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुल्क की चोरी होती है। इसका कारण सुस्त, नाम मात्र के अथवा बेईमान पर्यवेक्षण का होना है। इस रिपोर्ट को सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया? क्या रिपोर्ट का ब्यौरा हमें समाचारपत्रों से ही प्राप्त होता रहेगा? क्या मुझे स्वयं सभा पटल पर रिपोर्ट रखनी पड़ेगी? 1969 से 1974 तक आपने इसलिए लूट जारी रहने दी क्योंकि अगर आपने इसे बन्द किया होता, तो न तो आप स्वयं सत्ता में रहते और न आपकी नेत्री।

(व्यवधान)

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम): श्रीमान् जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी कुछ भी विचारधारा हो, हमारी भाषा शिष्ट होनी चाहिए। माननीय सदस्य ने "विच" शब्द का प्रयोग किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह सख्त भाषा का प्रयोग न करें।

श्री के० आर० गणेश: सदन के माननीय सदस्य के रूप में कुछ तो शिष्टता का आचरण उन्हें करना ही चाहिए। मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी की विचारधारा उनके "गटर" भाषण से कहीं अधिक सुदृढ़ है।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा: "विच" शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): इस शब्द को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गणेश ने प्रभावी उत्तर दिया है। उन्होंने "गटर" शब्द इसे कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या वित्तमंत्री श्री चव्हाण ने उत्तर प्रदेश के सतर्कता अधीक्षक के समाचारपत्रों में प्रकाशित इस वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है कि चालीस प्रतिशत उत्पादन को खातों में दिखाया ही नहीं जाता? वित्त मंत्री इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें कि पुलिस अधीक्षक का इस आशय का वक्तव्य प्रकाशित होने के बाद उन्होंने क्या कार्यवाही की है। शेष साठ प्रतिशत माल की उत्पादन लागत भी इसी चालीस प्रतिशत माल की उत्पादन लागत में जोड़ दी जाती है और साठ प्रतिशत माल से काले धन की आमदनी की जाती है। अगर काले धन के लिए कार्यवाही की जाए, तो यह सरकार एक दिन भी अस्तित्व में नहीं रह सकती। इसलिए काले धन के लिए कार्यवाही की घोषणा इस सरकार का एक ढोंग है, मजाक है।

वर्ष 1972-73 में 532 तलाशियां ली गई और 454 लाख रुपया पकड़ा गया। 1973-74 में 530 तलाशियां ली गई, परन्तु 440 लाख रुपया ही बरामद हुआ। कल मुझे एक टेलीफोन काल प्राप्त हुई, जिसके अनुसार कपाडिया बन्धुओं के यहां छापा मारा गया है परन्तु कपाडिया बन्धु एक विशिष्ट व्यक्ति के पुत्र की मोटर कार परियोजना से सम्बद्ध हैं, इसलिए श्री चव्हाण और ऊपर से यह दबाव डाला जा रहा है कि मामले को दबा दिया जाए।

तारांकित प्रश्न संख्या 2681 के उत्तर से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से खर्च में कटौती की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में 11.76 करोड़ रुपए की बचत की गई है। कृषि के क्षेत्र में 13.84 करोड़ रुपए की बचत की गई है। वित्त विभाग द्वारा 158.45 करोड़ रुपए की मितव्ययता की गई है, जिसमें राज्यों की योजनाओं के लिए 93.98 करोड़ रुपए की मितव्ययता बरती गई है। 34 करोड़ रुपए की किफायत रोजगार कार्यक्रमों में की गई है। 30 करोड़ रुपए की मितव्ययता पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अग्रिम कार्यवाही के लिए नियत धनराशि में से की गई है। इस प्रकार की बचत से समाज के कमजोर वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मितव्ययता करने से पहले प्रधान मंत्री के बंगले का प्रति माह रख रखाव सम्बन्धी खर्च 16,246 रुपए का और मितव्ययता करने के बाद खर्च बढ़कर 17,253 रुपए प्रति माह हो गया है।

स्टाक मार्केट को इस बात की आशंका थी कि 31 जुलाई के अपने बजट में अतिरिक्त लाभकर, अधिभार में बढ़ोत्तरी आदि के रूप में और कर लगाए जाएंगे, परन्तु उनमें कोई वृद्धि नहीं की गई है। कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज में कारोबार करने वाले दांतेवाला नामक एक व्यक्ति को जानकारी मिल गई। मुझे बताया गया है कि उसने एक ही दिन में 2 करोड़ रुपए बनाये।

मेरे पास लाभांश अध्यादेश का पहले से पता चल जाने की माननीय सदस्यों द्वारा सभा में उठाई गई बात के बारे में थोड़ी जानकारी है, उसे मैं सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। अध्यादेश के प्रकाशन से एक दिन पहले बम्बई के बाजार में सेंचुरी के 25,000 से अधिक कोयर बेचे गए। श्री चव्हाण से पहले से जानकारी प्राप्त करके लोगों ने लगभग 3 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया।

महालनोबिस आयोग ने 1960 में कहा था कि सरकार की आर्थिक नीतियों से बड़ा व्यवसाय समेकित हुआ है।

अब मैं एक अद्भुत जानकारी देता हूं। अंग्रेजों के नियन्त्रण वाली मैसर्ज शा वैलेस एण्ड कम्पनी का मुनाफा 1973 में कराधान से पहले 467 लाख रुपए था परन्तु 1972 में वह 235 लाख रुपए था--जो 99 प्रतिशत वृद्धि है।

इस कम्पनी के चेयरमैन, श्री हेवर्ड ने समीक्षा में कहा कि वर्ष 1973 भारतीय अर्थ-व्यवस्था के लिए कठिनाई का वर्ष होने के बावजूद शा वैलेस ग्रुप ने पिछले वर्षों की अपेक्षा 98.5 प्रतिशत लाभ कमाया। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं। यह श्री रामनाथ कपूर के मामले से सम्बन्धित है। लन्दन के एक दैनिक समाचार-पत्र में इस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने कराधान और विदेशी मुद्रा विनियमन के मामले में गंभीर आर्थिक अप-राध किया है। मैं श्री चव्हाण से जानना चाहता हूं कि यदि उन्हें इस समाचार का पता लगा है तो उन्होंने क्या किया है।

बिड़ला बन्धुओं ने लगभग 78 करोड़ रुपये के करों का अपवंचन किया है। सेन्ट्रल बैंक के भवन में लगी आग का नैशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा किए गए कर अपवंचन का काफी सम्बन्ध है अन्यथा इस्पात की इतनी चौड़ी छड़ें वहां किसी विस्फोटक पदार्थ लगाये बिना नहीं मुड़ सकती हैं। मंत्री महोदय यह स्पष्ट बताएं कि नैशनल एन्ड ग्रिन्डलेज बैंक ने कितने करों का अपवंचन किया है।

यह अमरीकी बैंक विदेशी मुद्रा के घोटाले में भी अन्तर्गस्त है ।

मैं यू० पी० सी० सी० रोड-रोलर कांड के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं । इसमें बैंकों और सरकार की अत्यधिक धनराशि अन्तर्ग्रस्त हुई है। इस सम्बन्ध में लोक-लेखा समिति ने विस्तृत रिपोर्ट दी है । अब मारुति मोटर कम्पनी ने थोड़े से लाभ के लिये रोड रोलरों का मामला अपने हाथ में ले लिया है । अब ये रोड रोलर मारुति के नाम से बाजार में बेचे जायेंगे ।

सरकार ने गृह मंत्रालय के खर्च में कटौती करने की बात की है । परन्तु कितनी कटौती की गई है ? 1950 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का बजट 3 करोड़ रुपये था जो आज 1974 में 170 करोड़ रुपये का है । 1946 में जब यहां साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे, तब सम्पूर्ण देश के लिये राज्य की पुलिस का 13 करोड़ रुपये का बजट था, वह आज 313 करोड़ रुपये का है ।

मेरे पास यह बताने के लिये जानकारी है कि कृषि फसलों पर दवाएं छिड़कने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या भुगतान करती है । किसी सोमानी के नियन्त्रण वाली सदर्न एवियेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, सेम्बुडोस स्ट्रीट, मद्रास-1 ने हेलीकोप्टरों का प्रयोग करने के लिये प्रत्येक बिल में राशि बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई है । यह बहुत गंभीर मामला है । मंत्री महोदय को इसकी जांच करनी चाहिए ।

मैं इस वित्त विधेयक का पूर्णरूपेण विरोध करता हूं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : माननीय सदस्य ने कापड़िया बन्धुओं पर मारे गए छापे के बारे में कहा है, उन्होंने कहा है कि गत रात उनके पास कुछ जानकारी थी । कापड़िया बंधुओं पर मारे गए छापे के बारे में कल तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी ।

उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और इसे रुकवाने की कोशिश की । कापड़िया बन्धुओं पर कल तक तो कोई छापा मारा नहीं गया । इसलिए वित्त मंत्रालय द्वारा इसे रोकने का प्रश्न ही नहीं है ।

कापड़िया बन्धुओं के मामले में हाल ही में आयकर निर्धारण के कुछ मामले पुनः उठाये गए हैं क्योंकि आयकर विभाग का विचार है कि इस सम्बन्ध में कुछ भूल-चूक हो गई है ।

माननीय सदस्य ने नेशनल एन्ड ग्रिन्डलेज बैंक के बारे में कहा है । इस बैंक द्वारा की गई करों की चोरी के समूचे मामले पर गहराई से जांच की जा रही है ।

उन्होंने बैंक के अहाते में लगी आग का उल्लेख किया । जहां तक नेशनल एन्ड ग्रिन्डलेज बैंक के मूल रिकार्डों का सम्बन्ध है, वेतन भोगी कर्मचारियों को छोड़कर उनके प्रबन्धकों का रिकार्ड केन्द्रीय स्थान पर है । वह नष्ट नहीं हुआ था ।

माननीय सदस्य ने वेस्टिंग हाउस के बारे में उल्लेख किया कि हमने इसके बारे में जानकारी नहीं दी । वेस्टिंग हाउस के एरिया निदेशक के बारे में समाचार-पत्रों में व्यापक रूप से समाचार प्रकाशित किये गए हैं और इस सम्बन्ध में किसी अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में जानकारी दे दी गई है ।

माननीय सदस्य को पता है कि एकाधिकार गृहों के बारे में एक विशेष कक्ष (सेल) है । यह कक्ष बिड़ला, बाजोरिया और जालान बंधुओं की जांच कर रहा है । इस सभा को अनेक बार जानकारी दी गई है कि धनकर, आयकर और उपहार कर के निर्धारण के सैंकड़ों मामले पुनः उठाये गए हैं ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : There is no commodity in the country whose prices have not zoomed. The prices of various commodities have gone up from 25 per cent to 60 per cent.

Apart from this, essential commodities have taken the shape of rare commodities. Is it not true that the rich have become richer and the poor poorer?

I do not know if any action is being taken to unearth the black money. I suggested demonitisation. I do not know what sort of fear the Minister of Finance is having in this regard.

Similarly, the problem of unemployment is there. People continue to commit suicide for not getting employment. Famine situation in Orissa has assumed horrible proportions. Who is responsible for this situation? When the question of nationalisation of sugar mills came up, the report was not laid on the Table. Unless the sugar industry is nationalised, the situation in Uttar Pradesh cannot ameliorate.

People's faith in Parliamentary democracy is banishing gradually. No matter, if the Government impose taxes on the poor through this Finance Bill spares the Tatas and Birlas but they will not come to rescue of the nation at the critical time.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : श्री ज्योतिर्मय बसु का भाषण निराधार, अनुत्तरदायी और गरिमा की भावना रहित था। उन्होंने सभी प्रकार के आरोप लगाये और उत्तर में बिना कोई जानकारी लिये सदन से बाहर चले गए।

संसदीय प्रथा के अनुसार विधेयक के तृतीय वाचन पर चर्चा केवल संशोधन आदि तक सीमित रहनी चाहिए। परन्तु श्री मधु लिमये को छोड़कर अन्य लोगों ने आम भाषण दिए। अतः कोई ऐसी नई बात नहीं कही गई है जिसका मैं उत्तर दूं –

Shri Madhu Limaye (Banka): I said on the basis of the hon. Minister's speech that he had said that the sale price of imported D.M.T. was Rs. 3?,000.

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने सोचा कि आप यह जानकारी मुझे व्यक्तिगत रूप से देना चाहते हैं ताकि मैं कुछ शुद्धि कर सकूं।

श्री मधु लिमये : आयातित डी० एम० टी० का बिक्री मूल्य कितना है ? नये विधेयक के अन्तर्गत स्वदेशी डी० एम० टी० का नया मूल्य क्या है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण: इसका कारखाना-द्वार मूल्य 16000 रुपये है। 25 प्रतिशत शुल्क सहित यह 20000 रुपये हो जाता है। कैप्रोलैक्टम के मामले में यह मूल्य 26000 रुपये है और 50 प्रतिशत शुल्क सहित यह 39000 रुपये हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वित्त विधेयक है और इसका सम्बन्ध देश की समूची अर्थव्यवस्था से है। अतः माननीय सदस्यों को मैंने वे सभी बातें कहने की अनुमति दी जो उन्होंने कहीं।

इसके अतिरिक्त हमारे पास तीन घंटे का समय था।

मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के बर्ताव का निरनुमोदन करता हूं क्योंकि वह आरोप लगाने के बाद सदन से बाहर चले गए।

यदि माननीय सदस्य विधेयक के तीसरे वाचन के समय कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्हें पहले से वे बातें लिख कर देनी चाहिए ताकि सरकार उनका उत्तर देने के लिये तयार होकर आ जाये।

प्रश्न यह है ;

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

1974 के अध्यादेश संख्या 7 और 9 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और कम्पनी लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन विधेयक, 1974

STATUTORY RESOLUTIONS *RE* : DISAPPROVAL OF ORDINANCES NOS. 7 AND 9 OF 1974 AND COMPANIES (TEMPORARY RESTRICTIONS ON DIVIDENDS) BILL, 1974

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है" ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : तीनों प्रस्तावों पर एक साथ विचार होना है इसलिये पहले सभी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उससे भ्रांति उत्पन्न होगी ।

{ श्री नवल किशोर सिंह पीठासीन हुए
SHRI NAWAL KISHORE SINHA *in the Chair* }

Shri R. R. Sharma (Banda) : Today, our country is passing through an unprecedented economic crisis. It is also a fact that steps taken in this regard have not produced the desired results.

Such a situation had developed in 1966 also and the ruling party had blamed absence of good crops, foreign exchange difficulties and political instability as the reasons for this situation. But, now. the ruling party has got massive majority at the centre and not of the States also have Congress Governments. In order to bring about political stability and at the assurance of the Congress Party to remove poverty, the party was given massive majority by the people. But, in fact, the poverty has increased. In 1970 the number of people below poverty line was 30 per cent, whereas at present their number is more than 50 per cent. We were left with a balance of 16 crores pounds at the time of independence, which came to Rs. 80 per head. But, in 1972-73, the country had to pay a loan of Rs. 16,08,420 crores, out of which Rs. 7,328 crores is in foreign exchange. This loan comes to Rs. 635 per head. At the end of the present decade, India would be under a debt of Rs. 800. It would not be possible to repay this debt as per indications. If the present Government and its policies continue, all the schemes would come to stand still.

Inflation is undermining the structure of our society. If it continues at the present speed. there would be chaos in the country. All anti price rise policies have failed and the Government is not able to control price rise. Inspite of its efforts, the Government has failed to stop black-marketing. It has not been possible for the Government to take any effective measure to control prices.

Actually, production should also have increased side by side fall in the rate of Indstrial productions and increase in non-plan expenditure started showing the signs of coming inflation. Parallel economy of black money has created problems of unemployment, poverty and starvation. Due to this, rich are getting richer and poor are getting poorer.

The Government has issued two ordinances for containing inflation. One aims at restricting the dividend distribution by companies and the other aims at impounding future wage increases. The 'Economic Times' has said that these measures constitute only half baked attempts in dealing with a serious situation. The Government was feeling that certain companies were distributing large dividends. The present minimum lending rates of banks is 15 per cent and the rate

of interest which the Government proposes to pay on the impounded wages itself is 11 pecrent A recent study of the finances of 350 large public limited companies in 1972-73 indicated the average rate of divident to be 11·4 per cent. Hence, what led the Government to the alone thinking is not clear. In fact there has always been a wide gap between the deposit rates and lending rates of banks and rate of interest (dividend) on the risk Capital. So the narrowing down of the gap is bound to have its repercussions on Capital Formation, which is not very encouraging even now. The Government should reconsider its decision. These are the views expressed by 'The Economic Times'.

Ordinances were issued on the 6th July 1974, whereas the Parliament was scheduled to meet on the 22nd July 1974. So it was not necessary to issue ordinances and a Bill should have been introduced in the Parliament.

So far as wage squeeze is concerned, the Government has weekened the poor employces who were already poor by effecting a cut in their D.A. Dearness Allowance is paid on account of rise in prices. The Government should not have taken such a step.

This economic crisis is in fact a crisis of politics. Political leadership only aims at keeping itself in power. Unless people revolt against this tendency, the crisis is not going to be resolved. We should try to set up healthy traditions.

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है"।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 15 जुलाई 1974 को प्रख्यापित कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 9 का निरनुमोदन करती है"।

वैसे तो मैं एकाधिकार पर रोक संबन्धी किसी भी उपाय का स्वागत करता परन्तु मैंने यह समझ लिया है कि यह उपाय केवल मात्र खोखला है और जनता को धोखा देने के लिए है। देश में लगभग 3000 हजार कम्पनियां हैं और उनमें से लगभग 200 कम्पनियां 12 प्रतिशत अथवा उससे अधिक लाभांश देती हैं। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के काम काज से पता चलता है कि बिड़ला घराने से कोई व्यक्ति धन कर नहीं देता। चार्टर्ड लेखापालों की सहायता से लेखों में इस प्रकार की हेराफेरी की जाती है कि सारी आय परिवार के सदस्यों व अपने सहायकों आदि में बांट ली जाती है। यह हेरफेर इस ढंग से की जाती है कि आयकर, बिक्रीकर अधिकारी अथवा कम्पनी कानून बोर्ड आदि उसे पकड़ नहीं सकते। यदि इन कम्पनियों की किसी गड़बड़ी के विरुद्ध सूचना दी जाए तो भी अन्त में यह कम्पनियां साफ साफ बच निकलती हैं। हिन्दुस्तान लीवर की गाजियाबाद फैक्टरी के काम के बारे में कुछ कर्मचारियों ने सरकार को सूचना दी। फैक्टरी पर छापा भी डाला गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मिलने वाली सूचना सच थी अथवा नहीं; यदि सच थी तो कम्पनी किस प्रकार साफ-साफ बच निकली है। सरकार को इस प्रकार की बातें रोकनी चाहिएं। इस कम्पनी ने अपना उत्पादन घटा दिया है। साधारण जनता के उपयोग वाला साबुन बाजार में उपलब्ध नहीं।

डालडा के स्थान पर मारग्रेन का उत्पादन किया जा रहा है क्योंकि डालडा के मूल्यों में मुनाफा नहीं। देश में डालडा की मानवी कमी पैदा कर दी गई है। इस कम्पनी को देश को संकट में डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

बड़ी बड़ी कम्पनियों द्वारा उत्पादन घटाया जा रहा है। 50-60 प्रतिशत क्षमता बेकार रखकर 30-40 प्रतिशत उपयोग में लाई जा रही है। क्या इन कम्पनियों को अधिकार में लेना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा?

कुछ कम्पनियों ने अपने शेयर अपनी कम्पनियों को बेचने का निर्णय किया। उसके अनुसार ऊचे पदों पर आसीन अधिकारियों को ये शेयर दिए जा रहे हैं। कोई कम्पनी अपने साधारण कर्मचारियों को शेयर बेच नहीं रही है। यह इसलिए किया जाता है कि प्रबन्ध निदेशक और चेयरमैन के पदों पर अपने व्यक्तियों को ही बनाए रखा जा सके। इस तरह से घोटाला हो रहा है।

हमने अपने दल की ओर से कम्पनियों के काम में व्याप्त गोलमाल को रोकने के लिए अनेक सुझाव किए, परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

सरकार को इस उपाय से लगभग 5 करोड़ रुपए मिलने की संभावनाएं हैं। परन्तु यदि इसके स्थान पर विमुद्रीकरण कर दिया जाता तो उससे कई हजार करोड़ रुपए मिल सकते थे। कम्पनियों से केवल 5 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं। परन्तु दूसरी ओर साधारण वेतन भोगी कर्मचारियों से 300 करोड़ रुपए प्राप्त किए जा रहे हैं। क्या साधारण वेतन भोगी इसी प्रकार सारा जीवन दुख भोगते रहेंगे? उनका आयकर उनके वेतन से काट लिया जाता है। परन्तु बिड़ला, टाटा व डालमिया जैसे लोग आयकर, बिक्री कर व अन्य करों का अपवंचन कर रहे हैं। सरकार का इनसे धन ऐंठने के लिए क्या और उपाय करने के विचार हैं।

जब तक मुख्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नही किया जाता तब तक हमारी अर्थ-व्यवस्था सुधर नहीं सकती। इस मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अतः केवल मात्र इसी उपाय का ही सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। बड़े बड़े एकाधिकार गृहों को अधिकार में लिया जाए।

इस उपाय से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। केवल कुछ कम्पनियां ही इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत आएंगीं। अधिकांश एकाधिकार कम्पनियों का कार्यकरण इस प्रकार का है कि वे लाभांश घोषित ही नहीं करतीं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इन बड़े व्यापार गृहों को नियंत्रित करने व उन्हें अपने अधिकार में लेने के लिए सरकार का और क्या उपाय करने का विचार है।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 15 जुलाई, 1974 को प्रख्यापित कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है"।

वर्ष 1974 के अध्यादेश 7 तथा 9 के निरमुमोदन के बारे में संकल्प और कम्पनी (लाभांश पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक, 1974 (जारी)

STATUTORY RESOLUTIONS *RE.* DISAPPROVAL OF ORDINANCES NO. 7 & 9 OF 1974 AND COMPANIES (TEMPORARY RESTRICTIONS ON DIVIDENDS) BILL—(*Contd.*)

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में, कतिपय कम्पनियों के लाभों में से लाभांश घोषित करने की शक्ति पर अस्थायी निबन्धों के लिए और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

6 जुलाई 1974 के कम्पनियों के मुनाफे के वितरण पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। इस में लाभांश के भुगतान को एक सीमा तक सीमित करने का उपबन्ध है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुद्रास्फीति को रोकने के उपायों में मुनाफों में से खपत को रोकने और आय के अन्य स्रोतों पर रोक लगाने के उपाय हैं, यह आवश्यक समझा गया कि लाभांशों के वितरण पर अधिकतम सीमा नियत की जाए। इससे मुनाफों में से खपत में कमी होगी। निगमित सैक्टर द्वारा बैंक ऋण पर निर्भर करना कम हो जाएगा और इससे धन सप्लाई के विस्तार में कमी होगी। लाभांशों के वितरण पर सीमा लगाने से प्रति वर्ष 60 से 70 करोड़ रुपए की बचत होगी और इससे वित्तीय संस्थाओं के संसाधनों पर इतना दबाव कम हो जाएगा।

उन लोगों को चिन्तित नहीं होना चाहिए जिन्होंने निगमित क्षेत्र में शेयरों में धन लगाया है क्योंकि इस अधिनियम से कम्पनियों के लाभ में वृद्धि होगी। इस अध्यादेश के प्रभाव पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि धन लगाने वाले अनेक लोगों को पहले दो वर्षों में लाभांश नहीं मिलता है। अतः इस विधेयक का पूंजी एकत्र होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

इस का उद्देश्य 6 और 15 जुलाई, 1974 को जारी किए गए अध्यादेशों का स्थान लेना है। इसमें कुछ ऐसे आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं जो संसद् के अधिनियम में होने चाहिएं। मैं अनुरोध करता हूं कि सभा इस विधेयक को सर्व सम्मति से पास करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में, कतिपय कम्पनियों के लाभों में से लाभांश घोषित करने की शक्ति पर अस्थायी निबन्धों के लिए और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

श्री निंबालकर (कोल्हापुर) : हमारे साम्यवादी मित्र अधिकाधिक राष्ट्रीयकरण के पक्ष में रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो यह है कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से हमने क्या प्राप्त किया है? हमारे सिद्धान्त साम्यवादी तथा समाजवादी हैं लेकिन इन सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए आधार साम्राज्यवादी संस्थाओं का है। इस प्रकार हमारी अर्थ-व्यवस्था न तो समाजवादी है और न ही साम्राज्यवादी है। हर सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के लिए डाक

मज़बूत ढांचा होना चाहिए। समाजवाद के लिए हमारे देश में कोई ढांचा नजर नहीं आता। ढांचा बनाए बिना समाजवाद लाना सम्भव नहीं है।

जिस प्रकार का विधेयक हमारे सामने है, उसके द्वारा सरकार आर्थिक समस्याओं को तीनों दिशाओं से हल कर रही है अर्थात् :—

(1) परिचालन में धन को कम करने से,

(2) उसकी गति को कम करके, और

(3) साथ ही उत्पादन में वृद्धि करके।

इस बात की कोई आशा नहीं है कि हमारे उपाय से अर्थव्यवस्था में तुरन्त सुधार हो जाएगा। सरकार ने केवल यही अध्यादेश जारी नहीं किया है। उन्होंने बहुत से उपायों की बात की है। इसके अतिरिक्त वेतनों सम्बन्धी अध्यादेश भी है। इन दो अध्यादेशों में अंतर यह है कि वेतन अध्यादेश अर्जित आय के बारे में है और दूसरे बिना अर्जित आय के बारे में है।

एक अन्य प्रश्न यह है कि बारह प्रतिशत से अधिक की राशि उद्योगों में लगाने के लिए होगी और उससे उत्पादन में वृद्धि होगी।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि इससे बैंकों से ऋण लेने के दबाव में कमी होगी। ऋण पर रोक लगाने की दृष्टि से यह एक अच्छा उपाय होगा। यदि ऋण पर रोक इस तरीके से प्रभावी नहीं होती तो उसे कुछ चुने हुए मामलों में लागू किया जाए। तब 12 प्रतिशत से ऊपर की राशि उत्पादन बढ़ाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करने के काम आएगी।

अध्यादेशों द्वारा अपने आप हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। इस पर बाद की कार्यवाही का प्रश्न है। काले धन को निकालने के लिए अनेक उपाय करने होंगे। मितव्ययता का एक उपाय यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मुनाफे पर लाया जाए। हमारी अर्थ-व्यवस्था को बचाने का और कोई मार्ग नहीं है। हमारी सरकार को प्रयास करके सरकारी उपक्रमों को मुनाफे पर चलाना चाहिए।

धन की सप्लाई का जहां तक प्रश्न है, हाल के सप्ताहों में 400 करोड़ रुपए रोके गए हैं। यह एक अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि सरकार गम्भीरता से कार्य कर रही है और इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

***श्री जे० माता गौंडर :** (नीलगिरी) : यह दावा किया गया है कि इस विधेयक द्वारा उपभोक्ताओं के व्यय में कमी होगी और बचत को प्रोत्साहन मिलेगा।

कहा गया है कि इस देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 3,000 कम्पनियां हैं जिनमें से लगभग 200 कम्पनियां 12 प्रतिशत से अधिक की दर से लाभों की घोषणा करती हैं। इन उपायों द्वारा केवल 5 करोड़ रुपए जुट पाएंगें।

***तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।**

Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Tamil.

कुछ उद्योगपतियों ने कहा है कि वर्तमान मुद्रास्फीती को उत्पादन बढ़ाकर प्रभावशाली ढंग से हल किया जा सकता है। उनके विचार से लाभांश अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देना है और लाभांश पर रोक लगाने संबंधी किसी भी घोषणा से उत्पादन में हानि होगी। कुछ प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्रियों का भी यही कथन है कि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि ही मुद्रास्फीति को रोकने का एक मात्र उपाय है। उनका यह विचार है कि लाभांश घोषित करने पर रोक लगाने वाले अध्यादेश से लाभों पर कुछ रोक लगेगी।

विश्वास किया जा रहा है कि सरकारी उपक्रमों के लगातार घाटे में चलने की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा लाभांश घोषित करने पर रोक लगाने वाला यह विधेयक पेश किया है।

आर्थिक संकट का मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र में अत्याधिक निवेश करना है जिससे अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है, वास्तव में इस हानि को पूरा करने के लिए और पूंजी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है कि लगातार हानि होने के क्या कारण हैं तथा उन्हें लाभकारी बनाने के लिये क्या कदम उठाने चाहियें।

आर्थिक संकट लाभांश पर रोक लगाने जैसे उपायों से प्रभावशाली ढंग से हल नहीं हो सकता। इस लिए सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि इन उपक्रमों को लाभकारी बनाएं। सरकार को उन एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, जिन के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय गोलमाल के आरोप हैं।

मंत्री महोदय विधेयक की धारा 7(ग) के प्रभावों को स्पष्ट करें। यदि तमिलनाडु की हथकरघा सहकारी समितियों जैसी सहकारी समितियां इस धारा के अन्तर्गत आती हैं। तो वे बहुत से व्यक्ति जिहोंने कच्चा माल खरीदने के लिए ऋण लिया है, बेरोजगार हो जाएंगे। उनका लघु उद्योग नष्ट हो जाएगा। मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि हजारों व्यक्तियों के जीवनयापन के हित में इन समीतियों को इस धारा के क्षेत्राधिकार से बाहर रखें।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I support this Bill which is a step in the right direction for taking the country towards socialism. It will be really good if it is made a permanent legislation. It is necessary to put the control and management of the companies in the hands of honest people if we want to make our country prosperous.

According to this Bill, restrictions have to be imposed on distribution of dividends by companies. This will help in checking inflation. As a matter of fact, the Government should fix ceiling on profits.

It is said that public sector undertakings do not make profit, while private sector enterprises earn huge profits The sole aim of private sector enterprises is to earn profit and they do not pay attention to the welfare of employees, while public sector undertakings pay good deal of attention to the welfare of their employees. They incur a lot of expenditure on providing residential accommodation to the workers and on town development. The public sector enterprises have to incur a lot of unproductive expenditure.

This Bill may not be able to check rising prices immediately but it is the first step in the right direction. It deserves whole hearted support of the House.

इसके पश्चात् लोकसभा, बुद्धवार, 21 अगस्त, 1974 /30 श्रावण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, the 21st August, 1974 Sravana 30, 1896 (Saka)

417LSS/74—GIPF.